उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-07

leko'kh f'k{kk

[k.M & ,d % leko'kh f'k{kk % ,d ifjp; 3&36

इकाई 1 : हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन

इकाई 2 : समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और कक्षा–कक्ष में विविधता

इकाई 3 : समावेशी शिक्षा की बाधाएँ

[k.M & nk % leko'kh f'k{kk dh lfo/kk inku dju okyh uhfr;k ,o :ij[kk 37&68

इकाई 1 : विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा

इकाई 2 : अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और रूपरेखा

इकाई 3 : राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रम कानून और आयोग

[k.M & rhu % leko'kh 'k{kf.kd fun'ku 69&104

इकाई 1 : प्रतिभावान छात्र

इकाई 2 : समावेशन में परिवार एवं समाज की भागीदारी

इकाई 3 : समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाना

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त
विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-07

lekos'kh f'k{kk

[k.M & 1

lekos'kh f'k{kk % ,d ifjp;

bdkbZ & 1 — 7

हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन

bdkbZ & 2 — 23

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और कक्षा–कक्ष में विविधता

bdkbZ & 3 — 31

समावेशी शिक्षा की बाधाएँ

mÙkj izns’k jktf"kZ V.Mu eqDr fo’ofo|ky;

mÙkj izns’k iz;kxjkt

laj{kd ,oa ekxZn'kZd	
izks0 d0,u0 flag	dqyifr] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
fo'ks"kK lfefr	
izks0 ih0 d0 ik.Ms;	iwoZ izkpk;Z ,oa foHkkxk/;{k] f'k{kk fo|k'kk[kk, m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
izks0 lhek flag	vkpk;Z] f'k{kk'kkL= foHkkx] cukjl fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh
izks0 lq"kek ik.Ms;	vkpk;Z] f'k{kk'kkL= foHkkx] Mh0Mh0;w0 fo'ofo|ky;] xksj[kiqj
izks0 jtuh jatu flag	vkpk;Z fo'ks"k f'k{kk foHkkx] Mk0 'kdqUryk feJk jk"Vªh; iquokZl fo'ofo|ky;] y[kuÅ
Mk0 th0d0 f}osnh	lgk;d&vkpk;Z] f'k{kk'kkL= foHkkx] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
Mk0 fnus'k flag	lgk;d vkpk;Z] f'k{kk'kkL= foHkkx] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
ys[kd	
izks0 lhek flag	vkpk;Z f'k{kk'kkL= foHkkx] cukjl fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6½
Mk0 uhrk feJk	ijke'kZnkrk] ¼fo'ks"k f'k{kk½] f'k{kk fo|k'kk[kk] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 7]8]9½
lEiknd	
izks0 jtuh jatu flag	vkpk;Z ¼fo'ks"k f'k{kk foHkkx½ Mk0 'kdqUryk feJk jk"Vªh; iquokZl fo'ofo|ky; ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½
ifjekiZd	
izks0 ih0d0 ik.Ms;	iwoZ izkpk;Z fun's'kd] f'k{kk fo|k'kk[kk m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½
leUo;d	
Mk0 uhrk feJk	ijke'kZnkrk ¼fo'ks"k f'k{kk½] f'k{kk fo|k'kk[kk] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½
lg;ksx d	
çdk'kd	

flrEcj] 2020 ¼eqfnzr½

© m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo’ofo|ky;] iz;kxjkt 2020

ISBN:- 978-93-94487-10-9

mRrj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt lokZf/kdkj lqjf{krA bl ikB;lkexzh dk dksbZ Hkh va'k mRrj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky; dh fyf[kr vuqefr fy, fcuk fefe;ksxzkQ vFkok fdlh vU; lk/ku ls iqu% iLrqr djus dh vuqefr ugha gSA

uksV % ikB; lkexzh esa eqfnzr lkexzh ds fopkjksa ,oa vkdMksa vkfn ds izfr fo’ofo|ky;] mÙkjnk;h ugha gSA

izdk’ku % mÙkj izns’k jktf"kZ V.Mu fo’ofo|ky;] iz;kxjkt

izdk’kd % dqylfpo] **duZy fou; dqekj** m0iz0 jktf"kZ V.Mu fo’ofo|ky;] iz;kxjkt & 202**4**

eqnzd % सिग्नस इन्फार्मेशन सल्यूसन प्रा0 लि0, लोढ़ा सुप्रीमस साकी विहार रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई

ETH-014

[k.M ifjp;

leko'kh f'k{kk % ,d ifjp;

इस खण्ड में आप समावेशी शिक्षा के उद्देश्य सिद्धान्त एवं समावेशी शिक्षण में आने वाली समस्याओं से अवगत हो सकेंगे। इस खण्ड में कुल तीन इकाइयां है।

इकाई–01 में आप हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथकृरण और समेकन से अवगत हो सकेंगे। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशन की उपयोगिता को समझ सकेगें।

इकाई–02 में समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त और कक्षा–कक्ष में विविधिता को समझ सकेंगे।

इकाई–03 में आप समावेशी शिक्षा में होने वाली बाधाओं से अवगत हो सकेंगे तथा समावेशी शिक्षा के बाधओं का निराकरण के उपायों से अवगत हो जायेगें।

bdkbl&1

gkf'k;kdj.k cuke lekos'kh f'k{kk] iFkddj.k vkj lesdu

ljpuk

1.1 परिचय

1.2 उद्देश्य

1.3 हाशियाकरण क्या है?

1.3.1 दिव्यांगजनों पर हाशियाकरण का प्रभाव

1.3.2 हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले कारक

1.4 समावेशी शिक्षा

1.5 पृथक्करण

1.6 समेकन या समेकित शिक्षा

1.6.1 लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.6.2 समेकित शिक्षा के प्रारूप (Modele)

1.7 हाशियाकरण बनाम समावेशी शिक्षा, पृथक्करण और समेकन

1.8 इकाई सारांश

1.9 अपनी प्रगति की जाँच करें।

1.10 नियत कार्य / गतिविधियाँ

1.11 चर्चा / स्पष्टीकरण के बिन्दु

1.12 संदर्भ / प्रस्तावित पठन सामग्री

1.13 बोध प्रश्नों के सम्भवित उत्तर

1-1 ifjp;

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतन्त्रता, न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रुप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समावेशी समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के वर्षों को समाज का नजरिया बदला है। यह माना जाता है कि यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास की सुविधा मिले तो बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अतीत में दिव्यांगजनों के साथ समाज में बहिष्कृतों की तरह व्यवहार किया जाता था जिससे दिव्यांगजन स्वयं को

अलग–थलग व अवांछित महसूस करते थे जबकि समाज उन्हें अपने ऊपर बोझ महसूस करता था। दिव्यांगजनों के माता–पिता, बच्चों और भाई–बहन को भी इस नकारात्मक दृष्टिकोण, गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता था परिणामस्वरुप दिव्यांगजन हाशिए पर आ गए थे। उनकी हाशियाकरण की यह स्थिति सामाजिक अज्ञानता, अंधविश्वास व नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण थी। धीरे–धीरे सामाजिक जागरुकता, आर्थिक विकास, तकनीकी का समावेश तथा शिक्षा नीतियों में हुए परिवर्तन के कारण दिव्यांगजनों को हाशिए से समाज के मुख्यधारा में शामिल करने में सकारात्मक पहलू सामने आये है। शिक्षा की नीतियों/प्रविधियों /योजना में यह परिवर्तन पृथक्करण और समेकन के बाद समावेशी शिक्षा के स्तम्भ पर प्रकाशमान है। उनकी शिक्षा सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी पहले से अधिक जागरुकता उत्पन्न हुई है। दिव्यांगजनों के हाशियाकरण की स्थिति को दूर करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास शुरु हो रहे हैं ताकि दिव्यांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रुप में देखा जाए। दिव्यांगजनों के हाशियाकरण के स्थिति से निपटने के लिए शिक्षा क्षेत्र का दायरा लगातार बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहें है। हालाँकि कई तरह के शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। लेकिन स्थिति फिर भी संतोषजनक नहीं है। ऐसे में बेहतर तरीके से योजनाएँ लागू करने की आवश्यकता है, जिससे दिव्यांगजनों का आने वाला समय बेहतर हो। नयी शिक्षा नीति (2015) ने इस दिशा में नई उम्मीद जगाई है। हाशियाकरण की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में दिव्यांगता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतिया हों, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियाँ हो, पठन सामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आभासी शिक्षा माध्यम हो।

1-2 mnns';

इस इकाई को अध्ययन करने के उपरांत आप :–

1. हाशियाकरण, समावेशी शिक्षा, पृथक्करण तथा समेकन का अर्थ समझ सकेंगे।
2. दिव्यांगजनों पर हाशियाकरण के प्रभावों की व्याख्या कर सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा की नीतियों को समझ सकेंगे।
4. पृथक्करण को स्पष्ट कर सकेंगे।
5. समेकन तथा उसके विभिन्न योजना/मॉडल को स्पष्ट कर सकेंगे।
6. दिव्यांगजनों के हाशियेकरण की स्थिति को परिवर्तित करने में विभिन्न शैक्षिक नियोजन–पृथक्करण, समेकन तथा समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन कर सकेंगे।

1-3 gkf'k;kdj.k D;k g\

अतीत से ही दिव्यांगजनों को व्यावहारिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बाधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता रहा है जिससे सामाजिक समावेशन प्रभावित रहा है। दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रुप में देखने की प्रवृत्ति से दिव्यांगजनों के प्रति समाज के व्यवहार में एक नकारात्मक रुख इस सामाजिक धारणा का परिणाम रहा है कि व्यक्ति में दिव्यांगता उसके पिछले पाप या कर्म (भाग्य) के कारण होती है, चूँकि यह भगवान द्वारा दी गई सजा है, अतः कोई भी इस स्थिति को नहीं

बदल सकता है। इन बाधाओं का संचयी प्रभाव यह है कि दिव्यांगजन समाज और अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से बाहर होकर हाशिए पर हैं। वे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में गैर–दिव्यांग लोगों की तुलना में अधिक नुकसान का अनुभव करते हैं। कई दिव्यांग लोगों द्वारा प्रतिकूल परिणाम झेलने की वजह से उनके स्वयं और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है। समाज से उन्हें बहिष्कृत होने का दंश झेलना पड़ता है। नतीजन समाज में वे हाशिये पर होते हैं और उनकी हाशियाकरण की स्थिति सामाजिक देश का परिणाम होता है।

gkf'k;kdj.k dk ey vFkZ g 0;fDrxr] vUrol;fäd o lkekftd Lrjk ij i.k lkekftd thou rFkk vU; vko';drkvk l oafpr j[kk tkukA

हाशिए पर होने पर व्यक्ति समाज के मुख्यधारा से अलग हो बहिष्कृत का दंश झेलता है जिससे उसका समावेशन अवरुद्ध हो जाता है। सामाजिक संरचना में किसी व्यक्ति या समाज के हाशिए पर होने के कई आधार हैं। जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, क्षेत्र आदि अनेक कारक हाशियाकरण के आधार रहे हैं। दिव्यांगजन अपनी दिव्यांगता के कारण सामाजिक अज्ञानता, अंधविश्वास व नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण हाशिए की स्थिति पर हैं। उनका व्यक्तिगत, अन्तवैर्यक्तिक व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित रखा जाना उनकी दिव्यांगता को कलंक के रुप में देखे जाने का परिणाम है। इस तरह दिव्यांग व्यक्ति हाशियाकरण की स्थिति में है। शिक्षा में भी वे हाशिए पर हैं क्योंकि दिव्यांगता की वजह से इनकी सामाजिक स्वीकार्यता में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक–सांस्कृतिक एकीकरण में दिव्यांग हाशिए पर होते हैं क्योंकि सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश अभी भी अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से संघर्ष कर रहा है।

1-3-1 fn0;kaxtu ij gkf'k;kdj.k dk iHkko

दिव्यांगता के कारण एकाधिक नुकसानों को झेलने वाले दिव्यांगजन के समूहों की समस्याओं को लैंगिक अंतर की कसौटी पर जाति, नस्ल, धर्म, स्थान, क्षेत्र आदि और जैसे अन्य सामाजिक कारकों के सापेक्ष समझा जा सकता है। दिव्यांगता और लैंगिक वर्ग दोनों ही पूर्व निर्धारित होते हैं। लेकिन इनके आधार पर खासवर्ग की उपेक्षा की जाती है। पुरुषों के मध्य दिव्यांग उसे समझा जाता है जो सामान्य व्यक्ति की परिभाषा के अनुरुप शक्ति, शारीरिक क्षमता और स्वायत्तता को पूरा करने में विफल रहा है। इसी तरह ऐसी धारणा बनी हुई है कि एक दिव्यांग महिला गृहणी, पत्नी और माँ की भूमिका को पूरा करने में असमर्थ है और शारीरिक उपस्थिति के संदर्भ में सौंदर्य और नारीत्व के स्थापित मान्यताओं के अनुरुप नहीं है। ये ही सबसे अधिक हाशिए पर हैं और शारीरिक, मानसिक व सामाजिक रुप से सबसे अधिक प्रताड़ित हैं और सदियों के लिए उपेक्षा, मौखिक, शारीरिक उत्पीड़न का शिकार बने हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा के दौरान प्रायः साझा हितों, स्कूल की गतिविधियों और खेल के माध्यम से दोस्ती होती है। सामान्य रुप से कई दिव्यांग बच्चे आमतौर पर साथियों के साथ बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा कौशल की कमी के कारण होता है। इस तरह की दोस्ती बनाये रखने के लिए संचार अपरिहार्य है। इसमें संचार की कला सीखने और सम्बन्ध बनाने के कौशल शामिल हैं, जिसे बालक परिवार जैसे अन्य सामाजिक परिवेश में संवाद के जरिए सीखता है। व्यवहार की सामाजिक प्रकृति बचपन में ही तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी सामाजिक अनुभव बच्चे के वयस्क होने पर उसके व्यवहार को निर्धारित करने में बड़ा प्रभाव डालता है। सुनने में अक्षम और मंदबुद्धि बच्चे अपने आस–पास के लोगों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करने में अक्षम होते हैं। नए दोस्त बनाने में पिछड़ जाने से उनके आत्म–सम्मान में कमी आती है और इस तरह अंततः उनका सामाजिक समावेश प्रभावित होता है। अलगाव और बेचैनी में वृद्धि का मूल कारण

मुख्य धारा से जुड़ने के लिए संचार में आ रही कठिनाईयों की रुकावट है। वहीं दूसरी ओर, दृश्य और चलने फिरने की निःशक्तता, उनकी सीमाओं के कारण समाज में काफी स्पष्ट है, इसलिए समाज भी काफी हद तक इस सीमाओं को स्वीकार कर रहा है और इनके प्रति एक रुढ़िबद्धता का एक स्पष्ट रवैया दर्शाता है। अतः नागरिक समाज को विभिन्न प्रकार की निःशक्तता वाले लोगों के साथ संवाद स्थापित करने और उनके सामाजिक समावेशन के उपाय तलाशने का अवसर मुहैया करना बेहद महत्वपूर्ण है।

भाषिक तौर पर मजबूत लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा दिव्यांग लोगों में हीनता भाव बढ़ाती है। उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों के साथ सार्थक सम्बन्धों की स्थाना के लिए अवसरों से संचित किया जाता है। उन पर अनुत्पादक होने का ठप्पा लगा दिया जाता है और इसलिए उन्हें बोझ समझा जाता है।

बहुत से दिव्यांगजन अपने स्थानीय समुदाय और अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रभावी योगदान करने में असमर्थ होते हैं, तब भी सहयोगपूर्ण समर्थन की बदौलत वे कार्य कर रहे हैं। वे अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। वर्तमान में उनमें से केई लोगों, के पास कोई काम नहीं है, जो कि सम्भावित कौशल और क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर उनकी ऊर्जा का केवल सदुपयोग हो जाए, तो आशायें बढ़ जायेंगी। काम करने, कमाने के लिए उन्हें सशक्त किये जाने के बजाए कई दिव्यांग लोगों को लाभ, सरकार और परिवार के समर्थन पर आश्रित रहने के लिए छोड़ दिया गया है। कमाने के दिनों में कमजोर आर्थिक परिणामों से उनके बुढ़ापे की भी सही व्यवस्था नहीं हो पाती है इस प्रकार के नुकसान की स्थिति लम्बे समय तक जारी रहने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

अगर शारीरिक बाधाओं की बात करें तो, कई दिव्यांग लोग आसपास का दिव्यांगता अनुकूल वातावरण जैसे परिवहन व्यवस्था, सुलभ इमारत आदि सुविधा उचित प्रकार से मिल पाना मुश्किल होता है। मुम्बई में दिव्यांग यात्रियों को ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों का आधारभूत संरचना उनके अनुकूल नहीं है जिससे यात्रा के दौरान वे अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सामान्य लोगों की भांति ही दिव्यांग लोगों को भी ट्रेनों में सुरक्षित यात्रा करने और रेलवे बोर्ड से उनके शारीरिक विविधता के अनुकूल ट्रेन में सुविधाएँ मुहैया कराने की मांग करने का अधिकार है।

सरकार अलग–अलग दिव्यांगता वाले लोगों के लिए उनकी विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने सम्बन्धी सरकारी नीतियों को बनाते समय या उन्हें लागू करने के दौरान दिव्यांग समूहों को न तो तवज्जो देती है न उनसे मशविरा करती है और न ही उन्हें शामिल करती है। बहुत बार दिव्यांग लोगों को लगता है कि वे एक ऐसी व्यवस्था से जूझ रहे हैं जो खंडित, जटिल और नौकरशाही प्रवृत्ति की है और जिसका दिव्यांग लोगों के जीवन में सुधार लाना और उनके सामाजिक समावेशन में कोई लेना–देना नहीं है। इस राजनीतिक और कानूनी प्रक्रियाओं से दिव्यांग लोगों के लिए अलगाव और उपेक्षा की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि उनको सामाजिक बहिष्कार के तौर पर सामने आता है।

1-3-2 gkf'k;kdj.k dk iHkkfor dju okys dkjd

यह सर्वविदित तथ्य है कि हाशिए पर स्थित व्यक्ति को सामाजिक रुप से बहिष्कृत का दंश झेलना पड़ता है तथा उनका सामाजिक–सांस्कृतिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। दिव्यांगजन को हाशियाकरण की स्थिति में इन सभी दंशों का सामना करना पड़ा है। हाशियाकरण की स्थिति को प्रभावित करने में विभिन्न कारक निम्नवत् हैं जो हाशिए की स्थिति को दूर कर दिव्यांगजन को सामाजिक व सांस्कृतिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है–

- दिव्यांगजनों के हाशियाकरण से निपटने के लिए निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का अंत हो और एक ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय जिसमें हम दिव्यांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समावेशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और समर्थन दें।

- हाशियेकरण की इस स्थिति को दूर करने की जिम्मेदारी अकेले सरकार की न होकर सामूहिक रुप से दिव्यांग के स्वयं की नियोक्ताओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, शिक्षकों, स्थानीय समुदायों और वस्तु एवं सेवा प्रदाताओं के साथ ही अन्य लोगों की भी है। सभी को अपने स्तर पर दिव्यांगों के जीवन को सहज बनाने और उनके समुचित सामाजिक समावेश के लिए कार्य करने की जरुरत है।

- विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता, उनकी जरुरतों, उनकी क्षमताओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के लिए संवेदीकरण/जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

- चिकित्सा, पेशेवरों, अध्यापकों, वकीलों, नियोक्ताओं, रोजगार अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए दिव्यांगता के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए, दिव्यांगों के साथ काम करने के दौरान कौशल विकसित करने और दिव्यांगता और दिव्यांगों के प्रति उनके नजरिए को बदलने के लिए सेवा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- दिव्यांगों के शक्ति, दृष्टिकोण और क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करने की और उन्हें स्वयं को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की जरुरत है।

- दिव्यांग लोगों के लिए विशेषज्ञ और मुख्यधारा की नीति से समर्थित अवसरों तक पहुँच जरुर होनी चाहिए, जिससे वे समाज में अपना योगदान दे सकें और इससे, चूँकि समाज को उनकी क्षमताओं में विश्वास बढ़ेगा, परिणामतः, ऐसे लोगों का सामाजिक समावेश की प्रक्रिया आसान हो जायेगी।

- सामान्य नागरिकों के साथ–साथ ही दिव्यांगों की जरुरतों को भी सभी मुख्यधारा की नीतियों को बनाते समय और उन्हें लागू करते समय शीघ्रता से शामिल किया जाना चाहिए।

- दिव्यांगों में सरकार के समर्थन और सेवाओं के प्रति मनोभावों को बदलने की जरुरत है। उनके साथ समुचित संवाद स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

- बाधामुक्त और समावेशी परिवेश के लिए सार्वभौमिक प्रारुप अपनाने की जरुरत है।

- दिव्यांगजन की दिव्यांगता को अभिशाप या कलंक की जगह इसे 'प्राकृतिक' तौर पर लिए जाने के लिए समर्थन की जरुरत है।

- दिव्यांगजन के पुनर्वास व शिक्षा की समुचित व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, अवरोध–मुक्त वातावरण, रोजगार, दिव्यांगता से निपटने वाले मौजूदा अधिनियमों में सुधार, गैर–सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन, खेल–कूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप, दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान आदि पर समुचित ध्यान देने की जरुरत है।

1-4 lekos'kh f'k{kk

समावेशी शिक्षा का प्रत्यय सन् 1994 के सलामांका सम्मलेन में इस मूल भावना/ऐसे समावेशी समाज की परिकल्पना करता है जिसमें दिव्यांगों की उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, उनके प्रगति और विकास हेतु समान अवसर

और बाधामुक्त अनुकूल वातावरण प्रदान की जाती है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार है और उसे पढ़ने व लिखने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेषताएँ, रुचि, योग्यताएँ और अधिगम आवश्यकताएँ होती हैं और इनके इस व्यैक्तिक विभिन्नताओं का आदर किया जाना चाहिए। इस समावेशी दृष्टिकोण को समेटे समावेशी शिक्षा एक ऐसी दूरदर्शी शैक्षिक परिकल्पना है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों को जाति, लिंग, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, संस्कृति, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव और समान रुप से बाधामुक्त बुनियादी सुविधाओं और शैक्षिक वातावरण में प्रभावी शिक्षा दिया जाना चाहिए। किसी भी विभिन्नता के आधार पर किसी बच्चे को शिक्षा से इंकार नहीं किया जा सकता। समावेशी शिक्षा शून्य बहिष्करण (शून्य बहिष्करण) नीति का पोषक है।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है, जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य बिना किसी भेदभाव के एक साथ एक ही विद्यालय में सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ उनकी सीखने–सिखाने के जरुरतों को पूरा किया जाये।

समावेशी शिक्षा के मायने समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है जिसके अन्तर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। समावेशित शिक्षा के दर्शन के अन्तर्गत प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की भांति विकसित करने के लिए कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बालक के पीछे रह जाने के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, बल्कि उन्हें कक्षा में भली प्रकार समाहित न कर पाने का जिम्मेदार अध्यापक को स्वयं समझना चाहिए। जिस प्रकार हमारा संविधान किसी भी आधार पर किये जाने वाले भेदभाव को निषेध करता है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न ज्ञानेन्द्रिय, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक आदि कारणों से उत्पन्न किसी बालकों की, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं के बावजूद उन बालकों को भिन्न देखे जाने के बजाए स्वतन्त्र अधिगमकर्ता के रुप में देखती है।

- lekosf'kr f'k{kk dk egRo ,o vko';drk& समावेशित शिक्षा प्रत्येक बालक के लिए उच्च और उचित उम्मीदों के साथ उसकी व्यक्तिगत शक्तियों का विकास करती है। प्रत्येक बालक स्वाभाविक रुप से सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। समावेशी शिक्षा अन्य बालकों, अपने स्वयं के व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के सामंजस्य स्थापित करने में सहयोग करती है। समावेशी शिक्षा सम्मान और अपनेपन की विद्यालय संस्कृति के साथ–साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए अवसर प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा बालक को अन्य बालकों के समान कक्षा गतिविधियों में भाग लेने और व्यक्तिगत लक्ष्यों पर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करती है। समावेशित शिक्षा बालकों की शिक्षा की गतिविधियों में उनके माता–पिता को भी सम्मिलित करने की वकालत करती है। समावेशित शिक्षा सही मायनों में शिक्षा का अधिकार जैसे शब्दों का रुपान्तरित रुप है जिसे कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। समावेशित शिक्षा समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का समर्थन करती है।

- lekosf'kr f'k{kk gsrq j.kuhfr;k& समावेशित शिक्षा हेतु कुछ रणनीतियाँ इस प्रकार हो सकती है–

- lekosf'kr fo|ky; okrkoj.k& बालकों की शिक्षा चाहे वह किसी भी स्तर की हो, उसमें विद्यालय के वातावरण का बहुत योगदान होता है। विद्यालय का

वातावरण ही कुछ चीजों की शिक्षा बालकों को स्वयं भी दे देता है। समावेशित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय का वातावरण सुखद और स्वीकार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक, चलिष्णुता, दैनिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक साज, सम्मान शैक्षिक सहायताओं, उपकरणों, संसाधनों, भवन आदि का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। बिना इनके विद्यालय में समावेशित माहौल बनाने में कठिनाई हो सकती है।

- lcdk fy, fo|ky;& समावेशित शिक्षा की मूल भावना है एक ऐसा विद्यालय जहाँ सभी बालक एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, परन्तु सामान्यतः इस तरह की बातें देखने और सुनने में आती रहती है कि किसी बालक को उसकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते हुए, विद्यालय में प्रवेश देने से मना कर दिया या किसी विशेष विद्यालय में उसके दाखिले के लिए कहा हो। समावेशित शिक्षा के उद्देश्यों को सभी बालकों तक पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय में दाखिले की नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हालाँकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 इस संदर्भ में एक प्रभावी कदम कहा जा सकता है परन्तु धरातल पर इसकी वास्तविकता में अभी भी संदेह होता है।

- ckydksa ds vuq#i ikB~;Øe& बालकों को शिक्षित करने का सबसे असरदार तरीका है कि उन्हें खेलने के तरीकों तथा गतिविधियों के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम, बालकों की अभिवृत्तियों, मनोवृत्तियों, आकांक्षाओं तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता तथा पर्याप्त लचीलता होनी चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रुचि के अनुसार अनुकूल बनाया जा सकें, बालकों में विभिन्न योग्यताओं व क्षमताओं का विकास हो सकें, उसे विद्यालय से बाहर, बालक के सामाजिक जीवन से जोड़ा जा सके। बालक को सामाजिक रुप से एक उत्पादित नागरिक बनाने में योगदान दे सकें। इसके अतिरिक्त, बालक के समय का सदुपयोग करने की शिक्षा प्राप्त हो सकें।

- ekxZn'kZu o funsZ'ku dh 0;oLFkk& विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक और परिवार, सामुदायिक अभिकरणों के साथ विद्यालय कर्मचारियों के बीच सहयोग और सहकारिता शामिल है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत घर से विद्यालय जाने समय बालक को आरम्भ में नये परिवेश में अपने आपको समायोजित करने में कुछ असुविधा हो सकती है। जैसे आरम्भ में कक्षा के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होना, दोस्तों का अभाव, नामकरण आदि के कारण बालक के आत्मविश्वास में कमी होना। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तनों में कठिनाई के दौर में मार्गदर्शन एवं निर्देशन से बालक को इस संक्रमण काल में काफी सहायता मिलती है। उचित मार्गदर्शन व निर्देशन से बालक और उसके माता–पिता दोनों ही परिवर्तनों के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रुप से तैयार किए जा सकते हैं।

- lgk;d rduhdh midj.kksa dk mi;ksx& आज के युग में तकनीकी उपायों से मानव जीवन काफी हद तक सुगम हो गया है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आज तकनीकी का प्रभाव देखा जा सकता है। समावेशित शिक्षा की सफलता के लिए और उसके प्रचार–प्रसार के लिए शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी का उपयोग

किये जाने की आवश्यकता है। टी0वी0 कार्यक्रमों, कम्प्यूटर, मोबाइल फोन, सहायक शिक्षा व चलुष्णुता तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बालकों की शिक्षा, सामाजिक अर्न्तक्रिया, मनोरंजन आदि में प्रभावशाली भूमिका निभाई जा सकती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि समावेशित शिक्षा वातावरण हेतु बालकों, अभिभावकों, शिक्षकों को इसकी नवीन तकनीकी विधियों से परिचित करवाया जाये तथा उनके प्रयोग पर बल दिया जाए।

- **lenk; dh lfØ; Hkkxhnkjh&** विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा की पूरी बुनियाद प्रतिभागिता निर्मित करने पर टिकी हुई है। एक अकेले व्यक्ति के प्रयासों से उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। समावेशित शिक्षा हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालयों को सामुदायिक जीवन का केन्द्र बनाया जाना चाहिए जिससे की बालक की सामुदायिक जीवन की भावना को बल मिले क्योंकि उसे एक निश्चित समय के पश्चात् उसी समुदाय का एक सक्रिय सदस्य के रुप में अपनी भूमिका का निर्वाह करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय–समय पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद–विवाद, खेलकूद, देशाटन जैसे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए और उनमें बालकों के अभिभावकों को समाज के अन्य सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए जिससे कि उन्हें इन बालकों के एक समावेशित शिक्षा वातावरण में शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में फैली भ्राँतियों को दूर कर उन्हें इन बालकों की योग्यता व प्रतिभाग से परिचित करवाया जा सके।

- **f'k{kd dk Ik;kIr if'k{k.k&** शिक्षक को ही शिक्षा पद्धति की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति तथा शैक्षिक संस्थाओं की आधारशीला माना गया है। यद्यपि यह बात सत्य भी है कि विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहभागी क्रियायें, सहायक शिक्षक सामग्री आदि सभी वस्तुयें व क्रियाकलापों को भी शैक्षिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है, परन्तु शिक्षक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रुप से शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करता है। समावेशित शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है क्योंकि समावेशित शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक केवल अपने आपको केवल शिक्षण कार्य तक ही अपने आपको सीमित नहीं रखता है, अपितु विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों का कक्षा में उचित ढंग से समायोजन करना, उनके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक सामग्री का निर्माण करना, विद्यालय के अन्य कर्मचारियों, अध्यापकों तथा विशिष्ट अध्यापक से बालक की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग व सहकारपूर्ण व्यवहार करना, बालक को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं का वितरण करना आदि कार्य भी करने पड़ते हैं। इसलिए अध्यापक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्णतः निपुण हो। उसे विशिष्ट सामग्री की जानकारी हो। बालकों के प्रति स्वस्थ व सकारात्मक अभिवृत्तियाँ रखता हो, उनके मनोविज्ञान को समझता हो।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समावेशन की नीति को हर स्कूल और सारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक रुप से लागू किये जाने की जरुरत है। बच्चे के जीवन के हर क्षेत्र में वह चाहे स्कूल में हो या बाहर सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की जरुरत है। स्कूलों को ऐसा केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता है जहाँ बच्चों को जीवन की तैयारी कराई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि सभी बच्चों खासकर शारीरिक व मानसिक रुप से असमर्थ बच्चों, समाज के हाशिए पर जीने वाले बच्चों और कठिन परिस्थितियों में जीने वाले बच्चों को शिक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से सबसे ज्यादा लाभ मिले।

1-5 iFkDdj.k

अतीत में जब शारीरिक अथवा मानसिक दिव्यांग व्यक्ति तथा उसके परिवार को शापित मान कर समाज उन्हें बहिष्कृत कर देता था, ऐसे में इस दिव्यांग बच्चों की पुनर्वास की कोई योजना धरातल पर नहीं आ सकी थी। धीरे–धीरे गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक प्रयास से दिव्यांगजनों के पुनर्वासन की योजना शुरु हो पायी। लेकिन अब भी यह पुनर्वास पूर्णतया सामाजिक न होकर वैयक्तिक ही है। दिव्यांगजनों का पुनर्वासन पृथक्करण के रुप में शुरु हुआ। इनकी शिक्षा की व्यवस्था पृथक रुप से की गई है जिसके परिणामस्वरुप विशेष विद्यालय और गृहआधारित शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ हुआ। पृथक्करण का आरम्भ इनके प्रति पुनर्वासन की भावना में सामाजिक अलगाव ज्यादा प्रभावी था। परिणामस्वरुप इन बच्चों को सामाजिक–सांस्कृतिक गतिविधियों से वंचित होना पड़ा। इनकी शिक्षा, विशेष विद्यालय में जहाँ एक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे एक साथ पढ़ते थे वहाँ शुरु हुई।

पृथक्करण में दिव्यांग बच्चों के पुनर्वासन की शुरुआत तो हई लेकिन इस योजना का दुष्प्रभाव यह रहा कि दिव्यांग बच्चों का सामाजिक समावेशन नहीं हो सका। सामाजिक रुप से अभी भी इन बच्चों को स्वीकार्यता नहीं मिली। सामाजिक अभिवृत्ति में बदलाव लाने में सफल नहीं हो सका। पृथक्करण में दिव्यांग बच्चों को विशेष विद्यालय में विशेष अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है। सामान्य अध्यापक व सामान्य बच्चों से इनका कोई जुड़ाव नहीं होता, जिसके कारण दिव्यांग बच्चों का समाज में समंजन होने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

1-6 lesdu

समेकन यानि समेकित शिक्षा का तात्पर्य दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालय में समेकित करने से है, उन्हें शिक्षित करने से है। दिव्यांगजन को शिक्षा के साथ–साथ सामाजिक विकास की भी जरुरत है जिससे उनका पूर्ण विकास हो। अतीत में दिव्यांगजनों को शिक्षा विशेष विद्यालयों के माध्यम से दी जाती रही थी। धीरे–धीरे यह आवश्यकता महसूस हुई कि इन बच्चों को विशेष विद्यालयों से बाहर दी जाय जिससे इनका सामाजिक विकास भी हो। इसी के तहत समेकित शिक्षा यानी समेकन शब्द प्रचलन में आया जिसके तहत विशेष विद्यालयों से दिव्यांग बच्चों को कुछ समय के लिए सामान्य विद्यालयों में पढ़ाये जाने लगा। बाद में पूर्व नियोजित निर्धारित कौशलों को विद्यालय जाने से पहले सिखाया जाने लगा और फिर इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में नामांकन दिया जाने लगा जहाँ विशेष शिक्षक, संसाधन कक्ष, सहायक उपकरण–संसाधन की सहायता से इन बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। इस तरह समेकन या समेकित शिक्षा के मूल में दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना था जहाँ सामान्य विद्यालय में प्रवेश से पहले दिव्यांग बच्चों को पूर्व नियोजित कौशलों को सिखना अपरिहार्य था।

fp= % पृथक्करण, समेकन व समावेशन के सप्रत्यय को निम्न चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है:–

iFkDdj.k&

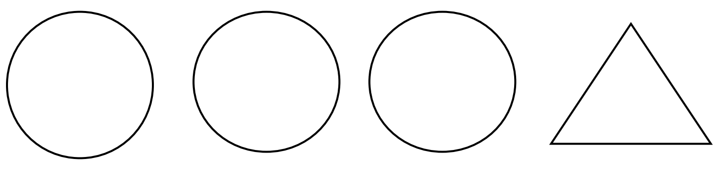

lekdu&

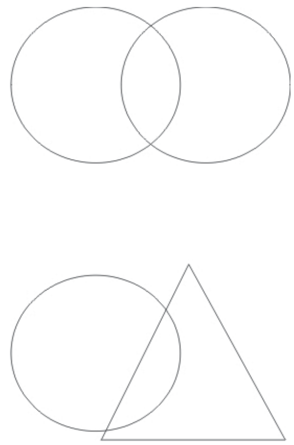

lekos'kh f'k{kk

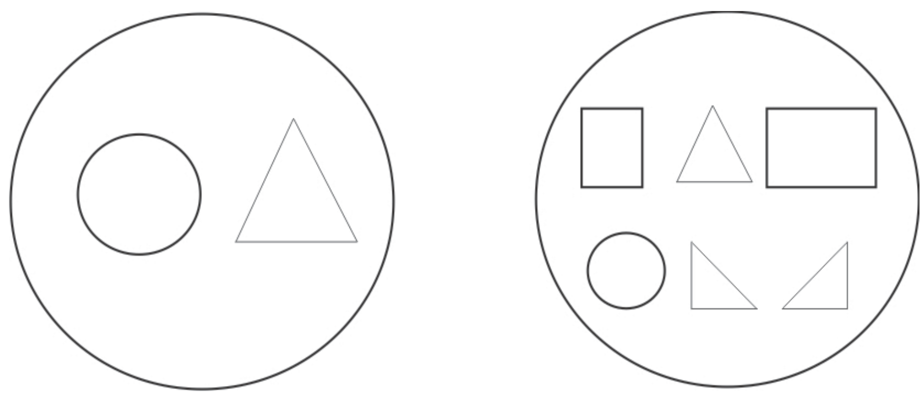

cks/k iz'u

1. पृथक्करण, समेकन एवं समावेशी शिक्षा में उदाहरण सहित विभेद कीजिए?

....
....

2. हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले किन्ही दो कारकों को लिखिए?

....
....

1-6-1 y{; ,oa mn~ns';

समेकित शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नवत है–

y{;– समेकित शिक्षा का उद्देश्य कम से कम अवरोधक पर्यावरण में दिव्यांग बच्चों के जीवन एवं शिक्षा का सामान्यीकरण करना है। इस प्रणाली में दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। ध्यानयोग्य बातें है कि दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने से पहले निर्धारित व आवश्यक पूर्वकौशलों का ज्ञान कराया जाता है। ताकि इनका समंजन बेहतर रुप से किया जा सके।

mnn';– समेकित शिक्षा का उद्देश्य दिव्यांग बच्चों के लिए सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षिक अवसर एवं शैक्षिक अनुभवों को प्रदान करना है। इन बच्चों को उनके परिवार, पड़ोसी एवं सामान्य बच्चे उनके सामान्य परिस्थितियों में उन्हें अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करें। दिव्यांग बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह को प्रदर्शन के द्वारा यह अनुभव कराना कि दिव्यांग बच्चे पहले बच्चे है फिर दिव्यांग। दिव्यांग बच्चों के व्यक्तित्व का विकास करना समाज का अभिन्न हिस्सा बन सके, समाज में अपनी भूमिका स्पष्ट कर सके। जितना सम्भव हो समाज में समाज के सभी खण्डो में अपना योगदान दे सकें।

lefdr f'k{kk dk ikIr dju d vko';d dkjd– समेकित शिक्षा के सफलता के आवश्यक कारक हैं – विशिष्ट अध्यापकों का प्रावधान ताकि विभिन्न स्तरों पर संसाधन अध्यापकों की सेवाएँ प्रदान की जा सके। सभी उपयोगी शैक्षिक किताबों का प्रावधान एवं विशिष्ट सहायक सामग्री एवं उपकरणों का चयन होना चाहिए। सामान्य कक्ष अध्यापकों, विद्यालय प्रबन्धकों, परिवारों, सामान्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों एवं सामान्य जनता को दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के मामले में परामर्श देना। सामान्य परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों एवं स्व–सेवकों के लिए सहायक सेवाओं जैसे पढ़ने की सेवा एवं सामग्री का पूर्णत उपयोग किया जाय। ये सभी कारक समेकित शिक्षा को प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कारकों में सम्मिलित हैं।

1-6-2 lefdr f'k{kk d ekMy

भारत में समेकित शिक्षा वैकल्पिक न होकर अनिवार्य हो गयी है। प्रारम्भ की प्रक्रिया में अधिकतर दिव्यांग बच्चे शैक्षिक सेवाओं के अन्तर्गत आते हैं। समेकित शिक्षा एक मितव्ययी उपागम माना गया है और इसलिए सामान्य विद्यालयों में, सामान्य शिक्षण प्रणाली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्वीकार करना आरम्भ कर दिया है। भारत में समेकित शिक्षा के सभी प्रकार के मॉडल पाये जाते हैं। समेकित शिक्षा के महत्वपूर्ण मॉडल निम्न हैं–

1- **l l k/ku ekMy–** इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चे को सामान्य कक्षा में नामांकित किया जाता है। इस योजना में सामान्य विद्यालय में एक संसाधन कक्ष होता है जहाँ एक विशेष अध्यापक, जिसे संसाधन अध्यापक कहते हैं, सामान्य अध्यापक के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध रहता है। इसमें विशेष अध्यापक का सबसे अधिक दायित्व दिव्यांग बच्चों के विशेष कौशलयुक्त योजना का निर्माण करना होता है। सामान्य अध्यापक इन बच्चों के विषय से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा की योजना तैयार करता है। एक पूर्णकालिक संसाधन अध्यापक एक संसाधन कार्यक्रम में 8–10 दिव्यांग बच्चों को नियंत्रित करता है।

2- **ifjHkkeh ekMy–** इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बालक/बालिका अपने घर के पास स्थित सामान्य विद्यालय में नामांकित होता है जहाँ उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य अध्यापक एवं परिभ्रामी (भ्रमणकारी) अध्यापक के संयुक्त प्रयत्नों के द्वारा किया जाता है। इस मॉडल की निम्न विशेषताएँ हैं :

   - इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चे विभिन्न विद्यालयों में बंटे होते हैं। परिभ्रामी शिक्षक प्रतिदिन यात्रा कर बच्चे के पास पहुँचता है। परिभ्रामी अध्यापक के द्वारा सप्ताह में 2 से 3 बार प्रत्येक बच्चे के पास भ्रमण करते हैं। प्रत्येक विद्यालय के पास अपना संसाधन कक्ष न होने की स्थिति में परिभ्रामी अध्यापक के लिए एक संसाधन किट रखना सुविधाजनक होता है। इस मॉडल के अन्तर्गत विद्यालय का चयन 8 किमी0 के क्षेत्र के अन्तर्गत होना चाहिए। हाँलाकि यह दूरी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता के विस्तृत विवरण पर निर्भर है।

3- **l;Dr ;ktuk@ekMy–** इस मॉडल को संसाधन व परिभ्रामी मॉडल भी कहा जाता है। इसके अन्तर्गत अध्यापकों की क्रियाओं के बीच कुछ कार्यक्रमों की संयुक्त व्यवस्था की जाती है। एक जिले के संयोजन में संसाधनों के आधार पर 3 प्राथमिक विद्यालय एवं चार माध्यमिक विद्यालय, परिभ्रामी के आधार पर होता है, या अध्यापक प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय के संसाधन कक्ष में प्रतिदिन सेवाएँ देता है और दूसरी ओर माध्यमिक स्तर पर परिभ्रामी शिक्षक के रुप में अपनी भूमिका तय करता है। एक ही शिक्षक को संसाधन कक्ष में और परिभ्रामी शिक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभाना पड़ता है। इसीलिए इस मॉडल को संसाधन व परिभ्रामी मॉडल/योजना कहा जाता है।

4- **lg;kxh ;ktuk@ekMy&** इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चे एक विशेष अध्यापक के साथ नामांकित होकर एक विशेष कक्ष से सामान्य कक्ष के लिए दिन में कुछ समय के जाता है। इस योजना में विशेष कक्ष ही उसका मुख्य कक्ष होता है। विशेष अध्यापक सामान्य कक्षाध्यापक के सहयोग के साथ योजना बनाता है एवं दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होता है। यह योजना/मॉडल देर से शिक्षा प्रारम्भ करने वाले दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए उपयुक्त है।

5- **leg@lenk; ekMy&** ऐसे स्थान जहाँ बहुत पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहाँ पर आवागमन की व्यवस्था बहुत कम है। जहाँ की भौगोलिक विशेषता की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने में काफी समय लग जाता है। ऐसे परिवेश में समुदाय/समूह मॉडल ही विकल्प है। यह मॉडल उपग्रह की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के मानचित्र बनाते हैं एवं सेवाएँ प्रदान करने की प्रणाली को विकेन्द्रीकृत करते हैं। क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र इसके प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। मुख्य संसाधन केन्द्र सभी अन्य केन्द्रों का पर्यवेक्षण करता है।

6- **f}&f'k{kk ekMy–** यह योजना वहाँ सफल है जहाँ पर दिव्यांग बच्चों की संख्या बहुत कम है। ऐसे स्थिति में सामान्य शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री एवं सीमित क्षमता सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ सामान्य कक्ष के दायित्वों के अलावा दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करता है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने व उनके साथ कार्य करने के लिए सामान्य अध्यापक को इस मॉडल के अन्तर्गत प्रेरित किया जाना चाहिए। इस मॉडल के अन्तर्गत एक अध्यापक दोनों भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है।

7- **cg&dk'ky v/;kid ;ktuk–** यह मॉडल इस परिकल्पना पर आधारित है कि एक अध्यापक को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाय कि वह एक साथ कई तरह के दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो। उसे विभिन्न दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया हो जिससे वह सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चों को सेवा दे सकें।

1-7 gkf'k;kdj.k cuke lekos'kh f'k{kk] iFkDdj.k vkj lekos'ku

समावेशन, जो कि सामाजिक बहिष्कार के विपरीत है, यह उन परिस्थितियों और आदतों को बदलने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो सामाजिक बहिष्कार का नेतृत्व करते हैं अथवा जिन्होंने पहले ऐसा किया है। विश्व बैंक सामाजिक समावेश को पहचान के आधार पर वंचित या हाशियाकरण की स्थिति लोगों के लिए सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उनकी क्षमता, अवसर और गरिमा में सुधार की प्रक्रिया के

रुप में परिभाषित करता है। वैश्विक स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों का समूह सबसे बड़े हाशिये पर स्थित समूहों में से एक है, जो उपेक्षा, अभाव, अलगाव और बहिष्कार का सामना कर रहा है। 20वीं सदीं के उत्तरार्द्ध में ज्यादातर देशों ने दिव्यांग व्यक्तियों को कुछ विशेष सहायता प्रदान किए हैं। इसके तहत मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के माध्यम से उनके लिए दान और संस्थागत देखभाल से लेकर उपचार और पुनर्वास तक की व्यवस्था की गई है। भारत की आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़ी संख्या में हाशिए पर खड़े इस दिव्यांग जनसमूह के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है और दिव्यांग लोगों के कल्याण और पुनर्वास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तैयार किए हैं। हाशिए पर स्थित दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का विकास हुआ जिनमें पृथक्करण, समेकन तथा समावेशी शिक्षा योजना प्रमुख रहे हैं। दिव्यांगजनों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किये जाने वाले आरम्भिक प्रयास में पृथक्करण पहले आता है। पृथक्करण के अन्तर्गत हाशिए पर स्थिति दिव्यांगजन को शिक्षा दिया गया। उनके लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना हुई। गैर–सरकारी संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन इन प्रयासों से सामाजिक समावेशन को व्यापक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह व्यैक्तिक रहा। दिव्यांगजन समाज से अलग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पृथक्करण के पश्चात् दिव्यांगजन की शिक्षा योजना में समेकन यानि समेकित शिक्षा का आगमन हुआ जहाँ पहली बार दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ सामान्य बच्चों के अनुकूल बने विद्यालयों पर शिक्षा दी जाने की पहल की गई जिससे दिव्यांगजन को मुख्यधारा में सम्मिलित किया जा सके। यह एक सराहनीय प्रयास था जहाँ हाशिए पर स्थिति दिव्यांगजन को कि समाज से अलग विशेष रुप से बने विद्यालय में शिक्षित किये जा रहे थे, उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद शुरु हो गई। लेकिन अब भी पूर्ण समावेशन नहीं हो सका क्योंकि दिव्यांगजन की समस्या अब भी व्यैक्तिक थी, विद्यालय या समाज की नहीं। कालान्तर में 1990 के दशक में समावेशी शिक्षा की दस्तक ने सम्पूर्ण विश्व में धीरे–धीरे हाशियेकरण की स्थिति में पड़े दिव्यांगजन के लिए क्रान्तिकारी परिवर्तन किये। पहली बार दिव्यांगजन के पूर्ण रुप से सामाजिक–आर्थिक समावेशन पर जोर दिया गया। 'सभी के लिए शिक्षा' के सिद्धान्त को अपने मूल में निहित कर समावेशी इस बात पर महत्व देता है कि किसी भी बच्चे को चाहे वो दिव्यांग हो या किसी भी प्रकार से भिन्न हो, उसे सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ अनुकूलित शैक्षिक वातावरण तथा बाधारहित बुनियादी सुविधाओं के माहौल में शिक्षा लेने का अधिकार है। दिव्यांगता अभिशाप नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है, इस नैतिक विचार के साथ समावेशी शिक्षा ने हाशिएकरण पर स्थित दिव्यांगजन के जीवन में आमूल–चूल परिवर्तन किये हैं। हाँलाकि समावेशी शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए भिन्न प्रयास हो रहे हैं, लेकिन स्थिति फिर भी बहुत संतोषजनक नहीं हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि समावेशी शिक्षा की योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू किया जाय, जिससे दिव्यांगजन हाशिए से हटकर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें, अपनी सशक्त भूमिका के साथ देश के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में खुद को प्रतिस्थापित कर सकें।

ck/k i'u

3. संसाधन मॉडल से आप क्या समझते है ?

....

....

4. द्वि–शिक्षा मॉडल क्या है ?

....

....

1-8 bdkbl lkjk'k

भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतन्त्रता तथा न्याय सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रुप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत संयुक्त समावेशी समाज बनाने पर जोर डालता है। हाल के बदलते नजरिये से हाशियाकरण की स्थिति में पहुँचे दिव्यांगजनों के जीवन स्तर में काफी बदलाव हुआ है। हाशियाकरण वह स्थिति है जिसमें दिव्यांगजन या हाशिए पर स्थित व्यक्ति, अन्तर्वैयक्तिक व सामाजिक स्तरों पर पूर्ण सामाजिक जीवन तथा अन्य आवश्यकताओं से वंचित कर दिया जाता है। हाशियाकरण की स्थिति में दिव्यांगजन को समाज के मुख्यधारा से अलग हो बहिष्कृत का दंश झेलना पड़ता है जिससे उसका सामाजिक समावेशन अवरुद्ध हो जाता है। परिणामस्वरुप समावेशी समाज की परिकल्पना कोरी प्रतीत होती है। यह स्पष्ट है कि हाशियाकरण की स्थिति दिव्यांगजनों के प्रति अज्ञानता, अंधविश्वास तथा नकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। हाशियाकरण की वजह से दिव्यांगजन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे समाज की मुख्य धारा से अलग–थलग पड़ जाते हैं। उनके साथ–साथ उनके परिवार के मनोसामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक रुप से भी इनकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। सामाजिक – सांस्कृतिक रुप से ये पिछड़ जाते हैं तथा इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। दिव्यांगजनों को हाशियेकरण की स्थिति से बाहर लाने के लिए विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक–आर्थिक प्रयास किये जाते रहे हैं। शिक्षा के लिए किये गये प्रयासों में पृथक्करण, समेकन तथा समावेशी शिक्षा जैसी योजनाएँ प्रमुख रही है। पृथक्करण के तहत दिव्यांगजन को सामान्य बच्चों से अलग इनके लिए विशेष रुप से बनाये गये विशेष विद्यालयों में शिक्षा का प्रावधान किया था। पृथक्करण के तहत इनकी शिक्षा की जिम्मेदारी विशेष शिक्षक पर होती थी। पृथक्करण का एक नकारात्मक पहलू यह रहा कि बच्चों की सामाजिक विकास से वंचित रहना पड़ता था। समेकन यानि समेकित शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था से था जिसमें दिव्यांगजन को पूर्व वांधित–नियोजित कौशलों को सीखकर सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने से था। इसके तहत समेकित शिक्षा के विभिन्न योजनाओं जैसे संसाधन मॉडल, परिभ्रामी मॉडल, संयुक्त योजना, सहयोगी योजना, समूह समुदाय मॉडल, द्वि–शिक्षा मॉडल, बहु–कौशल अध्यापक योजना के द्वारा इन बच्चों को शिक्षा दिया जाने लगा। समावेशी शिक्षा 'सभी के लिए शिक्षा के सिद्धान्त' पर आधारित है जो यह संकल्पित रहती है कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। दिव्यांगजन को उसकी दिव्यांगता के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी बालक किसी भी देश, धर्म, संस्कृति, जाति, रंग–रुप, समुदाय या शारीरिक रुप से भिन्न हो या दिव्यांग हो उसे सामान्य विद्यालय में एक साथ बाधा रहित व सकारात्मक शैक्षिक वातावरण में शिक्षा पाने का अधिकार है। दिव्यांगजन की शिक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय और समाज की है। इस तरह हाशियाकरण को मूल से खत्म करने में समावेशी शिक्षा अपनी महती भूमिका को संकल्पित करती है।

1-9 ck/k i'uk d lEHkkfor mRrj

i'u &01 पृथक्करण, समेकन एवं समावेशी शिक्षा में उदाहरण सहित विभेद कीजिए?

mRrj&01 पृथक्करण :– दिव्यांगजनों का पुनर्वासन पृथक्करण के रुप में शुरु हुआ। इनकी शिक्षा की व्यवस्था पृथक रुप से की गई है जिसके परिणामस्वरुप विशेष विद्यालय और गृहआधारित शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ हुआ।

समेकनः— विशेष विद्यालयों से दिव्यांग बच्चों को कुछ समय के लिए सामान्य विद्यालयों में पढ़ाये जाना। बाद में पूर्व नियोजित निर्धारित कौशलों को विद्यालय जाने से पहले सिखाया जाना तथा इन बच्चों को सामान्य विद्यालय में नामांकन करवाना।

समावेशी शिक्षाः— समावेशी इस बात पर महत्व देता है कि किसी भी बच्चे को चाहे वो दिव्यांग हो या किसी भी प्रकार से भिन्न हो, उसे सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ अनुकूलित शैक्षिक वातावरण तथा बाधारहित बुनियादी सुविधाओं के माहौल में शिक्षा प्रदान करना।

i'u &02- हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले किन्ही दो कारकों को लिखिए ?

mRrj&02 हाशियाकरण को प्रभावित करने वाले दो कारक :—

1. व्यक्तिगत,
2. अन्तवैर्यक्तिक व सामाजिक स्तर

i'u &03 संसाधन मॉडल से आप क्या समझते है ?

mRrj&03 इस शैक्षिक योजना के अन्तर्गत दिव्यांग बच्चे को सामान्य कक्षा में नामांकित किया जाता है। इस योजना में सामान्य विद्यालय में एक संसाधन कक्ष होता है जहाँ एक विशेष अध्यापक, जिसे संसाधन अध्यापक कहते हैं, सामान्य अध्यापक के साथ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए उपलब्ध रहता है। इसमें विशेष अध्यापक का सबसे अधिक दायित्व दिव्यांग बच्चों के विशेष कौशलयुक्त योजना का निर्माण करना होता है। सामान्य अध्यापक इन बच्चों के विषय से सम्बन्धित सामान्य शिक्षा की योजना तैयार करता है। एक पूर्णकालिक संसाधन अध्यापक एक संसाधन कार्यक्रम में 8—10 दिव्यांग बच्चों को नियंत्रित करता है।

i'u &04 द्वि—शिक्षा मॉडल क्या है ?

mRrj&04 यह योजना वहाँ सफल है जहाँ पर दिव्यांग बच्चों की संख्या बहुत कम है। ऐसे स्थिति में सामान्य शिक्षक सहायक शिक्षण सामग्री एवं सीमित क्षमता सम्बन्धी प्रशिक्षण के साथ सामान्य कक्ष के दायित्वों के अलावा दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करता है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षित करने व उनके साथ कार्य करने के लिए सामान्य अध्यापक को इस मॉडल के अन्तर्गत प्रेरित किया जाना चाहिए। इस मॉडल के अन्तर्गत एक अध्यापक दोनों भूमिका में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है।

1-10 viuh ixfr dh tkp djs

1. हाशियाकरण से आप क्या समझते हैं? हाशियाकरण के दिव्यांगजन पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए।
2. समेकित शिक्षा का तात्पर्य है? समेकित शिक्षा के मॉडल/योजना का विवरण दें।
3. समावेशी शिक्षा तथा समेकित शिक्षा व पृथक्करण में विभेद कीजिए।

1-11 fu;r dk;@xfrfof/k;k

1. अपने आस–पास में स्थित विशेष विद्यालय, समेकित पद्धति पर आधारित विद्यालय व समावेशी पद्धति पर आधारित विद्यालयों को सूचीबद्ध करें तथा उनके शिक्षा व्यवस्था व बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए।
2. भारत द्वारा चलायी जा रही समावेशी शिक्षा की नीतियों को सूचीबद्ध करें।

1-12 ppk@Li"Vhdj.k d fcUnq

1. हाशियाकरण से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करें।
2. समावेशी शिक्षा किस तरह हाशियाकरण की स्थिति को दूर करने में सक्षम है या हो सकती है, इस विषय पर सामूहिक परिचर्चा करें।

1-13 lnHk@iLrkfor iBu lkexh

समर्थ (2006) : समावेशी शिक्ष हेतु तीन दिवसीय शिक्षक – प्रशिक्षण संदर्भिका, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (2006): इन्क्लूसिव एजुकेशन, www.unesco.org पर उपलब्ध

1. Arvanitakis, J.& Hornsby, D.J.(Eds.)(2016). University, the citizen scholar and the future of higher education. Palgrave Critical University Studies.
2. Begrer, W.(2016) A more beautiful question: The power of inquiry to spark breakthrough ideas, Bloomsbury.
3. Borghi, S., Mainardes, E., Silva, E. (2016). Expectation of higher education students: A comparison between the Perception of students and teachers. Teritary Education and Management 22(2), 171-188.

bdkb&2

lekos'kh f'k{kk dk fl)kUr vkj d{kk&d{k e fofo/krk

ljpuk

2.1 परिचय

2.2 उद्देश्य

2.3 समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त

2.4 कक्षा–कक्ष में विविधता का तात्पर्य

2.5 कक्षा–कक्ष में विविधता का संयोजन : कैसे?

2.6 इकाई सारांश

2.7 बोध प्रश्नों के सम्भावित उत्तर

2.8 अपनी प्रगति की जांच करें

2.9 नियत कार्य/गतिविधियां

2.10 चर्चा/स्पष्टीकरण के बिन्दु

2.11 संदर्भ/प्रस्तावित पठन सामग्री

2-1 ifjp;

समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर के सिद्धान्त में अन्तर्निहित है। यह इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है, अगर उसे अनुकूल शैक्षिक वातावरण मुहैया कराया जाय। समावेशी शिक्षा अपने मूल में इस सिद्धान्त को अन्तर्निहित करती है कि व्यक्ति किसी भी स्थान पर हो, किसी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष हो अथवा दिव्यांग हो, प्रत्येक जीवन की एक योजना है, एक उद्देश्य है, एक मूल्य है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि दिव्यांग व्यक्ति सर्वाधिक प्रेरणास्पद व्यक्ति होते है। उन्हें समान अवसर दिया जाना चाहिए। अपनी अलग क्षमताओं के साथ वे सामान्य व्यक्तियों के अनुरुप क्षमतावान सिद्ध होंगे और यदि हम सभी इसे स्वीकार कर लेते हैं तो हमें समाज में परिवर्तन दिख सकता है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त को निर्दिष्ट करती है कि प्रत्येक बच्चे को भेदभाव बगैर शिक्षा प्रदान किया जाए तथा दिव्यांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा का सुनिश्चियन हो। समावेशी शिक्षा अपने आदर्श संकल्पनाओं को व्यवहार मूर्त कर एक सफल समावेशी समाज का मार्ग प्रशस्त करती है।

2-2 mnn';

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप :–

1. समावेशी शिक्षा के सिद्धान्तों को समझ सकेंगे।

2. कक्षा–कक्षा में विविधता का निहितार्थ स्पष्ट कर सकेंगे।

3. समावेशी शिक्षा और कक्षा–कक्ष में विविधता के परस्पर निरुपण के यथार्थ को समझ सकेंगे।

2-3 leko'kh f'k{kk ds fl)kUr

समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त निम्नवत् हैं :–

1- 'kSf{kd voljksa dh lekurk& समावेशी शिक्षा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराये जाने के सिद्धान्त को निर्दिष्ट करती है। सभी बच्चों को जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, रंग व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किये बिना समान रुप से बच्चों के रुचि और योग्यता के अनुकूल शैक्षिक अवसर प्रदान करने पर बल देता है।

2- ck/kkjfgr rFkk vuqdwfyr 'kSf{kd okrkoj.k& समावेशी शिक्षा इस बात पर विशेष ध्यान देती है कि बच्चों को खासकर दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को शिक्षा के लिए बाधारहित तथा अनुकूलित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाय। विद्यालय व संस्था बुनियादी आधारभूत संरचनाओं को बाधा मुक्त कर शैक्षिक अवसरों को प्रदान कर इन्हें शिक्षा के प्रति जागरुक व उत्साहित करें।

3- ^^lHkh ds fy, f'k{kk** dk fl)kUr& प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यह जिम्मेदारी समाज की है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अंगीकृत करे। यह तभी सम्भव होगा जब बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर बाधामुक्त व अनुकूलित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाय।

4- izR;sd ckyd lh[k ldrk gS ¼**Every Child Can Learn**½@oS;fDrd fofHkUurk dk fl)kUr& समावेशी शिक्षा इस तथ्य को स्वीकार करती है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है यदि उसे अनुकूल शैक्षिक वातावरण मिले। इसलिए किसी भी बच्चे को उसकी दिव्यांगता के वजह से उसे शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी बच्चे को उसके सीखने की गति या योग्यता के आधार पर उसका नकारात्मक वर्गीकरण बच्चे के लिए अवरोध ही पैदा करेगा। इसलिए व्यैक्तिक विभिन्नता को स्वीकार करने व स्वागत करने की जरुरत है। तभी सभी बच्चें खासकर दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को शिक्षा में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक बालक की अपनी विशिष्ट योग्यता, रुचि, विशेषताएँ तथा अधिगम आवश्यकताएँ होती है। उनकी इस व्यैक्तिक विभिन्नता का सम्मान किया जाना चाहिए।

5- fnO;kaxrk leL;k ugha fofHkUurk gS& समावेशी शिक्षा दिव्यांगता को एक समस्या के रुप में न देखकर इसे व्यैक्तिक विभिन्नता के रुप में स्वीकार करता है। शोध यह स्पष्ट करते हैं कि एक ही कक्ष में सामान्य व दिव्यांग बच्चों को पढ़ाये जाने पर उत्साहित करने वाले परिणाम मिलते है। सामान्य बच्चों में प्रतियोगिता का स्तर बढ़ा है वही दिव्यांग बच्चों का सामाजिक समावेश बेहतर हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट दिव्यांगता समस्या नहीं अपितु कक्षा–कक्ष की विभिन्नता व विविधता है जो कक्षा–कक्ष को शैक्षिक सामाजिक रुप से समृद्ध करती है।

6- lkekftd U;k; dk fl)kUr& समावेशी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्तों में एक सामाजिक न्याय का सिद्धान्त है। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि सभी को

शिक्षा में शामिल किये बिना, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये बिना समावेशी समाज का निर्माण नहीं हो सकता तथा यह समाजिक न्याय के विरुद्ध होगा। सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है कि हाशिये पर स्थित दिव्यांगजन को समान शैक्षिक वातावरण जो अनुकूलित व बाधारहित हो उपलब्ध कराया जाय।

7- vuqdfyr o yphyk ikB;Øe] lgk;d midj.k o lalk/ku& समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त पर बल देता है कि सभी बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है अगर पाठ्यक्रम में अनुकूलन व लचीलापन बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं तथा विशिष्ट योग्यता के आधार पर किया जा रहा हो। सहायक उपकरण व सहायक संसाधन दिव्यांग बच्चों के समावेशन में महती भूमिका तय करते है। उदाहरण के तौर पर विशेष शिक्षक एक मानव संसाधन के रुप में दिव्यांग छात्र को आ रही विशेष समस्याओं के निराकरण में सामान्य शिक्षक के साथ मिलकर एक बेहतर रुपरेखा का निर्माण व क्रियान्वयन करता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में लचीलेपन एवं अनुकूलन हेतु विभिन्न पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिये तथा दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को गणिताय संप्रत्यय को पढ़ने हेतु ABACUS, Truilor fame इत्यादि का प्रयोग वांछनीय है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों हेतु भाषायी क्षेत्र को पाठ्यक्रम में सम्मलित किया जाना चाहिए। इसप्रकार बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु कार्यात्मक पठन–पाठन को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु Tactile TLM तथा बौद्धिक अक्षम बच्चों हेतु Functional TLM का प्रयोग किया जाना चाहिए।

8- leL;k ckyd esa ugha] f'k{kk O;oLFkk esa g& समावेशी शिक्षा दिव्यांगता से ग्रसित बालक को समस्या के रुप में नहीं देखता बल्कि शिक्षा व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार मानता है कि ऐसे बच्चों को अनुकूल व बाधारहित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त पर आधारित है कि अगर शिक्षा व्यवस्था अनुकूलित है तो उसे प्रत्येक बच्चे को अंगीकृत करना चाहिए। अगर उनके स्वीकार्यता में कमी है तो यह समस्या शिक्षा व्यवस्था में है–शिक्षक की अभिवृत्ति में, सही शिक्षण प्रविधि में, उपयुक्त शिक्षण सामग्री व संसाधन में, बाधायुक्त वातावरण में, खराब शिक्षक प्रशिक्षण में, विद्यालय की नीतियों में। विद्यालय को बच्चे के अनुकूल खुद को तैयार करना होगा न कि बच्चा विद्यालय के अनुरुप खुद को तैयार करेगा। इस तरह समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बालक शिक्षा व्यवस्था के केन्द्र में स्थित होते हैं।

cks/k iz'u

1. ''सभी के लिए शिक्षा'' के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

....

....

2. अनुकूलित एवं लचीले पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं।

....

....

2-4 d{kk&d{k e| fofo/krk dk rkRi;l

एक समावेशी कक्षा में विभिन्न व विविध देश, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जाति, रंग, वर्ग व विभिन्न दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों का समूह हो सकता है। जहाँ इन बच्चों की विभिन्नता व विविधता अनेकता में एक सिद्ध होकर, संकल्पित समावेशी कक्षा–कक्ष का निर्माण करती है। कक्षा–कक्ष में विविधता अनेकता में एक सिद्ध होकर, संकल्पित समावेशी कक्षा–कक्ष का निर्माण करती है। कक्षा–कक्ष में विविधता का तात्पर्य भी यही है जहाँ कक्षा के केन्द्र में स्थित बच्चों की विविधता से है। यह विविधता उनके संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, देश, रंग, वर्ग व दिव्यांगता सहित अन्य हो सकती है। यह विविधता कक्षा–कक्ष के शैक्षिक वातावरण को समृद्ध और समावेशी बनाता है। कक्षा–कक्ष में बच्चों के इन विविधताओं का परस्पर समंजन भविष्य की समावेशी समाज की रुपरेखा तय करता है। बच्चों की विविधताओं का पारस्परिक संवाद और व्यवहार पूरे विद्यालय में सकारात्मक शैक्षिक माहौल तैयार करते हैं जो अंततः समावेशन के मार्ग को प्रशस्त करता है। विविधताओं के युक्त कक्षा–कक्ष का सफल नियंत्रण अति आवश्यक एवं चुनौतीपूर्ण होता है।

2-5 d{kk&d{k e| fofo/krkvk| dk l|;kstu % dl|l\

समावेशी शिक्षा का सफल होना सिर्फ यह बात तय नहीं करती की दिव्यांग बच्चों का नामांकन सामान्य विद्यालयों में हो जाय जहाँ वे सामान्य बच्चों के शिक्षा प्राप्त करें बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि विद्यालय व कक्षा–कक्ष में उपस्थित विविधताओं से युक्त विभिन्न बच्चों जिनमें दिव्यांग बच्चे भी शामिल हो उनका सामंजस्य कितने सफल और सहज तरीके से किया जा रहा है। कक्षा–कक्ष की विविधताओं का संयोजन ही सफल समावेशी शिक्षा की कूंजी होता है। ऐसे में कक्षा–कक्ष की विविधताओं का संयोजन एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसके सफल संयोजन के लिए विभिन्न घटकों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होता है जो निम्नवत् है–

1- **d{kk&d{k d| v/;kid dh Hkfedk&** कक्षा–कक्ष में विविधता का संयोजन सफल होने की महती भूमिका होती है। यह वह महत्वपूर्ण घटक है जो बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर शिक्षण कार्य के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है। बच्चों में एक–दूसरे की विभिन्नताओं तथा विविधताओं का सम्मान करना सीखाता है जो बच्चों में समावेशी दृष्टिकोण के विकास में नितान्त सहायक होता है। कक्षा–कक्ष में पढ़ा रहे शिक्षक को समग्र दृष्टिकोण के साथ शिक्षण कार्य को करना चाहिए। किसी भी संस्कृति, धर्म, जाति, भाषा, दिव्यांगता या अन्य किसी विभिन्नता के आधार पर पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। बच्चों में समग्र भावना का विकास करना चाहिए।

2- **fofo/k leko'kh f'k{k.k ifof/k;k| dk i|;kx&** अध्यापक को बच्चों के संयोजन (विविधताओं) के लिए विविध शिक्षण विधियों का उपयोग करना चाहिए। बच्चों के विविधताओं के आयामों को अपने शिक्षण बिन्दुओं में शामिल कर बच्चों की सहभागिता को बढ़ाना चाहिए। नाटक संवाद, समूह कार्य, टोली योजना आदि माध्यमों से बच्चों में पारस्परिक सद्भाव व संवाद स्थापित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों में एक दूसरे के प्रति समझ का विकास होता है जिससे कक्षा–कक्ष में समावेशन बढ़ता है।

3- **i|/kkukpk;|@lLFkk/;{k dh Hkfedk&** किसी संस्था का प्रमुख एक सफल समावेशित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानाचार्य अथवा संस्थाध्यक्ष प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन में अपनी भूमिका

का निर्वाह करता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय की नीतियों में समावेशी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जहाँ किसी भी बच्चे को भेदभाव का शिकार नहीं होना पड़े। विद्यालय में हो रहे सांस्कृतिक व खेल–कूद के आयोजनों में दिव्यांग बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित हो, इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। प्रधानाचार्य का संस्था प्रमुख को विशेषज्ञों की मदद से सामान्य अध्यापकों के लिए अभिमुखीकरण कार्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन व समावेशन के प्रति जागरुकता फैल सके। विद्यालय में बाधारहित बुनियादी सुविधाओं के निर्माण तथा शैक्षिक वातावरण को समावेशी बनाने के लिए सतत प्रयास, नवीनीकरण व मूल्यांकन कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। बच्चों को प्रधानाचार्य का सम्बोधन बच्चों के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करता है। प्रधानाचार्य को विद्यालय में बहुसंस्कृतिकरण के मूल्यों का विकास करना चाहिए।

4- lenk; dh Hkfedk& समुदाय की भूमिका अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रुप से कक्षा–कक्ष के विविधताओं के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विविध संस्कृति व विविधताओं तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण पारस्परिक सद्भाव व समंजन का मार्ग प्रशस्त करता है। बच्चों सहित अध्यापक, प्रधानाध्यापक तथा अन्य जिम्मेदार मशीनरियों का समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण विविधताओं के स्वीकार्यता व स्वागत के लिए प्रोत्साहित करता है। अभिप्रेरित बच्चे, शिक्षक व संस्था से सम्बन्धित व्यक्ति कक्षा–कक्ष के विविधताओं के संयोजन में मनोभाव से संलग्न होते हैं।

<u>ck/k iz'u</u>

3. कक्षा कक्ष विविधता से आप क्या समझते है ?

....

....

4. समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका लिखियें।

....

....

2-6 bdkbZ lkjka'k

समावेशी शिक्षा 'सभी के लिए' शिक्षा के सिद्धान्त पर कार्य करता है। सभी बच्चों को जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, क्षेत्र, रंग व दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव किये बिना समान रुप से शैक्षिक अवसर बाधारहित शैक्षिक वातावरण में सुनिश्चित हो इसके लिए शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धान्त पर बल देता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धान्त यह निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक बालक सीख सकता है, उसमें सीखने की योग्यता होती है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब बच्चों की रुचि व योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम में लचीलापन व अनुकूलन हो। समावेशन का सिद्धान्त सामाजिक न्याय के सिद्धान्त का अनुसरण करता है तथा दिव्यांगता को समस्या नहीं चुनौती के रुप में स्वीकार करता है। समावेशी शिक्षा का सिद्धान्त शिक्षा व्यवस्था को दिव्यांग बच्चों के समावेशन में आ रही समस्या के लिए जिम्मेदार मानता है। बच्चों के विविधताओं व विभिन्नताओं को कक्षा–कक्ष की समृद्धि के रुप में स्वीकार करता है। कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन में समावेशी उपागम की

भूमिका अग्रणी होती है। कक्षा–कक्ष के अध्यापक, विविध समावेशी शिक्षण प्रविधियाँ, प्रधानाचार्य की भूमिका तथा समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण कक्षा–कक्ष की विविधताओं के संयोजन में सफल भूमिका तय करते हैं।

2-7 ck/k iz'uksa ds lEHkkfor mRrj

iz'u&1 "सभी के लिए शिक्षा" के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए।

mRrj&1 प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। यह जिम्मेदारी समाज की है कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे को अंगीकृत करे। यह तभी सम्भव होगा जब बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर बाधामुक्त व अनुकूलित शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराया जाय।

iz'u&2 अनुकूलित एवं लचीले पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं।

mRrj&2 समावेशी शिक्षा इस सिद्धान्त पर बल देता है कि सभी बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकता है अगर पाठ्यक्रम में अनुकूलन व लचीलापन बच्चों के अधिगम आवश्यकताओं तथा विशिष्ट योग्यता के आधार पर किया जा रहा हो। सहायक उपकरण व सहायक संसाधन दिव्यांग बच्चों के समावेशन में महती भूमिका तय करते है।

iz'u&3 कक्षा कक्ष विविधता से आप क्या समझते है ?

mRrj&3 एक समावेशी कक्षा में विभिन्न व विविध देश, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र, जाति, रंग, वर्ग व विभिन्न दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों का समूह हो सकता है। जहाँ इन बच्चों की विभिन्नता व विविधता अनेकता में एक सिद्ध होकर, संकल्पित समावेशी कक्षा–कक्ष का निर्माण करती है।

iz'u&4 समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका लिखियें।

mRrj&4 समुदाय की भूमिका अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रुप से कक्षा – कक्ष के विविधताओं के संयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विविध संस्कृति व विविधताओं तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति समुदाय का सकारात्मक दृष्टिकोण पारस्परिक सद्भाव व समंजन का मार्ग प्रशस्त करता है।

2-8 viuh izxfr dh tkap djsa :

1. समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त की व्याख्या करें।

2. कक्षा–कक्ष में विविधताओं के संयोजन में समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त के महत्व का निरुपण करें।

2-9 fu;r dk;Z@xfrfof/k;k¡

1. कक्षा–कक्ष के विविधताओं के संयोजन में भूमिका निभाने वाले महत्वपूर्ण घटकों की भूमिका पर परिचर्चा करें।

2. आस–पास के विद्यालय में समावेशन पर चलाई जा रही गतिविधियों की सूची तैयार करें।

2-10 ppk@Li"Vhdj.k dk fcUnq

1. समावेशन–समावेशी शिक्षा को सफल बनाने में शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया जाना चाहिए? चर्चा करें।
2. समावेशी शिक्षा के सिद्धान्त को अंगीकृत करने हेतु एक विद्यालय को क्या–क्या करना चाहिए? सामुहिक चर्चा करें।

2-11 lnHk@iLrkfor iBu lkexh

1. Stone, D., Patton, B., & Heen, S, (2010), Difficut conversations; How to discuss what matters mosr, Panguln Books.
2. Tanner, K.D.(2013). Structure matters; Twentey-one teaching strategies to promote student engagement and cultivate classroom equity. CBE--Life Sciences Education 12(3), 322-331.
3. Tobin, T.J.(2014). Incerase online student retenion with Universal Desgin for Learning. Quartetly Review of Distance Education15.3:13-24,48.
4. Tobin, T.J.(2013). Universal design in online courses; Beyond disanilities. Online Classroom 13(12), 1-3.
5. Walton, G.M.&Cohen G.L.(2011). A brief social-belonging intervention improve academic and health outcoms of minority student, Science 331(6023), 1447-1451.

bdkbZ&3

lekos'kh f'k{kk dh ck/kk,¡

lajpuk

3.1 परिचय

3.2 उद्देश्य

3.3 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ का तात्पर्य

3.4 समावेशी शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले कारक

- 3.4.1 अभिवृत्तिय कारक
- 3.4.2 सामाजिक और सांस्कृतिक कारक
- 3.4.3 आर्थिक कारक
- 3.4.4 व्यावसायिक दक्षता की कमी
- 3.4.5 सरकारी नीतियों में अस्पष्टता और देख–रेख में कमी

3.5 समावेशी शिक्षा की बाधाएँ : इनका निदान

3.6 इकाई सारांश

3.7 बोध प्रश्नों के सम्भावित उत्तर

3.8 अपनी प्रगति की जांच करें

3.9 नियत कार्य / गतिविधियाँ

3.10 चर्चा / स्पष्टीकरण के बिन्दु

3.11 संदर्भ / प्रस्तावित पठन सामग्री

3-1 ifjp;

एक समय था, जब शारीरिक अथवा बौद्धिक अक्षमता को दिव्यांग व्यक्ति के परिवार तथा स्वयं उस व्यक्ति के लिए अभिशाप माना जाता था। इसे पिछले जन्म में किए गए पापों के बदले भगवान से मिला दण्ड माना जाता था। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान ने ऐसी गलतफहमी दूर करने में मदद की है। दिव्यांगता को अब ऐसी नकारात्मक पहलुओं से सम्बन्धित नहीं किया जा रहा है। विज्ञान एवं नए आविष्कारों ने उनकी दिव्यांगता के कारण उत्पन्न कमी को बहुत हद तक दूर कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है। बौद्धिक अक्षमता ग्रसित व्यक्तियों को भी समाज में उनकी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अधिक स्वीकार्यता एवं प्रतिक्रिया होने से लाभ हुआ है। उनकी शिक्षा सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं के सम्बन्ध में समावेशी शिक्षा की पहल से सम्पूर्ण विश्व में स्वीकार्यता, सकारात्मकता तथा

जागरुकता बढ़ी है। समावेशी शिक्षा ने दिव्यांगजन को समाज में हाशियाकरण से मुख्य धारा में लाने की समावेशी वातावरण तैयार की है। किन्तु दिव्यांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रुप में शामिल करने के समावेशी शिक्षा के प्रयासों के राह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण अब भी समस्या है। समावेशी शिक्षा को चुनौती देने वाली बाधाएं दिव्यांगजन को मुख्यधारा में शामिल किये जाने के प्रयास में अस्थायी लेकिन रेखांकित बाधाएँ उत्पन्न कर रहीं है। जरुरत है इन बाधाओं को दूर करने की जिससे संकल्पित समावेशी समाज व राष्ट्र का निर्माण किया जा सके।

3-2 mnns';

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप :–

1. समावेशी शिक्षा की बाधाओं को समझ सकेंगे।
2. समावेशी शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले कारकों का विश्लेषण कर सकेंगे।
3. समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाय, इसका औचित्य समझ सकेंगे।

3-3 lekos'kh f'k{kk dh ck/kk,¡ dk rkRi;Z

समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को भेदभाव बगैर शिक्षा प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता का ध्यान रखने वाले बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु केवल प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है। दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में बगैर भेदभाव के शिक्षा देने की राह में आ रही प्रतिबद्धता की कमी–सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत और अभिवृत्तिय ही समावेशी शिक्षा की बाधाएँ के रुप में परिलक्षित होती दिखती हैं। समावेशी शिक्षा की राह में आ रही बाधाएँ दिव्यांगजनों के शैक्षिक अधिकारों चाहे शिक्षा में प्रवेश हो, प्रवेश नीतियाँ हों, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियाँ हों, पठन सामग्री की अनुकूलता हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, को प्रभावित करती दिख रहीं हैं।

3-4 lekos'kh f'k{kk esa ck/kk igq¡pkus okys dkjd

समावेशी शिक्षा में बाधा पहुँचाने वाले कारकों में मूल तत्व यह है कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा की स्पष्टता की कमी, नीतियों, कार्य योजना, कानूनी प्रावधानों, अभियान तथा संसाधन आवंटन में होना है। अतीत में हमने देखा है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं माना जाता था और सामान्य शिक्षा प्रणाली में हमारे विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को सच्चे अर्थों में समावेशी शिक्षा का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था।

lekos'kh f'k{kk dh jkg esa cM+h ck/kk ekus tkus okys dkjd fuEu gSa &

- दिव्यांग बच्चे शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षित हैं और इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।
- परिवारों की सहायता नहीं की जाती।
- शिक्षकों के पास पाठ्यक्रम अपनाने योग्य प्रशिक्षण, नेतृत्व, ज्ञान एवं संसाधन नहीं होते।

- शिक्षा की खराब गुणवत्ता।
- माता–पिता, शिक्षकों, प्रशासकों एवं नीति निर्माताओं के लिए बहुत कम ज्ञान एवं जानकारी उपलब्ध होना।
- समावेशी शिक्षा हेतु ढांचा–प्रशासन, नीति, योजना, वित्त, क्रियान्वयन एवं निगरानी का नहीं होना।
- समावेश के लिए जन समर्थन नहीं होना।
- जवाबदेही एवं निगरानी की व्यवस्था नहीं होना।

3-4-1 vfHkofÙk; dkjd

समावेशी शिक्षा की राह में आ रही सबसे बड़ी बाधाओं में अभिवृत्तिय कारक एक महत्वपूर्ण बाधा के रुप में स्थापित है। देश, समाज और व्यक्ति की नकारात्मक अभिवृत्ति–दिव्यांगजनों के प्रति, समावेशी शिक्षा में बड़ी बाधा पहुँचा रहा है। समावेशी शिक्षा सफल हो इसके लिए नितान्त आवश्यक है कि दिव्यांगजनों के परिवार, समाज, देश और स्वयं दिव्यांगजन भी साकारात्मक अभिवृत्ति के साथ समावेशन के लिए प्रतिबद्ध हों। नकारात्मक अभिवृत्ति के कारण दिव्यांगजनों को परिवार, समाज, विद्यालय में स्वीकार्यता में कठिनाई आती रही है जो इनके समावेशन में बाधा है।

3-4-2 lkekftd vkj lkLdfrd dkjd

सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का दिव्यांगजन की स्वीकार्यता और संयोजन में सहज नहीं दिखना समावेशी शिक्षा की राह में एक बड़ी बाधा के रुप में अवस्थित है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सामान्य शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं मानता जिससे आवश्यक सकारात्मक वातावरण जो समावेशी शिक्षा की धूरी है स्थित हो जाती है। दिव्यांगता को एक समााजिक कलंक के रुप में देखने की प्रवृत्ति से दिव्यांग लोगों के प्रति समाज के व्यवहार में एक नकारात्मक रुख दिखाई देता है। समाज में यह धारणा है कि व्यक्ति दिव्यांगता उसके पिछले पाप या कर्म (भाग्य) के कारण होती है, चूँकि यह भगवान द्वारा दी गई सजा है, अतः कोई भी इस स्थिति को नहीं बदल सकता है। इन बाधाओं का संचयी प्रभाव यह है कि दिव्यांगजन समावेशी शिक्षा का अभिन्न अंग बनने में वंचित हो जा रहे हैं।

3-4-3 vkfFkd dkjd

समावेशी शिक्षा के लिए बनी नीतियों के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए वित्तीय अनुपलब्धता समावेशी शिक्षा की बाधाओं के प्रमुख कारकों में शामिल है। इन वित्तीय सहायता के अभाव में समावेशी शिक्षा के लिए जरुरी बुनियादी ढांचागत निर्माण, उपकरण, शिक्षक को जरुरी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, संसाधन की पूर्ति में बाधा पहुँचाती है जो प्रत्यक्ष रुप से समावेशी शिक्षा को प्रभावित करती है।

3-4-4 0;kolkf;d n{krk dh deh

चिकित्सा पेशेवरों, अध्यापकों, सिविल सेवकों, वकीलों नियोक्ताओं, रोजगार अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए दिव्यांगता के बारे में जानकारी की कमी के

साथ–साथ विशेष रुप से इन बच्चों से सम्बन्धित पेशेवर की व्यावसायिक दक्षता की कमी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से सीधे तौर पर समावेशी शिक्षा की राह में बाधा डालती है।

3-4-5 ljdkjh uhfr;k e vLi"Vrk vkj fuxjkuh e deh

सरकारी नीतियों का निर्माण इस तरह से होना जिससे निर्भरता और निम्न आशा की संस्कृति का निर्माण होता है, समावेशी शिक्षा के लिए बाधा का काम करते हैं। नीतियों की अस्पष्टता भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार कारक है। क्रियान्वित नीतियों का समय–समय पर उचित मूल्यांकन न होना, उनकी निगरानी में उचित प्रबन्धन की कमी समावेशन के राह में बाधा पहुँचाने का काम करती है। शिक्षकों के बी0एड0 और एम0एड0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांगता और शिक्षण के अध्यायपन पर अनिवार्य पाठ्यक्रम का न होना भी समावेशी शिक्षा के लिए जरुरी शिक्षक संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाता है। जिससे इस समावेशी व्यवस्था के लिए बाधा उत्पन्न करती है। सरकारी नीतियाँ स्वयं ही दिव्यांग बच्चों को अलग–थलग करने के प्रचलन को बढ़ावा देती है। समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सरकारी नीतियों की नितांत कमी समावेशी शिक्षा की राह में बाधा है।

नीतियाँ इस बात को नजरअंदाज करती है कि दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं को शैक्षिक मुख्यधारा में शामिल किए बगैर सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। सभी के लिए शिक्षा में प्रगति पर नजर रखने वाला ढांचा दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं को अनदेखा करता है। योजना, प्रशासन, निगरानी, क्रियान्वयन के स्तरों पर समावेशी शिक्षा की राह में मौजूदा व्यवस्थागत बाधाओं को पहचानने एवं दूर करने में असफलता भी बाधा खड़ा करती है। दिव्यांगता, राज्य/पीआरआई का विषय है और शिक्षा समवर्ती विषय है, जिस कारण भारत के विभिन्न राज्यों में दिव्यांग बच्चों/युवाओं को शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई होती है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना दो मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। समावेशी शिक्षा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है तथा विशेष शिक्षा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी है। राज्य स्तर पर भी ऐसी तालमेल भरी भूमिकाएँ है। इस कारण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में विरोधाभाशी और अस्पष्ट नीतियाँ तथा चलन दिखते हैं। दिव्यांग बच्चों को कम आयु में ही शिक्षा प्रदान करने की भारत में कोई नीति नहीं है। आरम्भिक बाल्यकाल में देखभाल एवं विकास के सबसे बड़े कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) में आंगनबाड़ी केन्द्रों को समेकित रुप में कार्य करने हेतु विकसित किया जाना अभी बाकी है। यह स्वीकार नहीं किया गया है कि समावेशी शिक्षा समूची शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आरम्भिक बिन्दु हो सकता है, जिसमें सभी सीखने वालों को लाभ होगा और इसी कारण समावेशी शिक्षा को शिक्षा व्यवस्था द्वारा अतिरिक्त घटक माना गया है।

3-5 lekos'kh f'k{kk dh ck/kk,¡ % budk funku

समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे को बगैर भेदभाव किये शिक्षा प्रदान करने हेतु संकल्पित है। ऐसे में दिव्यांगजनों को बाधारहित तथा अनुकूल बुनियादी ढांचे एवं शैक्षिक वातावरण में शिक्षा सुनिश्चित करने के बीच अभिवृत्तिय, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक और सरकारी नीतियों की अस्पष्टता के रुप में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक दृष्टिकोण और दिव्यांगजनों की मानव संसाधन के रुप में स्वीकार्यता। समावेशी नीति के मामले में दिव्यांगता के बजाय शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाया जाय। ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाय जो दिव्यांग बच्चों को अलग–थलग करने के प्रचलन को समाप्त करती है। प्रत्येक बच्चे के लिए ऐसे सक्षम तथा सहयोगी वातावरण में

शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु समावेशी दृष्टिकोण एवं लक्ष्यों को विशिष्ट दिखाई देने वाले मापने योग्य एवं प्राप्त करने योग्य कदमों से जोड़ती हो। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसके दरवाजे सभी दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए खुले हों और उनके लिए अनुकूल वातावरण हो। लचीली शिक्षा व्यवस्था, ई–लर्निंग सुविधाएँ, प्रस्तावित स्वयं ऑनलाइन शिक्षण, समावेशी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सभी वर्तमान शिक्षकों में क्षमता निर्माण तथा जन जागरुक कार्यक्रमों के साथ–साथ जरुरी अन्य उपायों से समावेशी शिक्षा यथार्थ बन जाएगी।

ck/k i'u

1. समावेशी शिक्षा की बाधाओं से क्या तात्पर्य है ?

....
....

2. समावेशी शिक्षा में बाधा पहुॅंचाने वाले कारकों की सूची बनाइये।

....
....

3-6 bdkbl lkjk'k

समावेशी शिक्षा की बाधाओं और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए और उन्हें नागरिक के रुप में अपनी जिम्मेदारियों (घर में, समाज में और कार्यस्थल पर) के निर्वहन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु उपरोक्त बताई गई बाधाओं को दूर किया जाना बहुत जरुरी है। हमारी नीतियों में निर्भरता और आशा की निम्न संस्कृति का अंत हो और ऐसे समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय, जिसमें हम दिव्यांग लोगों के लिए सहयोगपूर्ण नजरिया रखें, उन्हें भागीदार और समावेशी बनाने के लिए उनको सशक्त करें और स्वीकार करे। समावेशी शिक्षा की राह में आने वाले बाधाओं के रुप में अभिवृत्तिय कारक, सामाजिक–सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, व्यावसायिक दक्षता में कमी और सरकारी नीतियों में अस्पष्टता को दूर करने के लिए शिक्षा पर समग्र नीति की आवश्यकता है ताकि हमारे मुख्यधारा में लाया जा सके। समावेशी शिक्षा के राह में आने वाले सामाजिक–आर्थिक– सांस्कृतिक–राजनीतिक–प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की बाधाओं को पहचानने तथा दूर करने की आवश्यकता है।

3-7 ck/k i'uk ds lEHkkfor mRrj

i'u&1 समावेशी शिक्षा की बाधाओं से क्या तात्पर्य है ?

mRrj&1 दिव्यांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में बगैर भेदभाव के शिक्षा देने की राह में आ रही प्रतिबद्धता की कमी–सामाजिक, आर्थिक, नीतिगत और अभिवृत्तिय ही समावेशी शिक्षा की बाधाएँ हैं।

i'u&2 समावेशी शिक्षा में बाधा पहुॅंचाने वाले कारकों की सूची बनाइये।

mRrj&2 समावेशी शिक्षा में बाधा पहुॅंचाने वाले कारक निम्न हैं:–

1. अभिवृत्तिय कारक

2. सामाजिक और सांस्कृतिक कारक

3. आर्थिक कारक

4. व्यावसायिक दक्षता की कमी

5. सरकारी नीतियों में अस्पष्टता और निगरानी में कमी

3-8 viuh i xfr dh tkp dj

1. समावेशी शिक्षा की बाधाएँ से आप क्या समझते हैं? टिप्पणी करें।
2. समावेशी शिक्षा की बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को रेखांकित करें।

3-9 fu;r dk;@xfrfof/k;k

1. भारतीय परिवेश में समावेशी शिक्षा के लिए उत्पन्न बाधाओं के बारे में सामूहिक परिचर्चा करें।

3-10 ppk@Li"Vhdj.k d fcUn

1. समावेशी शिक्षा की बाधा में सरकारी नीतियों और उनकी अस्पष्टता की भूमिका का विश्लेषण करें।
2. आस–पास के विद्यालय में समावेशी शिक्षा के लिए प्रयासों में आ रही बाधा को स्पष्ट करें।

3-11 lnHk@iLrkfor iBu lkexh

1. Mittler, P. (2000). Wotking Towards Inclusive Education; social contexts, Londan, David Fulton.
2. Pijl, J., Mejier, C. and Hegarty,S. (eds) (1997) Inclusive Education: a global agenda, Londan, Routledge.
3. Rieser, R. and Mason, M. (1992, rev. edn) Disability Equality in the Classroom: a human rights issue, London, Disability Equalityin Education.
4. United National Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (1994) The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education, Paris, UNESCO.
5. Dyson, A. (2001). 'Special needs as the way to equity: an alternative approach?, Support for Learning, 16(13), pp- 99-104.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-07

lekos'kh f'k{kk

[k.M & 2

lekos'kh f'k{kk dh lafo/kk inku djus okyh uhfr;k¡ ,oa :ijs[kk

bdkbZ & 4 41

विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा

bdkbZ & 5 47

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और रूपरेखा

bdkbZ & 6 55

राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रम कानून और आयोग

mÙkj iznss'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;

mÙkj izns'k iz;kxjkt

ljä{kd ,oa ekxZn'kZd

ik0 d0,u0 flag — dqyifr] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

fo'ks"kK lfefr

ik0 ih0 d0 ik.Ms;	iHkkjh funs'kd f'k{kk fo|k'kk[kk m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
ik0 lhek flag	vkpk;Z f'k{kk'kkL= foHkkx] cukjl fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh
ik0 l|"kek ik.Ms;	vkpk;Z f'k{kk'kkL= foHkkx] MhOMh0;0 fo'ofo|ky;] xksj[kiqj
ik0 jtuh jatu flag	vkpk;Z fo'ks"k f'k{kk foHkkx] Mk0 'kdqUryk feJk jk"Vªh; iquokZl fo'ofo|ky;] y[kuÅ
Mk0 th0d0 f}osnh	lgk;d&vkpk;Z f'k{kk'kkL= foHkkx] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
Mk0 fnus'k flag	lgk;d vkpk;Z f'k{kk'kkL= foHkkx] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

ys[kd

ik0 lhek flag	vkpk;Z f'k{kk'kkL= foHkkx] cukjl fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6½
Mk0 uhrk feJk	ijke'kZnkrk] ¼fo'ks"k f'k{kk½] f'k{kk fo|k'kk[kk] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 7]8]9½

lEiknd

ik0 jtuh jatu flag	vkpk;Z ¼fo'ks"k f'k{kk foHkkx½ Mk0 'kdqUryk feJk jk"Vªh; iquokZl fo'ofo|ky; ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½

ifjekid

ik0 ih0d0 ik.Ms;	iHkkjh funs'kd] f'k{kk fo|k'kk[kk m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½

leUo;d

Mk0 uhrk feJk	ijke'kZnkrk ¼fo'ks"k f'k{kk½] f'k{kk fo|k'kk[kk] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½

lg;ksxh

çdk'kd

flrEcj] 2020 ¼eqfnzr½

© m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt 2020

ISBN-

mRrj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt lokZf/kdkj lqjf{krA bl ikB~;lkexzh dk dksbZ Hkh va'k mRrj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky; dh fyf[kr vuqefr fy, fcuk fefe;ksxzkQ vFkok fdlh vU; lk/ku ls iqu% iLrqr djus dh vuqefr ugha gSA
ukV % ikB~; lkexzh eas eqfnzr lkexzh ds fopkjksa ,oa vkdMksa vkfn ds izfr fo'ofo|ky;] mÙkjnk;h ugha gSA

izdk'ku % mÙkj izns'k jktf"kZ V.Mu fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

[k.M ifjp;

lekos'kh f'k{kk dh lafo/kk inku djus okyh uhfr;k ,o :ijs[kk

इस खण्ड में आप मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (उद्धोषणा), अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन और रुपरेखा तथा राष्ट्रीय नीतियॉ, कार्यक्रम, कानून और आयोग को समझ सकेंगे। इस खण्ड में कुल तीन इकाईयां है।

इकाई–04 में आप विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा को समझ सकेंगे, तथा समावेशी शिक्षा में उसकी उपयोगिता से अवगत हो सकेंगे।

इकाई–05 में समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की रूपरेखा से अवगत हो सकेंगे।

इकाई–06 में आप विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों कार्यक्रम, कानून एवं आयोग से अवगत हो सकेंगे।

bdkb&4

fo'o ekuokf/kdkj mn?kks"k.kk

;k

ekuo vf/kdkjksa dh lkoHkkSe ?kks"k.kk ¼mn?kks"k.kk½

ljpuk

4.1 परिचय

4.2 उद्देश्य

4.3 विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा – ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संरचना

4.3.1 प्रस्तावना

4.3.2 अनुच्छेद

4.3.3 विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की समावेशन में भूमिका

4.4 इकाई सारांश

4.5 बोध प्रश्नों के सम्भावित उत्तर

4.6 अपनी प्रगति की जांच करें

4.7 नियत कार्य/गतिविधि

4.8 चर्चा/स्पष्टीकरण के बिन्दु

4.9 संदर्भ/प्रस्तावित पठन समाग्री

4-1 ifjp;

मानवाधिकार, किसी भी इंसान की जिदंगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है। सम्पूर्ण विश्व में मानवता के खिलाफ हो रहे हिंसा व भेदभाव से मुक्ति व सर्व साधारण के लिए जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व–शान्ति, न्याय और स्वतन्त्रता की बुनियाद है। अन्याययुक्त शासन और जुल्म के विरूद्ध कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य हैं। विश्व में शांति, समरसता व सफलता के लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाय। ऐसे में विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा प्रासंगिक सिद्ध होता है जो इस सिद्धान्त में यकीन रखता हे कि विश्व के सभी व्यक्ति समान हैं और उन्हें जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। इसी कथन की सफलता और संम्पूर्णता के लिए विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा अपने आस्तित्व में आया और आज पूरे विश्व में न्याय, समानता, भाईचारा और समरसता के लिए अग्रणी भूमिका में प्रतिस्थापित हैं।

4-2 mnn';

इस इकाई को अध्ययन के उपरांत आपः–

1. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की एतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बता सकेंगे।
2. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा के संरचना को समझ सकेंगे।
3. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की भूमिका को समावेशन के संदर्भ में समझ सकेगे।
4. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा की वर्तमान समय में प्रासांगिकता का मूल्यांकन कर सकेंगे।

4-3 fo'o ekuokf/kdkj mn?kk"k.kk ,frgkfld i"BHkfe ,o lajpuk

कुछ अधिकार मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। मानव की गरिमा के लिए ये अधिकार आवश्यक हैं तथा कभी छीने नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही मानवीय अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा के द्वारा अंगीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंम्बली ने सभी सदस्य देशों से अपील की कि वे इस घोषणा का प्रचार करें और देशों–प्रदेशों की राजनैतिक स्थिति पर आधारित भेदभाव का विचार किए बिना, विशेषतः विद्यालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं में इसके प्रचार प्रदर्शन, पठन और व्याख्या का प्रबन्ध करें। मानव अधिकारों की सार्वभौम उद्घोषणा में प्रस्तावना के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की पाँच भाषाओं में उपलब्ध है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश ।

4-3-1 iLrkouk

मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना के अनुसार, मानव अधिकारों की उद्घोषणा इसलिए की जा रही है क्योंकि –

- मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।
- कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सबंधों को बढ़ाना जरूरी है।
- बुनियादी मानव अधिकार, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता और नर– नारियों के समान अधिकार में विश्वास तथा अधिकार व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत समाजिक प्रगति तथा जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाना चाहिए।

4-3-2 vuPNn

इस उद्घोषणा में कुल 30 अनुच्छेद हैं, जो निम्न हैं–

1. सभी मनुष्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे के भाव से बर्ताव करना चाहिए।

2. किसी भी व्यक्ति को अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने के मामले में जाति, वर्ण, लिंग, भाषा धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

3. प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता व वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।

4. कोई भी गुलामी या दासता की हालत में न रखा जाएगा तथा गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार सभी रूपों में निषिद्ध होगा।

5. सभी को निर्दय, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति होगी।

6. हर किसी को हर जगह कानून के समक्ष व्यक्ति के रूप में स्वीकृति पाने का अधिकार होगा।

7. सभी को समान कानूनी सुरक्षा का अधिकार होगा।

8. सभी को सक्षम राष्ट्रीय अदालतों में कारगर सहायता पाने का हक होगा।

9. किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबंद या देश निष्कासित नहीं किया जाऐगा।

10. प्रत्येक व्यक्ति को आपराधिक मामने की सुनवाई स्वतंत्र व निष्पक्ष अदालत द्वारा कराने का समान हक होगा।

11. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही अपराधी माना जाएगा तथा उसे लागू दंड से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा।

12. प्रत्येक व्यक्ति को निजता में हस्तक्षेप या आरोप के विरूद्ध कानूनी रक्षा का अधिकार होगा।

13. प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक देश की सीमाओं में स्वतंत्रतापूर्वक आने,जाने और बसने का अधिकार होगा।

14. प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे देश में शरण लेने और रहने का अधिकार होगा।

15. प्रत्येक व्यक्ति को किसी राष्ट्र की नागरिकता का अधिकार होगा।

16. प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, राष्ट्रीयता या धर्म के भेदभाव के विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार होगा।

17. प्रत्येक व्यक्ति को अपने संपत्ति रखने का अधिकार होगा।

18. प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म या विश्वास बदलने और प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी।

19. प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है।

20. प्रत्येक व्यक्ति को शांति पूर्वक सभा करने तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार है।

21. प्रत्येक व्यक्ति को सरकार तथा चुनावों में भागीदारी करने का अधिकार है।

22. प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।

23. प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार रोजगार का चुनाव करने तथा व्यापार संघ से जुड़ने का अधिकार है।

24. प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है।

25. प्रत्येक व्यक्ति को अनुकूलित जीवन यापन स्तर प्राप्त करने का अधिकार है।

26. प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है।

27. प्रत्येक व्यक्ति को समाज के सांस्कृतिक जीवन में हिस्सा लेने का अधिकार है।

28. प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सामाजिक और अर्न्तराष्ट्रीय व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार है जिसमें इस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्राप्त किया जा सके ।

29. प्रत्येक व्यक्ति का उसी समाज के प्रति कर्तव्य है जिसमें रहकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव हो।

30. इस घोषणा में उल्लिखित किसी भी बात का वह अर्थ नहीं लगाया जायेगा जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रता का विनाश करना होगा।

4-3-3 ekuo vf/kdkjksa dh lkoZHkkSe ?kks"k.kk dh lekos'ku esa Hkwfedk

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्दिष्ट मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा दुनिया में विभिन्न देशों की अलग–अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौमिक दशाओं के कारण से उत्पन्न संकीर्ण विचारों को दूर कर सभी के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। यह विश्व में अनेकता में एकता के स्वरूप को स्वीकार करने पर जोर देता है। इसका अनुच्छेद–1 सभी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति भाईचारे के बर्ताव को बढ़ावा देता हैं जो समावेशन के मूल में है। अनुच्छेद–2 में निहित तथ्य कि जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न किया जाय, समावेशन की आत्मा को प्रतिबिम्बित करता है। अनुच्छेद–26 प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा जहां प्रारम्भिक शिक्षा होगी इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद–25 प्रत्येक व्यक्ति को अनूकुलित जीवन यापन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके प्रस्तावना में निहित शब्द समावेशन के भाव को ही प्रकट करते हैं। इस तरह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा निश्चय ही रूप से समावेशन की ओर इंगित करता है जिससे एक बेहतर वैश्विक समाज का निर्माण हो सके–जहां सभी को समान अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो।

cks/k iz'u

1. विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा के प्रस्तावना को उल्लेखित कीजिए।

....

....

2. मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के समावेश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

....

....

4-4 bdkbl lkjk'k

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसम्बर 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया था। तब से सम्पूर्ण विश्व में मानवीय अधिकारों को पहचान देते और वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए तथा अधिकारों के लिए जारी प्रयासों को संजीवनी देने के लिए 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाया जाता है। अपने प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, सम्मान्न, अधिकारों की संरक्षा तथा उनकी समाज में सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

4-5 ck/k i'u d mRrj

i'u 1& विश्व मानवाधिकार उद्घोषणा के प्रस्तावना को उल्लेखित कीजिए।

mRrj 1& मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की प्रस्तावना निम्नलिखित हैं –

- मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है।
- कानून द्वारा नियम बनाकर मानव अधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है।
- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सबंधों को बढ़ाना जरूरी है।

बुनियादी मानव अधिकार, मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता और नर–नारियों के समान अधिकार में विश्वास तथा अधिकार व्यापक स्वतंत्रता के अन्तर्गत सामाजिक प्रगति तथा जीवन के बेहतर स्तर को ऊँचा किया जाना चाहिए।

i'u 2& मानव अधिकारों की सावभौमिक घोषणा के समावेश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

mRrj 2& मानव अधिकारों की सावभौमिक घोषणा के समावेश की भूमिका निम्नवत है –संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्दिष्ट मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा दुनिया में विभिन्न देशों की अलग–अलग सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मौद्रिक दशाओं के कारण से उत्पन्न संकीर्ण विचारों को दूर कर सभी के अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रेरित करती है। यह विश्व में अनेकता में एकता के स्वरूप को स्वीकार करने पर जोर देता है। इसका अनुच्छेद–1 सभी व्यक्ति को एक दूसरे के प्रति भाईचारे के बर्ताव को बढ़ावा देता हैं जो समावेशन के मूल में है। अनुच्छेद–2 में निहित तथ्य कि जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव न किया जाय, समावेशन की आत्मा को प्रतिबिम्बित करता है। अनुच्छेद–26 प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा जहां प्रारम्भिक शिक्षा होगी इसका प्रावधान करता है। अनुच्छेद–25 प्रत्येक व्यक्ति को अनूकुलित जीवन यापन स्तर को प्राप्त करने का अधिकार देता है। इसके प्रस्तावना में निहित शब्द समावेशन के भाव को ही प्रकट करते हैं। इस तरह मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा निश्चय ही रूप से समावेशन की ओर इंगित करता है जिससे एक बेहतर वैश्विक समाज का निर्माण हो सके–जहां सभी को समान अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो।

4-6 viuh ixfr dh tkp djA

1- सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा से क्या तात्पर्य है ? इसके प्रस्तावना व अनुच्छेदों में निहित तथ्यों का विश्लेषण करें।

2- सावभौमिक मानवधिकार की समावेश में निहित भूमिका का मूल्यांकन करें।

4-7 fu;e dk;@xfrfof/k

1- सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा की वर्तमान समय में प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

2- समावेशन के सिद्धान्तों तथा घोषणा पत्र के अनुच्छेदों में निहित तथ्यों का तुलनात्मक चार्ट बनाएं।

4-8 ppk d fcUn@Li"Vhdj.k d fcUn

1- मानव अधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा के संदर्भ में अपने समुदाय में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा करें।

4-9 lnHk@iLrkfor iBu lkexh

- ***Universal Declaration of Human Right*** in Encyclopedia of Human Rights Length
- ***Universal Declaration of Human Right*** in Encyclopedia Dictionanry of International Length
- ***Universal Declaration of Human Right*** in A Dictionary of Law Enforcement Length
- ***Universal Declaration of Human Right*** in The Oxford Dictionary of Phrase and Fable(2) Length

bdkbl&5

vUrjk"Vh; lEeyu vkj :ijs[kk

ljpuk

5.1 परिचय

5.2 उद्देश्य

5.3 विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और रूपरेखा की समावेशन में भूमिका

5.4 इकाई सारांश

5.5 बोध प्रश्नों के सम्भावित उत्तर

5.6 अपनी प्रगति की जांच करें

5.7 नियम कार्य/गतिविधि

5.8 चर्चा/स्पष्टीकरण के बिन्दु

5.9 संदर्भ/प्रस्तावित पठन सामग्री

5-1 ifjp;

विश्व में निःशक्तता और निःशक्त अस्वीकृत और त्याज्य रहे हैं जब इनके होने की वजह अभिशाप या रूढ़िवादी विचारों में थी। विश्व कल्याणकारी संचेतना ने इनकी दिशा और दशा दोनों में व्यापक परिवर्तन किये हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में तकरीबन 1 अरब निःशक्तजन हैं जो विश्व की कुल जनसंख्या का 15 फीसदी है। यह वह वर्ग है, जिसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जीवन के विभिन्न आयामों के विकास के लिए नहीं हो सकता है। 18वीं व 19वीं शताब्दी में निःशक्तजन के विकास और समावेशन के लिए वैश्विक प्रयासों में उतनी सकारात्मकता नहीं दिखी। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और रूपरेखा ने निःशक्तजन के लिए समावेशन के मार्ग प्रशस्त किये। यह कहना उचित है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों का नतीजा रहा है कि भारत, सहित कई एशियाई देशों ने निःशक्तता के क्षेत्र में विभिन्न नीतियों कार्यक्रमों, कानूनों तथा आयोग का गठन किया। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और उनकी रूपरेखा ने समावेशी शिक्षा और समावेशन के लिए वैश्विक प्रयास की नींव रखी जो अद्यतन जारी है। इसके वैश्विक एकजुटता और प्रयासों का नतीजा पूरे विश्व में निःशक्तजन के लिए समान अधिकार, उनके अधिकारों के संरक्षण, उनकी भागीदारी, मनोवैज्ञानिक– सामाजिक पुनर्वास के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुए हैं।

5-2 mnn';

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप

1. समावेशी शिक्षा के लिए अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रारूप के वैश्विक प्रयासों के बारे में बता सकेंगे।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रारूप की भूमिका को समावेशन के संदर्भ में समझ सकेंगे।

3. समावेशी शिक्षा तथा समावेशन पर वैश्विक प्रयासों के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर सकेंगे।

4. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रारूपों के प्रयासों का समावेशी शिक्षा के संदर्भ में मूल्यांकन कर सकेंगे।

5-3 fofHkUu vUrjk"Vh; lEeyuk vkj :ij[kk dh leko'ku e Hkfedk

5-3-1 ekuokf/kdkj ?kk"k.kk ¼1948½

10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत की गयी यह वैश्विक उद्घोषणा विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण व आपसी समरसता को बनाये रखने का अनूठा पहल था। हाँलाकि यह प्रत्यक्ष रूप से निःशक्तता की बात नहीं करता है लेकिन उद्घोषणा की प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों में समावेशन के सिद्धान्त निर्दिष्ट होते हैं। इसकी प्रस्तावना में यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति के जन्मजात गौरव और सम्मान तथा अविच्छिन्न अधिकारों की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। आपसी मैत्री भाव को बढ़ाने और अधिकारों की रक्षा करना इसके मूल को प्रतिविम्बित करता है। अनुच्छेद–1 व अनुच्छेद–2 सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता जन्मजात प्राप्त होने की वकालत करते हुए किसी भी व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक प्रणाली, देश, समाज या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करने का उपबंध करते हैं। अनुच्छेद–26 सभी को शिक्षा देने का उपबंध करता है।

5-3-2 ekufld en 0;fDr;k d vf/kdkjk dh mn?kk'k.kk 1970

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर, 1971 में मानसिक रूप में मंद व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण किया जा सके। इस उद्घोषणा ने इस बात पर बल दिया कि मानसिक मंद व्यक्तियों को अगर हो सके तो अपने परिवार अथवा संरक्षण के साथ समाज के बीच उनका विकास किया जाय। इस उद्घोषणा ने मानसिक मंद बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की।

5-3-3 fu%'kDrtu d vf/kdkjk dh mn?kk"k.kk ¼1975½

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसम्बर, 1975 निःशक्तजन के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस घोषणा को अंगीकृत किया। यह घोषणा पुनरावृत्ति करता है कि निःशक्तजन को शिक्षा चिकित्सा, आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा, व्यवसाय, नौकरी के अवसर प्रदान किये जाये जिससे वे अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें, सामाजिक – सांस्कृतिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकें। निःशक्त जन के प्रति नकारात्क दृष्टिकोण व व्यवहार तथा घोषणा तथा शोषण को रोकने के लिए कानूनी प्रतिबद्धता दिखाता है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्तजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए दो बड़ी शुरूआत की गयी। निःशक्तजन के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक वर्ष– (1983–1982) तथा निःशक्तजन के लिए एशिया प्रशांत दशक वर्ष (1993–2002) ।

5-3-4 vUrjk"Vh; fu%'kDr tu o"k % 1981

संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने लिए अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करनेकी योजना 16 दिसम्बर, 1976 को बनायी। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य निःशक्त जन को–

1. शारीरिक और मनोसामाजिक तौर पर समाज में समंजित करना।
2. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निःशक्तजन के लिए सहायता प्रशिक्षण, देखभाल, सलाह, अवसर उपलब्ध कराने तथा उनको समाज में एकीकृत करने वाले कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
3. निःशक्तजन के अधिकारों तथा उनके समावेशन के लिए समाज को जागरूक, शिक्षित तथा सूचित करना।
4. ऐसे शोध तथा अध्ययन को बढ़ावा देना जो निःशक्तजन के लिए सहायता उपकरण, बाधाराहित भौतिक वातावरण तथा उनकी निःशक्ता की प्रतिपूर्ति करने में सहायता हो।
5. निःशक्तता के रोकथाम के उपायो को तथा पुनर्वास के आयामों को बढ़ावा देना।
6. निःशक्त बच्चों को नामांकन विशेष आवासीय विद्यालयों की जगह सामान्य विद्यालयों में कराना।

5-3-5 WORLD PROGRAMME OF ACTION CONCERING DISABLED PERSONS (1982) ¼fu%'kDr tuk ls lcf/kr fo'o dk;l ;kstuk &1982½

अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष के फलस्वरूप सन् 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस कार्ययोजना को 1982 में अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक रणनीति तैयार कर निःशक्तजन के अधिकारों का संरक्षण, उनके पुनर्वास तथा अवसरों की समानता उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य था कि निःशक्तजन समाज के साथ अपनी पूर्ण सहभागिता में संलग्न रह कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग दें। यह कार्ययोजना मानवाधिकार के दृष्टिकोण को अंगीकृत कर इस बात पर जोर देती है कि निःशक्त को शिक्षा व चिकित्सा समुदाय आधारित सेवाओं के माध्यम से दी जायें जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

5.3.6 UN CONVENTION ON THE THE RIGHTS OF THE CHILD, 1989

20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून बच्चों के मानवाधिकार के संरक्षण और उन्नयन की दिशा में एक अगला कदम था। इस अंतर्राष्ट्रीय कानून में (अनुच्छेद–41) हैं। यह कानून इस तथ्य को सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे को निःशक्तता के साथ साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। (अनुछेद–23) निःशक्त बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करता है। इस उद्देश्य के साथ कि इन बच्चों का सामाजिक समावेश तथा वैयक्तिक विकास, सांस्कृतिक, तथा आध्यात्मिक– हो सके जिससे इनके अधिकारों की संरक्षा हो। शिक्षा के द्वारा इनके सर्वांगीण विकास करने का उपबंध करता है। (अनुच्छेद–23) यह भी उपबंध करता है कि निःशक्त बच्चों को विशेष देखभाल, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, रोजगार आधारित

प्रशिक्षण और खेलकूद तथा सांस्कृतिक अवसरों में सम्मिलित होने का अधिकार है। (अनुच्छेद–28) और (अनुच्छेद–29) सभी बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध करता है। जो इस तथ्य को दुहराता है कि शिक्षा और शिक्षा के अवसर सभी के लिए समान होने चाहिए।

5-3-7 lHkh ds fy, f'k{kk] tkseVhu mn?kks"k.kk ¼1980½&1990

जॉमटीन शहर में "सभी के लिए शिक्षा" विश्व सम्मेलन में 155 देशों के प्रतिनिधि सहित 150 से अधिक सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने वर्ष 2000 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने एवं निरक्षरता के उन्मूलन करने की दिशा में ठोस कदम उठाने का सहमति जाहिर की। इस सम्मेलन में यह तथ्य स्वीकार किया गया कि निःशक्त बच्चों को विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। निःशक्तता के विभिन्न वर्गों से संबंधित निःशक्त को शिक्षा तथा पुनर्वास के समान अवसर उपलब्ध कराया जाये जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

5-3-8 **UN SALAMANCA STATEMENT (1994)**

सन् 1994 में सलामांका (स्पेन) में युनेस्को द्वारा "विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष विश्व सम्मेलन सुलभता और समता का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में 92 सरकारों के प्रतिनिधि और 25 अन्तराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया। सलामांका वक्तव्य में इस बात पर बल दिया गया है कि ''हर शिशु को शिक्षा का बुनियादी अधिकार है और उसे अधिगम का एक स्वीकार्य स्तर प्राप्त करने और बनाये रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। सलामांका वक्तव्य में समावेशी शिक्षा की वकालत की गयी। समापन इस उद्घोषणा के साथ हुआ कि ''प्रत्येक बच्चे की चरित्रगत विशेषताएँ, रूचियाँ, योग्यता और सीखने की आवश्यकताएँ अनोखी होती हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली में इस विशिष्टताओं और आवश्यकताओं की व्यापक विविधता का ध्यान रखना चाहिए।" सम्मेलन में यह भी उद्घोषणा की गई की समावेशी प्रारूप नियमित विद्यालय तथा समाज में भेदभाव पूर्ण व्यवहार को रोकने, समावेशी समाज व समुदाय की रचना तथा सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने में समक्ष हैं। इस उद्घोषणा में निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समावेशी विद्यालयों में शिक्षा देने का उपबंध किया गया।

5-3-9 Mkdj lEesyu ¼**WORLD EDUCATION FORM) 2000**

वर्ष 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच जिसे अकर उकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में शिक्षा में समावेशन की बात दुहरायी गयी। सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि ''किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिकता शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह समार्थ्य से परे है। सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

5-3-10 **UNCRPD-2006**

21 वीं सदी में निःशक्तजन के अधिकार, समान पूर्ण भागीदारी, पुनर्वास तथा समावेशन के लिए वृहद अन्तराष्ट्रीय कानून के रूप में उपस्थित हुआ है। 13 दिसम्बर 2006 को तैयार किये गये इस ड्राफ्ट को 30 मार्च 2007 को अधिसूचित किया गया था। 3 मई 2008 से यह प्रभावी हो सका। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है जो इस उद्देश्य के साथ संघ के द्वारा प्रस्तावित की गयी कि निःशक्तजन के अधिकारों तथा सम्मान की रक्षा की जा सके। इस कानून से जुड़े सभी देशो से निःशक्तजन के अधिकारों को बढ़ावा

देने, संरक्षण देने तथा पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। इस अन्तराष्ट्रीय कानून में निहित 50 अनुच्छेदों में से निःशक्तजन को पूर्ण रूप से समावेशन में सम्मिलित करने की वृहद रूपरेखा तैयार की गयी है। निःशक्तता को चिकित्सकीय प्रारूप से अलग सामाजिक प्रारूप से देखे जाने की बात की गयी। निःशक्तजन दया के पात्र के नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सहभागी बने, यह उनका जन्मजात अधिकार है।

(अनुच्छेद–1) में निःशक्तजन के अधिकारो की संरक्षण देने, बढ़ावा देने तथा पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने। उनके प्रति सम्मान प्रकट हो सकें पर बल दिया गया है। इसी तरह उनके खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को तथा समान अधिकार देने के लिए (अनुच्छेद–5) में प्रावधान किया गया है। निःशक्त महिला (अनुच्छेद–6) व निःशक्त बच्चों (Article-7) के पूर्ण भागीदारी तथा उनके अधिकारों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। निःशक्तजन के प्रति समाज का नजरिया सकारात्मक हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता (अनुच्छेद–8) में महसूस की गयी है। सुगम्य भौतिक बाधारहित वातावरण का निर्माण किया जाय जिससे इनकी पूर्ण सहभागिता बने (अनुच्छेद–9)। निःशक्त जन की निःशक्तता प्राकृतिक है, अभिशाप नहीं। इन्हें विशिष्टता के साथ ही समान्य विद्यालयों में समावेशी प्रारूयबृद्ध वातावरण में शिक्षा का प्रावधान (अनुच्छेद–24) करती है। इस अनुच्छेद में इसके सर्वांगीण विकास के साथ समाज में समावेशन के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था को नितांत आवश्यक माना गया है।

5-3-11 bfp;ku j.kuhfr

इंचियान रणनीति निःशक्तजनों के लिए समाज को बाधा रहित बनाने एव उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया के लिए दशक भर की लंबी कार्ययोजना है। कोरिया गणराज्य के इंचियान में एशिया एवं प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के सदस्य देशों के मंत्रियों तथा प्रतिनिधियों की 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2012 तक हुई बैठक में इस रणनीति को स्वीकार किया गया। इस रणनीति में 2013 से 2022 तक चलने वाली लक्ष्यों के माध्यम से एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र अपने यहाँ रहने वाले 65 करोड़ निःशक्तजन के जीवन स्तर में सुधार तथा उनके अधिकारों की पूर्ति संबंधी प्रगति पर नजर रखना साम्मिलित है। इंचियान रणनीति का मुख्य विचार है कि निःशक्तजन का सम्मान होना चाहिए, उन्हें अपनी पसंद के विकल्प चुनने में समक्ष होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए तथा उन्हें समाज में अन्य व्यक्तियों के समान ही प्रतिभागिता का अवसर लिना चाहिए।

ck/k i'u

1. निःशक्तजनों से संबधित विश्व कार्य योजना–1982 के प्रमुख बिन्दुओं को लिखिए।

   ....

   ....

2. डकार सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

   ....

   ....

5-4 bdkbl lkjka'k

WHO के अनुमान के मुताबिक विश्वभर में निःशक्तजन की आबादी लगभग एक अरब है। निःशक्तजन के पुनर्वास के शुरूआती दौर में वैश्विक प्रयासों की कमी रही। लेकिन विश्व कल्याण, विश्व मानवाधिकार तथा समावेशन की विचारधारा ने निःशक्तजन की दशा और दिशा दोनों ही बदलने का मार्ग प्रशस्ति किया है। विश्व मानवाधिकार घोषणा (1948), मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा (1971), निःशक्तजन के अधिकारों की उद्घोषणा (1975), अन्तराष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष 1981, निःशक्तजन से संबंधित विश्व कार्य योजना (1982), UNCRO 1989, सभी के लिए शिक्षा (1990), सलामांका वकतव्य (1994), डकार सम्मेलन (2000), UNCPRD 2006 तथा इंचियान रणनीति (2012) इन सभी अन्तरार्ष्ट्रीय सम्मेलन व रूपरेखा ने निःशक्तजन के अधिकारों के संरक्षण, समान अवसर, पर्ण सहभागिता, शिक्षा, चिकित्सा, मनो–समाजिक पुनर्वास तथा समावेशन के लिए वैश्विक प्रयास किया है।जिसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों में निःशक्तजनों के प्रति चली आ रही है नकारात्मक भावना में कमी आयी है, इनकी स्वीकार्यता बढ़ी है और समावेशन अपने मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। विश्व एक समावेशी समाज बनने की ओर अग्रसर है।

5-5 cks/k iz'uksa ds lEHkkfor mRrj

iz'u&1 निःशक्तजनों से संबधित विश्व कार्य योजना–1982 के प्रमुख बिन्दुओं को लिखिए।

mRrj&1 निःशक्तजनों से संबधित विश्व कार्य योजना–1982 के प्रमुख बिन्दु :–

अन्तर्राष्ट्रीय निःशक्तजन वर्ष के फलस्वरूप सन् 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस कार्ययोजना को 1982 में अपनाया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक रणनीति तैयार कर निःशक्तजन के अधिकारों का संरक्षण, उनके पुनर्वास तथा अवसरों की समानता उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य था कि निःशक्तजन समाज के साथ अपनी पूर्ण सहभागिता में संलग्न रह कर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विकास में अपना सहयोग दें। यह कार्ययोजना मानवाधिकार के दृष्टिकोण को अंगीकृत कर इस बात पर जोर देती है कि निःशक्त को शिक्षा व चिकित्सा समुदाय आधारित सेवाओं के माध्यम से दी जायें जिससे वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

iz'u&2 डकार सम्मेलन के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।

mRrj&2 वर्ष 2000 में आयोजित विश्व शिक्षा मंच जिसे अकर उकार सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में शिक्षा में समावेशन की बात दुहरायी गयी। सम्मेलन में स्पष्ट किया गया कि ''किसी व्यक्ति या बच्चों को उच्च कोटि की प्राथमिकता शिक्षा पूर्ण करने के अवसर से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वह समार्थ्य से परे है। सबको शिक्षा के समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

5-6 vH;kl iz'u

1. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा रूपरेखा की समावेशन में भूमिका का विस्तृत वर्णन कीजिए।

2. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा रूपरेखा की पड़ने वाले वैश्विक प्रभावों की व्याख्या कीजिए।

5-7 fu;e dk;Z@xfrfof/k

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा रूपरेखा की वर्तमान समय में प्रासंगिता पर चर्चा करें।

5-8 ppkZ ds fcUnq@Li"Vhdj.k ds fcUnq

भारत में दिव्यांगजनों के सश्क्तिकरण हेतु बनायी गयी विभिन्न नीतियों एक्टों व घोषणाओं की तुलना अन्तर्रास्ट्रीय स्तर पर लागू विभिन्न नीतियों एक्टों व घोषणाओं से करने हेतु परिसंवाद का आयोजन करें।

5-9 lanHkZ

1. World Bank 2019 Disability Inclusion Retrieved Auguest 29, from http://www.worldbank.org/en/topic/disabiliy

2. key Henderson et al. 2004. lilinois Early Learning Standards. vol. SU-29, August (2004).

3. David R Krathwohl. 1964. Taxonomy of education objectives: The classification of educational goals. Affective Domain (1964).

4. Autism Speacks. 2019. Speech Therapy Retrieved August 29, 2019 from http://www.autismspeaks.org/speech-threapy

5. Elizabeth J Simpson. 1966. The Classification of Education Objectives. Psychomotor Domain. (1966).

bdkb&6

jk"Vh; uhfr;k] dk;Øe] dkuu vkj vk;kx

ljpuk

6.1 परिचय
6.2 उद्‌देश्य
6.3 विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रमों, कानून और आयोगों की भूमिका
6.4 विभिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ, कार्यक्रमों कानून और आयोग
6.5 इकाई सारांश
6.6 बोध प्रश्नों के सम्भावित उत्तर
6.7 इकाई सारांश
6.8 बोध प्रश्नों के सम्भवित उत्तर
6.9 नियम कार्य/गतिविध
6.10 अपनी प्रगती की जांच करें
6.11 चर्चा/स्पष्टीकरण की जांच करें
6.12 संदर्भ/प्रस्तावित पठन सामग्री

6-1 ifjp;

एक समय था, जब शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता को दिव्यांग व्यक्ति के परिवार तथा स्वयं दिव्याँग के लिए अभिशाप माना जाता था। दिव्यांगजन को समाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भेदभाव का समाना करना पड़ता था। अपनी निःशक्तता के कारण उन्हें भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्नता से ग्रसिम होना पड़ता था। सामाजिक बाहिष्करण उनकी निःशक्तता से जुड़ा हुआ था। शुक्र है कि आधुनिक विज्ञान, सामाजिक न्याय की भावना और समावेशन की नवचेतना ने दिव्यांगजनो को सामाजिक स्वीकार्यता और पूर्ण सहभागिता की ओर निर्दिष्ट किया हैं। समावेशन की चतेना ने दिव्यांगजनों को हमारे समाज एवं राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा हैं। दिव्यांगजन समाज और राष्ट्र के अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा हैं। दिव्यांगजन समाज और राष्ट्र ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। और ऐसा हो पाने में विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और आयोग की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही हैं। राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों और आयोग ने दिव्यांगजनों को समान अधिकार देना, अधिकारों की रक्षा, शिक्षा, आर्थिक स्वावलम्बन, और पूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने का सफल प्रयास किया है। जिसके परिणामस्वरूप सदियों से चली आ रही दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सकरात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित हुयी है और समाज में इनकी स्वीकार्यता मजबूत हुई हैं।

6-2 bl bdkbl ds v/;;u ds mijkr vki voxr gks ldsaxs

1. निःशक्तता के लिए विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और आयोग के बारे में अवगत हो सकेंगे।

2. विभिन्न राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और आयोग द्वारा दिव्यांगजनों की शिक्षा, रोजगार, पूर्ण सहभागिता, समाजिक सुरक्षा एवं उन्नयन के लिए किए गये प्रावधानों को समझ सकेंगे।

3. राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और आयोग की निःशक्तता के क्षेत्र में किए गये परिर्वतन को समझ सकेंगे।

4. इन सभी नीतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

6-3 fofHkUu jk"Vªh; uhfr;k] dk;Øek] dkuu vkj vk;kxk dh Hkfedk

1. समान अधिकार, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने में।

2. अधिकारों को कानूनी रूप से मजबूत करने में।

3. सामाजिक सहभागिता और स्वीकार्यता बढ़ाने व सुनिश्चित करने में।

4. दिव्यांगजनों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को दूर करने में।

5. समाज को दिव्यांगजनों के अधिकारों के प्रति सकारात्मक रूख करने व जागरूक करने में।

6. शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक, संरक्षण तथा उन्नयन सुनिशिचत करनें में।

7. बाधारहित वातावरण व सुगम्य संरचनाओं के निमार्ण को सुनिशचित करने में।

8. राष्ट्र को समावेशी बनाने में।

6-4 fofHkUu jk"Vªh; uhfr;k] dk;Øek dkuu vkj vk;kx

1968 इस नीति में शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों के शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया साथ ही एकीकृत कार्यक्रमों के विकास पर जोर डालने की बात की जिससे निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालय में शामिल किया जा सके। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1968 में गठित हुयी। सन् 1985 में इसका पुर्नमूल्यांकन व नवीनीकरण हुआ। राष्ट्रीव्यापी विचार विमर्श के पश्चात् मई, 1986 में नई शिक्षा नीति अस्तित्व में आया। नई शिक्षा नीति में सामान्य बच्चों के शिक्षा के साथ–साथ निःशक्त बच्चों के शिक्षा के पहलुओं को शामिल किया गया जो नई शिक्षा नीति के अध्याय – छः में निर्दिष्ट है। इस अध्याय में शारीरिक व मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को समाज के सहभागी बनाने के साथ जीवन को दृढ़ निश्चय एवं धैर्य के साथ व्यतीत करने के लिए तैयार करने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) संगठित शिक्षा पर जोर देती हैं एवं स्पष्ट करती हैं कि निःशक्त बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों की शिक्षा के साथ हो निःशक्त बच्चों के लिए किए गए मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैः–

1. निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) ईसीसीई के अन्तर्गत तैयार किए जायेंगे जो (ICDS) एकीकृत बाल विकास सेवायें के माध्यम से संचालित होगा।
2. पाठ्यक्रम में अनूकुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल।
3. लचीली परीक्षा प्रणाली विकसीत करने का सुझाव।
4. शिक्षको की सेवा प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिव्यांगता संम्बन्धित प्रशिक्षण धारकों को शामिल करना।
5. निःशक्त बच्चों के पहचान, हस्तक्षेप और मनोवैज्ञानिक सेवाओं का प्रबंध करना।
6. विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना ।
7. निःशक्त बच्चों को शिक्षा में शामिल होने को प्रोत्साहन करना।
8. निःशुल्क पुस्तक व गणवेशों की आपुर्ति करना।
9. आवगमन भत्ते और रियायत देना।

1- lkt¦UV fjiksVZ& 1944 में Certral Advisory Board of Education (CABE) ने देश में हो रहे शिक्षा के विकास पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की, जो सार्जेन्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में निःशक्तजनों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया। जहां तक संभव हो सके निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अलग न करने पर जो डाला गया। इस रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि निःशक्त बच्चों को आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान दिये जाने की जरुरत है। मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में समान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने पर जोर दिया गया।

2- dksBkjh vk;ksx& (1964–66) भारत में पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के रूप में कोठारी आयोग ने शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास के नाम से प्रस्तुत अपनी विस्तृत रिपोर्ट में पहली बार निःशक्त बच्चों की शिक्षा को देश के हित के रूप रेखांकित किया। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि बेहतर शिक्षा से निःशक्तजन अपनी अक्षमता पर काबू कर स्वयं को राष्ट्र के लिए बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित कर सकेंगे। आयोग ने एकीकृत शिक्षा की अनुशंसा की। आयोग ने निःशक्तजनों के लिए शिक्षा को प्रमुख कार्य में रूप में इनमें सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में समंजन पर जोड़ डाला। आयोग ने इस बात को भी महसुस किया कि इन बच्चों की शिक्षा में मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है जिससे शिक्षकों की कमी व आर्थिक संसाधन प्रमुख है।

3- 1968&1986 ¼jk"Vªh; f'k{kk uhfr 1968 rFkk jk"Vªh; f'k{kk uhfr 1986& राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्‌देश्य राष्ट्र की प्रगति को बढ़ाना तथा सम्पन्न नागरिकता व संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना था। इसमे शिक्षा प्रणाली के सर्वागीण पुनर्निमाण तथा हर स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को ऊँचा उठाने पर जोर दिया गया था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिव्यांगो को शिक्षा देने का उद्‌देश्य यह है कि वे समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें, उनकी सामान्य तरीके से प्रगति हो और वे पुरे भरोसे और हिम्मत के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। इस हेतु निम्मलिखित सुझाव दिये गए :–

- दिव्यांगता अगर हाथ पैर की या सामान्य है, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई सामान्य बच्चों क साथ होनी चाहिए।

- गंभीर रुप से दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रावास वाले विशेष स्कूलों की जरूरत होगी। इस तरह के स्कूल, जहॉ तक सम्भव होगा, जिला मुख्यालयों में बनाए जाए,

- दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

- शिक्षकों, खासतौर से प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों, के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी नया रूप दिया जायें ताकि वे दिव्यांग बच्चों की कठिनाइयों को ठीक से समझ कर उनकी सहायता कर सकें।

- दिव्यांगों की शिक्षा के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहित किया जाय।

4- jk"Vªh; f'k{kk uhfr 1986 rFkk dk;Z ;kstuk 1992& राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्ययोजना 1992 का उद्देश्य निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शैक्षिक अवसर प्रदान करना है ताकि उनको मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत निम्न संस्तुतियां की गयी –

1. निःशक्त बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण करना।
2. निःशक्त बच्चों के मुल्यांकन, जिसमें एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक और दो विशेष शिक्षक की व्यवस्था करना।
3. विशेष अध्यापकों की नियुक्ति निःशक्त बच्चों के लिए मूलभूत सुविधायें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफलतापुर्वक संचालन के लिए प्रशासकों, संस्थाप्रधानों तथा विशेष विद्यालय कार्यक्रम से जुड़े सामान्य अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. पाठ्यक्रम अनुकूलन व निर्माण व पाठ्यक्रम में लचीलापन।
5. अभिभावक सम्मेलन तथा समुदाय समर्थन कार्यक्रम।
6. शिक्षक–प्रशिक्षक कार्यक्रम में निःशक्तता में धारकों को शामिल करना।
7. कक्षा–शिक्षण सामग्री का निर्माण करना।
8. स्वयं सेवी संबठनों को प्रोत्साहित करना।
9. प्राथमिक विद्यालय और ईसीसीई सुविधाएं सुनिश्चित करना।
10. मूल्यांकन तथा निरीक्षण।

5- **IEDC** ;kstuk& 1974– प्रथम शिक्षा नीति के आठ वर्ष के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित IDEC योजना का प्रमुख उद्देश्य निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करना था। इस योजना के अन्तर्गत संसाधन शिक्षकों को वेतनमान, निःशक्त बच्चों में वाहन भत्ते Reade Allowance, Escort Allowance, Boarding and Lodging Allowace, सहायक उपकरणों में रियायत, बाधारहित वातावरण के निर्माण, सामान्य विद्यालय में संसाधन कक्ष बनाने इत्यादि पर जोर दिया गया इस योजना के अन्तर्गत एक विशेष कक्षा में अध्यापक 8 छात्र की जिम्मेदारी सुनिशिचत करने का सुझाव दिया गया।

6- Ekkufld LokLF; dkuu ¼1987½– यह कानून ILAC (Indian Lunacy Act. 1912) के नाम से जाना जाता हैं इस कानून के तहत मानसिक बिमारी से ग्रसित व्यक्तियों को अस्पताल में इलाज सुनिश्चित कराने, ऐसे व्यक्तियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी तय करने, मूल भूत सुविधाओं को पहुँचाने और मानसिक अस्पताल व नर्सिंग होम की स्थापना संबन्धी नियमन व नियंत्रण को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया।

7- **Project Integrated Education for Disabled (1987)** - UNICEF की सहायता से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 1987 में निःशक्तजन के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना की शुरूआत की। इस परियोजना के तहत अध्यापक प्रश्क्षिण पर जोर दिया गया। यह प्रशिक्षण तीन स्तर पर चलाया जाता था। पहले चरण में एक सप्ताह, दूसरे चरण में छः सप्ताह तथा अंत में हर प्रखंड के 8–10 शिक्षकों को एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था परियोजना की समप्ति पर निःशक्त बच्चों, (मंदबुद्धि बच्चों को छोड़कर) की उपलब्धि समान्य बच्चों के बराबर पायी गयी।

8- ftyk ikFkfed f'k{kk dk;Øe ¼1997½& 1994 ई में शुरू हुए इस कार्यक्रम में वर्ष 1997 में निःशक्तजनों के लिए एकीकृत शिक्षा को DPEP में शामिल कर लिया गया। देश के 18 राज्यों के कुल 2014 प्रखंडों को इसके दायरे में लाया गया। इस कार्यक्रम के तहत निःशक्त बच्चों को संसाधन मुहैया कराने, शीध्र पहचान, सेवा कालीन प्रशिक्षण और बाधारहित वातावरण उपलब्ध पर बल दिया गया।

9- **SSA** loZ f'k{kk vfHk;ku] 2001& इस महत्वाकांक्षी अभियान में शून्य बहिस्करण (Zero Rejection) के तहत अमल करने हुए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि सामान्य बच्चों के साथ–साथ निःशक्त बच्चों को शिक्षा के लिए अनूकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। किसी भी बच्चे को उसके मानसिक या निःशक्तता की वजह से शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता।

<u>**86**oka la'kks/ku 2002 ½</u>& सन् 2002 में भारत सरकार ने 86वां संशोधन करते हुए अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार के तहत 'निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा' देने का प्रावधान किया।

<u>cks/k iz'u</u>

1. सार्जेन्ट रिपोर्ट 1944 पर प्रकाश डालिए।

....

....

2. IEDC योजना की चर्चा कीजिए।

....

....

10- fu%'kDr cPpksa vkSj ;qokvksa ds fy, lekos'kh f'k{kk ;kstuk **IECYD**]2005 **inclusive Education for children and Youths with Disabillities-** मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2005 में निःशक्त बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (IEDC) योजना में 14–18 वर्ष आयु के निःशक्त युवाओं को शामिल कर एक संशोधित योजना IECYD का आरम्भ किया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. बच्चों और युवाओं (निःशक्त) को समावेशी शिक्षा प्रदान करना।
2. मुख्यधारा के विद्यालयों में निःशक्त बच्चों में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना।
3. विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षिक संस्थाओं में विकलांगता केन्द्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना।
4. समावेशी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सिद्धान्त व नीतियों का निर्माण ।
5. विकलांग मित्रवत भौतिक वातावरण व मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
6. 0–6 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का शैशव पूर्व देख–रेख एवं शिक्षा कार्यक्रम (ICCE) के तहत नामांकन एवं हस्तक्षेप सुनिश्चित करना।
7. विशिष्ट शिक्षक, संसाधन कक्ष, उपर्युक्त शिक्षण अधिगम सामग्रियों हार्डवयर और साप्टवेयर आदि के निर्माण तथा खेल–कूद एवं सहगामी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना।

11- **IEDSS (2009) Inclusive Education for Disbled at Secondray stage-** IEDC को प्रतिस्थापित करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस योजना को April 2005 में लाया। इस योजना के तहत कक्षा 11–12 के निःशक्त बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत लड़कियों को विशेष ध्यान दिया जा सके। इस योजना में आठ की Primary Elementary Education में पश्चात् चार वर्षो की माध्यमिक शिक्षा समावेशी वातावरण में ही, इसको सुनिश्चित किया गया है। हाँलाकि वर्ष 2013 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में इसे शामिल कर लिया गया।

12- l|xE; Hkkjr vfHk;ku ¼2015½& सुगम्य भारत अभियान सार्वभौमिक सुगम्यता को पाने के लिए देशव्यापी एक प्रमुख अभियान है। जो निःशक्तजन को एक समावेशी समाज में अवसर तक पहुँच बनाने, स्वतंत्र रू᳴ से रहने और जीवन के विभिन्न आयामों में पूर्ण भागीदार बनने की योग्यता प्रदान करने को सुनिश्चित करने का प्रयास है। इस अभियान की शुरूआत 3, दिसम्बर 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारित मंत्रालय के निःशक्तजन व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपी डब्ल्यूडी) द्वारा किया गया हैं। इस अभियान का

i|e[k mnns';& लोगों के लिए सुलभ भौतिक परिवेशों में सुगम्यता को बढ़ावा देना (सार्वजनिक परिवहन) और सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी सेवाओं की सुगम्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देना (सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी) है।

13- **(RPWD) Act 2016** fu%'kDr tu vf/kdkj vf/kfu;e 2016& यह विधेयक निःशक्तजन अधिनियम (1995) की जगह प्रतिस्थापित किया गया है। इस विधेयक में निःशक्तजन को और अधिक सशक्त और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। इस विधेयक में 21 तरह के निःशक्तताओं को शामिल किया गया है। यह बिल निःशक्त बच्चों को समावेशी शिक्षा, बाधामुक्त वातावरण, सुगम्य भौतिक वातावरण तथा विभिन्न तरह के संशक्तिकरण करने वाले प्रावधानों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इस विधेयक में कुल 17 अध्याय है इसके अध्याय तृतीय में शिक्षा में निःशक्तजनों के शिक्षा का प्रावधान है। समाज में निःशक्तजन को समान अधिकार में, उनके अधिकारों की रक्षा व उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए वृद्धि प्रावधानों को उल्लेखित करता है।

14- jk"Vªh; f'k{kk uhfr ¼2015½& अतीत में ऐसा देखा गया है कि निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्रदान करना शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग नहीं माना जाता था। नई शिक्षा नीति– 2015 में समावेशी शिक्षा की व्यापक समझ दिखती हैं। भारत में पहली बार नई शिक्षा नीति में समावेशी शिक्षा का भारतीय दृष्टिकोण शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति– 2015 ने शिक्षा व्यवस्था के सभी अंगों में निःशक्तता को शामिल किया है चाहे शिक्षा में प्रवेश नीतियाँ हो। शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, पाठ्यक्रम का विकास हो, शिक्षण की रणनीतियाँ हो, पठनसामग्री हो, मूल्यांकन व्यवस्था हो, आभासी शिक्षा माध्यम हो।

15- Hkkjrh; iquokZl ifj"kn~ vf/kfu;e ¼1992½& भारत सरकार ने बहारूल इस्लाम समिति के सिफारिश पर पुनर्वास व्यावसायिकों के प्रशिक्षण को नियमित करने, केन्द्रीय पुनर्वास से जुड़े अन्य शैक्षिक मुद्दों को सुलझाने के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम बनाया जिसे संक्षिप्त में RCI Act 1992 कहा जाता है। इसे 22 जून 1993 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में तीन अध्याय हैं। इस अधिनियम में मुख्य रूप से निःशक्तता से जुड़े–हुए पुनर्वास व्यावसायिकेां की गुणवत्ता बनाये रखने, पुनर्वास व्यावसायिकों का विकास, इनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मानकी–करण लाना, प्रशिक्षण नीतियो और कार्यक्रमों का विनियमन करना, संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र को मान्यता प्रदान करना, निःशक्त व्यक्यिों से संबंधित व्यावसायिक कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानक निर्धारित हैं।

16- fu%'kDr tu ¼leku volj] vf/kdkj laj{k.k vkSj iw.kZ Hkkxhnkjh½ vf/kfu;e ¼1995½& निःशक्त जनों को समाज में समान अवसर, उनके अधिकारों के संरक्षण एवं समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने संसद में 12 दिसम्बर, 1995 को इस अधिनिसम को पास किया था। इस अधिनियम को 17 फरवरी, 1996 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में 14 अध्याय तथा 74 धाराएं हैं। इस अधिनियम के तहत पहली बार 7 तरह की निःशक्तता को सम्मिलित किया गया।

1. अंधता
2. कम दृष्टि
3. कुष्ट रोग मुक्त
4. श्रवण शक्ति का ह्रास/श्रवण बाधिता
5. चलन निःशक्तता
6. मानसिक मंदता
7. मानसिक रूग्णता

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य राज्य को निःशक्तजनों को समान अधिकार दिलाने उनके अधिकारों के संरक्षण, उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित कराने, किसी भी तरह के भेदभाव को दूर करने, बाधारहित वातावरण तथा सुगम्य भौतिक निर्माण, कानूनी सहायता रियायतें उपलब्ध कराने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी तय करनी हैं।

इस अधिनियम के पंचम अध्याय में निःशक्तजन के लिए शिक्षा का उपबंध किया गया हैं। यह अधिनियम निःशक्तजन को 18 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता हैं। अध्याय 12 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्ति के समस्याओं को सुलझाने के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है।

17- jk"Vh; Loijk;.krk] iefLr’d /kkr] ekufld emrk vkj cg&fu%“kDrrk xLr 0;fDr dY;k.kU;k; vf/kfu;e 1999& यह अधिनियम सन् 1999 में अस्तित्व में आया जो चार तरह की निःशक्तता को सम्मिलित करता हैं। स्वपरायणता, प्रमास्तिष्कधात, मानसिक मंदता और बहु–निःशक्तता। इस अधिनियम में 9 अध्याय हैं। इस अधिनियम का मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है–

1- निःशक्त व्यक्तियों को यथासंभव स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीने के लिए उस समुदाय के भीतर और उसके नजदीक रहने के लिए समर्थ बनाना और सशक्त बनाना।

2- निःशक्त व्यक्तियों को उनके अपने कुटुम्ब में रहने में सहायता प्रदान करना।

3- निःशक्त व्यक्तियों के परिवार में संकट की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठनों को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए सहायता देना।

4- निःशक्त व्यक्तियों के माता–पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु की दशा में देखभाल करना और संरक्षण करना।

5- निःशक्त जन के लिए समान अवसर, अधिकारों के संरक्षण और उनकों पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना।

18- **(RPWD Act-2016)** fu%'kDr tu vf/kdkj vf/kfu;e 2016&

fu%'kDr tu vf/kdkj vf/kfu;e 2016 (The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016)- यह विधेयक निःशक्तजन अधिनियम (1995) की जगह प्रतिस्थापित किया गया है। इस विधेयक में निःशक्तजन को और अधिक सशक्त और उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। इस विधेयक में 21 तरह के निःशक्ततओं को शामिल किया गया जो निम्न है :–

1. अंधापन (Blindness)
2. कम–दृष्टि (Low-vision)
3. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति (Leprosy Cured Persons)
4. सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन) (Hearing Impairment)
5. लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability)
6. बौनापन (Dwarfism)
7. बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability)

8. मानसिक बीमारी (Mental Iliness)

9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रप विकार (Aulism Spectrum Disorder)

10. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy)

11. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy)

12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां (Chronic Neurological Conditions)

13. विशिष्ट सीखने की अक्षमता (Specific Learning Disabilities)

14. मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis)

15. भाषण और भाषा विकलांगता (Speech and Language Disability)

16. थैलेसीमिया (Thalassemia)

17. हीमोफिलिया (Hemophilia)

18. सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease)

19. बहरापन सहित कई विकलांगता (Multiple Disabilities)

20. एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims)

21. पार्किंसंस रोग (Parkinson's disease)

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 दिसम्बर, 2006 को निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (समझौता) को अंगीकृत किया है। अतः निःशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण के लिए भारत की संसद के उच्च सदन द्वारा 01 दिसम्बर, 2016 को निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया। 27 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर संस्तुति प्रदान की गयी। इस अधिनियम को 17 अध्यायों तथा 102 धाराओं में बाँटा गया है, अध्याय 3 के अन्तर्गत निःशक्त व्यक्तों की शिक्षा का धारा 16 से लेकर 18 तक में वर्णन है। जो निम्नलिखित हैं—

19- fu%'kDr 0;fDr;ks dh f'k{kk (The Education of Persons With Disabilities)

धारा 16—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे कि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाएँ निःशक्त बालकों के लिए सम्मिलित शिक्षा प्रदान करने का पालन करे। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय करेंगी,—

(1) उन्हें बिना किसी विभेद के प्रवेश देना और अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से खेल और आमोद—प्रमोद गतिविधियों के लिए अवसर प्रदान करना।

(2) भवन, परिसर बनाना और पहुँच वाली विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना।

(3) व्यक्तिगत अपेक्षाओं के अनुसार युक्तियुक्त जल, स्वच्छता व स्वास्थ्य सुविधा

(4) पर्यावरण जो पूर्ण समावेशन के ध्येय के साथ सुसंगत शौक्षणिक और सामाजिक विकास को उच्चतम सीमा तक बढ़ाते हैं, में व्यक्तिपरक या अन्य आवश्यक समर्थन प्रदान करना।

(5) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति को जो अंधा या बधिर या दोनों हैं संसूचना की समुचित भाषाओं और रीतियों तथा साधनों में शिक्षा प्रदान करना।

(6) यथाशीघ्र बालकों में विनिर्दिष्ट निःशक्तताओं की विद्या का पता लगाना और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शैक्षणिक और अन्य उपाय करना।

(7) प्रत्येक निःशक्त छात्र के संबंध में उसकी भागीदारी, लाभ प्राप्ति स्तरों के निबंधनों में उसकी प्रगति और शिक्षा की पूर्णता को मानीटर करना;

(8) निःशक्तताओं वाले बालकों और अधिक सहारे की आवश्यकता वाले निःशक्त बालकों के परिचर के लिए भी परिवहन सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
धारा 17—समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी धारा—16 के प्रायोजन के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे—

(क) निःशक्त बालकों की पहचान करने के लिए, उनकी विशेष आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने और जिन्हें वह पूरा कर सकेंगे उसके विस्तार तक स्कूल जाने वाले बालकों के लिए सर्वेक्षण संचालित करनाः परन्तु पहला सर्वेक्षण इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर संचालित होगा।

(ख) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना।

(ग) शिक्षकों को प्रशिक्षित और नियोजित करना जिसके अन्तर्गत निःशक्त अध्यापक भी है जो सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हित है और जो बौद्धिक रूप में निःशक्त बालकों के अध्यापन में प्रशिक्षित हैं।

(घ) सम्मिलित शिक्षा के समर्थन के लिए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना।

(ङ.) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग के लिए संसाधन केन्द्रों को पर्याप्त संख्या में स्थापित करना।

(च) वाक् सम्प्रेषण या भाषा निःशक्तता वाले व्यक्तियों के दैनिक संप्रेषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्प्रेषण ब्रेल और सांकेतिक भाषा के साधनों और रूपविधानों को सम्मिलित करते हुए समुचित संबंधी और अनुकल्पी पद्धतियों के प्रयोग का संवर्धन करना।

(छ) संदर्भित निःशक्त छात्रों को अठारह वर्ष की आयु तक निःशुल्क पुस्तकें, अन्य विद्या सामग्री और उचित सहायक युक्तियाँ।

(ज) संदर्भित निःशक्त छात्रों के समुचित मामलों में छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(झ) निःशक्तताओं वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा में उपयुक्त जैसे परीक्षा पत्र को पूरा करने के लिए अधिक समय, एक लिपिक या सचिव की सुविधा, दूसरी और तीसरी भाषा के पाठ्यक्रमों से छूट के लिए उपयुक्त उपांतरण करना।

(ञ) विद्या सुधारने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना।

(ट) कोई अन्य उपाय जो विहित किए जाएं। धारा—18 समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी प्रौढ़ शिक्षा में निःशक्त व्यक्तियों की भागीदारी को संवार्धित संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए और उनमें अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखने के लिए उपाय करेंगे।

ck/k i'u

3. सुगम्य भारत अभियान – 2015 के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।

....

....

4. (RPWD Act-2016) निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता के नाम लिखिए।

....

....

6-5 lkjka'k

निःशक्तता अभिशाप बोझ नहीं बल्कि एक महत्वपुर्ण मानव संसाधन है। इसलिए उसका पुनर्वास भी नितांत आवश्यक है। इस पुनर्वास की संसाधन से ही राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रीय नीतियां जैसे NPE 1968, NPE 1986, NPE 2015, राष्ट्रीय कार्यक्रम IEDSS (2009), PIED (1987), SSA (2015), राष्ट्रीय कानून RCI Act 1992, PWD ACT 1995, NTA 1999,

निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016, राष्ट्रीय आयोग– कोठारी आयोग (1964–66), सार्जेंट आयोग, बहारूल इस्लाम समिति– इत्यादि विभिन्न उपागमों ने निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं। सामाजिक बहिष्क्रमण से समावेशन की तरफ निःशक्तजनों की राह को सुगम बनाया हैं। इस नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों तथा आयोग की संस्तुति व प्रावधानों की महती भूमिका ही है कि आज समाज में निःशक्तजन को समान अधिकार, उनके अधिकारों का संरक्षण एवम् पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा रही हैं। देश समावेशन की ओर अग्रसर हैं।

6-6 ck/k i'uks d s lEHkkfor mRrj

i'u&1% सार्जेन्ट रिपोर्ट 1944 पर प्रकाश डालिए।

mRRkj&1% (1944) में Certral Advisory Board of Education (CABE) रिपोर्ट में निःशक्तजनों की शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में स्वीकृत करने का सुझाव दिया गया। जहां तक संभव हो सके निःशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ अलग न करने पर जोर डाला गया। इस रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया कि निःशक्त बच्चों को आवश्यकतानुसार विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है। मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में समान शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने पर जोर दिया गया।

i'u&2% IEDC योजना की चर्चा कीजिए।

mRRkj&2% प्रथम शिक्षा नीति के आठ वर्ष के पश्चात केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित IDEC योजना का प्रमुख उद्देश्य निःशक्त बच्चों को सामान्य विद्यालयों में

शिक्षा के अवसर को सुनिश्चित करना था। इस योजना के अन्तर्गत संसाधन शिक्षकों को वेतनमान, निःशक्त बच्चों में वाहन भत्ते Reade Allowance, Escort Allowance, Boarding and Lodging Allowace, सहायक उपकरणों में रियायत, बाधारहित वातावरण के निर्माण, सामान्य विद्यालय में संसाधन कक्ष बनाने इत्यादि पर जोर दिया गया इस योजना के अन्तर्गत एक विशेष पर अध्यापक 8 छात्र की जिम्मेदारी सुनिशिचत करने का सुझाव दिया गया।

iz'u&3% सुगम्य भारत अभियान – 2015 के प्रमुख उद्देश्य लिखिए।

mRRkj&3% सुगम्य भारत अभियान – 2015 के प्रमुख उद्देश्य – लोगों के लिए सुलभ भौतिक परिवेशों में सुगम्यता को बढ़ावा देना (सार्वजनिक परिवहन) और सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी सेवाओं की सुगम्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देना (सूचना एवं संचार प्रोद्यौगिकी) है।

iz'u&4% (RPWD Act-2016) निःशक्तजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 21 प्रकार की दिव्यांगता के नाम लिखिए।

mRRkj&3% 21 प्रकार की दिव्यांगता के नाम :–

1. अंधापन (Blindness), 2. कम–दृष्टि (Low-vision), 3. कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति (Leprosy Cured Persons), 4. सुनवाई हानि (बहरा और सुनने में कठिन) (Hearing Impairment), 5. लोकोमोटर विकलांगता (Locomotor Disability), 6. बौनापन (Dwarfism), 7. बौद्धिक विकलांगता (Intellectual Disability), 8. मानसिक बीमारी (Mental Iliness), 9. ऑटिज्म स्पेक्ट्रप विकार (Aulism Spectrum Disorder), 10. सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy), 11. मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Muscular Dystrophy), 12. जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां (Chronic Neurological Conditions), 13. विशिष्ट सीखने की अक्षमता (Specific Learning Disabilities), 14. मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis), 15. भाषण और भाषा विकलांगता (Speech and Language Disability), 16. थैलेसीमिया (Thalassemia), 17. हीमोफिलिया (Hemophilia), 18. सिकल सेल रोग (Sickle Cell Disease), 19. बहरापन सहित कई विकलांगता (Multiple Disabilities), 20. एसिड अटैक पीड़ित (Acid Attack Victims), 21. पार्किसंस रोग (Parkinson's disease)

6-7 fu;rdk;@xfrfo/k;k

1. वातावरण के निर्माण में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका व प्रासंगिता पर चर्चा करें।

6-8 viuh izxfr dh tkp djs

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में निःशक्तजन हेतु प्राधावानों का टिप्पणी सहित मूल्यांकन करें।
2. निःशक्तजन अधिनियम 1995 को परिभाषित करें तथा इससे हित प्रावधानों का उल्लेख करें।

6-9 ppk@Li"Vhdj.k d fcUn

निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विभिन्न प्रावधानों पर एक परिचर्चा आयोजित करें।

6-10 lnHk@iLrkfor iBu lkexh dk mYy[k dj

1. National Education Policuy 2020: All You Need to Know - Time of India - The Time of India.

2. NCERT National Council of Education Research and Training. Retrieved 12 July 2009.

3. Nitin (13 November 2013). What is Rashtriya Uchatar Shilksha Abhiyaan (RUSA). One India Education. Retrieved 2 February 2014.

4. Ministry of Human Resource Development. Reshtriya Madhyamik Shiksha Abhiya. National Informatics Centre. Retrieved 2 February 2014.

5. Mattoo, Amitabh (16 November 2019). Treating education as a pubilc good. The Hindu ISSN 0971-75X. Retrieved 21 November 2019.

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

B.Ed.SE-07

lekos'kh f'k{kk

[k.M & 3

lekos'kh 'kS{kf.kd funs'ku

bdkbZ & 7 73

प्रतिभावान छात्र

bdkbZ & 8 83

समावेशन में परिवार एवं समाज की भागीदारी

bdkbZ & 9 97

समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाना

mÙkj iznsā'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;

mÙkj iznsā'k iz;kxjkt

lja{kd ,oa ekxZn'kZd	
izks0 d0,u0 flag	dqyifr] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
fo'ks"kK lfefr	
izks0 ih0 d0 ik.Ms;	iwoZ funs'kd f'k{kk fo|k'kk[kk m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
izks0 lhek flag	vkpk;] f'k{kk'kkL= foHkkx] cukjl fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh
izks0 lq"kek ik.Ms;	vkpk;] f'k{kk'kkL= foHkkx] Mh0Mh0;w0 fo'ofo|ky;] xksj[kiqj
izks0 jtuh jatu flag	vkpk;] fo'ks"k f'k{kk foHkkx] Mk0 'kdqUryk feJk jk"Vªh; iquokZl fo'ofo|ky;] y[kuÅ
Mk0 th0d0 f}osnh	lgk;d&vkpk;] f'k{kk'kkL= foHkkx] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
Mk0 fnus'k flag	lgk;d vkpk;] f'k{kk'kkL= foHkkx] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt
ys[kd	
izks0 lhek flag	vkpk;] f'k{kk'kkL= foHkkx] cukjl fgUnw fo'ofo|ky;] okjk.klh ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6½
Mk0 uhrk feJk	ijke'kZnkrk] ¼fo'ks"k f'k{kk½] f'k{kk fo|k'kk[kk] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 7]8]9½
lEikndd	
izks0 jtuh jatu flag	vkpk;] ¼fo'ks"k f'k{kk foHkkx½ Mk0 'kdqUryk feJk jk"Vªh; iquokZl fo'ofo|ky; ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½
ifjekid	
izks0 ih0d0 ik.Ms;	iwoZ funs'kd] f'k{kk fo|k'kk[kk m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½
leUo;d	
Mk0 uhrk feJk	ijke'kZnkrk ¼fo'ks"k f'k{kk½] f'k{kk fo|k'kk[kk] m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt ¼bdkbZ& 1]2]3]4]5]6]7]8]9½
lg;ksxd	

çdk'kd

flrEcj] 2020 ¼eqfnzr½

© m0iz0 jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt 2020

ISBN-

mRrj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky;] iz;kxjkt lokZf/kdkj lqjf{kr A bl ikB~;lkexzh dk dksbZ Hkh va'k mRrj izns'k jktf"kZ V.Mu eqDr fo'ofo|ky; dh fyf[kr vuqefr fy, cxSj fefe;kxzkQ vFkok fdlh vU; lk/ku ls iqu% iLrqr djus dh vuqefr ugha gSA

uksV % ikB~; lkexzh esa eqfnzr lkexzh ds fopkjksa ,oa vkdM+ksa vkfn ds izfr fo'ofo|ky;] mÙkjnk;h ugha gSA

izdk'ku % mÙkj izns'k jktf"kZ V.Mu fo'ofo|ky;] iz;kxjkt

[k.M ifjp;
lekos'kh 'kS{kf.kd funs'ku

इस खण्ड में आप प्रतिभावान छात्र, समावेशन में माता–पिता एवं समाज का सहयोग एवं समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाना इत्यादि से अवगत हो सकेंगे। इस खण्ड में कुल तीन इकाईयां है।

इकाई–07 में आप प्रतिभावान बालको का अर्थ, परिभाषा, विशेषताओं को समझ सकेंगे, प्रतिभावान बालकों के लिए आवश्यक विभिन्न विधियों को समझ सकेंगे।

इकाई–08 में समावेशन में माता–पिता की भूमिका, समुदाय की भूमिका तथा समावेशी शिक्षा के समुदाय के सहभागिता की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे।

इकाई–09 में आप समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनो की आवश्यकता को समझ सकेंगे, समावेशी शिक्षा के स्त्रोतों व संसाधन के जुटाने के तरिकों को जान सकेंगे।

bdkb&7

ifrHkkoku Nk=

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 प्रतिभावान बालक का अर्थ एवं परिभाषाएँ

7.4 प्रतिभावान बालकों की विशेषताएँ

7.5 प्रतिभावान बालक की पहचान

7.6 प्रतिभावान बालक की पहचान की विधियों

7.7 प्रतिभावान बालकों हेतु शिक्षा

7.8 सारांश

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.10 संदर्भ/उपयोगी पुस्तकें

7.11 अभ्यास प्रश्न

7-1 iLRkkouk

विशिष्ट बालकों की श्रेणी में पूर्व की इकाईयों में हमने विभिन्न प्रकार के बालकों के संबंध में चर्चा की है। विशिष्ट बालकों के प्रत्ययों के बारे में सर्वप्रथम मस्तिष्क में दिव्यांग बालक या विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रस्त बालकों के बारे में ध्यान आता है। परंतु आपको इस बारे में अवगत करवाना चाहते है कि विशिष्ट बालको की श्रेणी में प्रतिभावान बालकों को भी सम्मिलित किया जाता है।

जिस प्रकार दिव्यांग बालकों के अध्यापन में अध्यापकों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रतिभावान छात्रों के अध्यापन हेतु अध्यापको को विशेष तरीके का सहारा लेना पड़ता है। विशिष्ट बालकों हेतु उनकी शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर विशेष तरीके एवं सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। ताकि उनके शैक्षिक कार्यक्रमों में इन बालकों को अधिकतम शैक्षिक लाभ प्राप्त हो सकें।

उपरोक्त संदर्भ में यह अति आवश्यक है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों में प्रतिभावान छात्रों की पहचान करना अति आवश्यक है। प्रतिभावान छात्रों मे ऐसे छात्रों को शमिल किया जा सकता हैं। जो शैक्षिक, कलात्मक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक योग्यताओं को अपने व्यक्तित्व में प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभावान छात्रों के लिए परम्परागत पाठ्यक्रम अनुपयुक्त साबित होता है तथा इन छात्रों के शैक्षित विकास हेतु अग्रिम एवं विशेष चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है।

शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के उपरांत जहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाधारहित वातावरण तैयार करने हेतु उन्हें विशेष तकनीकी एवं सामग्री द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। परन्तु प्रतिभावन छात्रों द्वारा उपलब्ध पाठ्यक्रम को समझने हेतु पुर्व में ही तैयारी कर ली जाती है तथा प्रतिभावान छात्रों द्वारा अपने सहपाठियों की सहायता उनके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति मे सहायता प्रदान करते हैं।

इस तथ्य से भी इनकार नही किया जा सकता है कि सामान्य कक्षा में छात्रों की अपने पसंद के क्षेत्र को खोज करने की आजादी नहीं होती हैं। जिसके कारण वे आपने पाठ्यक्रम को समय से पुर्व ही समाप्त कर कक्षा के अन्य छात्रों को परेशान करना प्रारम्भ कर देते है जिसे कक्षा कक्ष का अनुशासन भंग हो सकता है तथा सामान्य छात्रों को अध्ययन से ध्यान भंग हो सकता है।

अतः विशिष्ट बालकों के अर्न्तगत दिव्यांग एवं प्रतिभावान दोनों प्रकार के बालकों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि दो प्रकार के बालकों की आवश्यकताएं विशिष्ट होती है जिन्हें पूर्ण करने हेतु शिक्षक को विशेष प्रयास करने पड़ते हैं।

7-2 mnn';

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- प्रतिभावान बालकों का अर्थ एवं परिभाषा जान पायेंगे।
- प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं को जान पायेंगे।
- प्रतिभावान बालकों को पहचान करने में सक्षम हो सकेंगे।
- प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की विभिन्न विधियों से अवगत हो सकेगे।
- प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के बारें में चर्चा कर सकेंगे।

7-3 ifrHkkoku ckyd dk vFk ,o ifjHkk"kk,

प्रतिभावान बालक के संबंध कुछ मिथ्या धारणा भी है जैसे अधिकांश व्यक्तियों की सूची में प्रतिभावान बालकों में केवल उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धिलाब्धि 130 या उससे अधिक होती है। परंतु आपको इस बात से अवगत करवाना अति आवश्यक है कि केवल बौद्धिक योग्यता के आधार पर ही किसी बालक को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। प्रतिभावान बालक की श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक हो अर्थात् उनकी बुद्धिलाब्धि 120 से अधिक होने के साथ–साथ जो बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता हो तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों में निरंतरता बनी रहे। यदि कोई बालक किसी कार्य का निष्पाद उच्च स्तर पर करता है परंतु उसी कार्य किसी और समय अथवा उसी प्रकार के कार्य के निष्पादन में पूर्व की तरह श्रेष्ठा नहीं दिखा पाता है तो उसे प्रतिभावान बालक की श्रेणी में नही रखा जा सकता।

किसी भी बालक को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखने के लिए निम्नलिखित कार्यों को कौशलता पूर्ण करना आवश्यक हैः

1. बालक समाज के द्वारा निश्चित की गयी सभी परिपाटियों को निभाने में सक्षम हो अर्थात् बालक एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए।
2. बालक के अंदर कलात्मकता का गुण होना चाहिए।
3. बालक विद्यालय में सभी पाठ्यसहभागी क्रियाओं में प्रतिभाग लेता हो।
4. बालक में संगीतिक गुण होना चाहिए।

5. बालक को भाशीय ज्ञान होना चाहिए। भाशीय ज्ञान से अभिप्राय उन सभी भाषाओं से है जिन्हें बालक को कक्षा में सिखाया जा है।

6. बालक शारीरिक रूप से स्वास्थ होना चाहिए।

7. बालक अपने शैक्षिक कार्यो में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए।

उपरोक्त सभी गुण यदि किसी एक बालक के अंदर हो तो हम उस बालक को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रख सकते है।

हालाकि प्रतिभावान बालक के मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों की अपनी अलग–अलग राय है जिसके आधार पर उन्होने प्रतिभावान बालक की परिभाषाओं का निमार्ण किया है। उनमें से कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित है।

fLduj o gjheu के अनुसार ''प्रतिभावान शब्द का प्रयोग उन एक प्रतिशत बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे बुद्धिवान होते है।''

Øks ,o Øksu प्रतिभावान बालक की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते प्रतिभावान बालक के दो प्रकार की श्रेणी में विभक्त किया है प्रथम श्रेणी में उन बालकों को सम्मिलित किया है जिनकी बुद्धिलब्धि 130 से अधिक होती है तथा दूसरी श्रेणी में उनको रखा है जो बालक कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में से एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते है।

Vjeu o vkWMu ds अनुसार ''प्रतिभावन बालक शारीरिक गठन, समाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रूचियों की एक रूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते है।''

यदि हम सामान्य प्रायिकता वक् (Normal Probability Curve) को ध्यान से निरीक्षण करे तो हमे ज्ञात होगा कि कक्षा के सभी बालकों में से एक बहुत बड़ी संख्या सामान्य बुद्धिलब्धि बालकों की होती है तथा बहुत कम ऐसे बालक होते है जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों के कम होती है या अधिक होती है। जिन बालकों की बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों की बुद्धिलब्धि से अधिक होती है, जिनकी संख्या भी काफी कम होती है उन्हे हम प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखते हैं।

7-4 izfrHkkoku ckydk dh fo'ks"krk,

उपरोक्त वर्णन के आधार पर हम प्रतिभावान बालकों की सामान्य विशेषताओं को बता सकते है।

प्रतिभावान बालकों की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित हैः–

1. प्रतिभावान बालक अपने किये गये कार्य को पूर्णतावादी (perfectionist) की तरह से करने में सक्षम होते है।
2. प्रतिभावान बालक के द्वारा किया गया कार्य आर्दशवादी होता है अर्थात् उनके द्वारा किया गया कार्य सभी के लिए आर्दश प्रस्तुत करता है।
3. प्रतिभावान बालक द्वारा किये गये कार्य पूर्ण रूप से अनुक्रम रूप से किये जाते है।
4. सामान्यता प्रतिभावान बालक की आयु उसकी मानसिक आयु से कम होती है अर्थात् उसके द्वारा किये गये कार्य उसकी आयु के हिसाब से अधिक होते है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिभावान बालक अपनी कक्षा का आधे से अधिक पाठ्यक्रम विद्यालय के प्रारम्भ होने से पहले ही समाप्त कर लेते है।

5. प्रतिभावान बालक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होते है।
6. प्रतिभावान बालक को कक्षा में सफल होने के लिए सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखा जाता है। यदि वह अपनी कक्षा में सर्वश्रेष्ठ की स्थिति को नही बना पाते तो उन्हें सफल अभियर्थी की श्रेणी में रखा जाता है जो प्रतिभावान बालक को असफलता महसूस होती है।
7. प्रतिभावान बालक में रचनात्मक सोच होती है।
8. प्रतिभावान बालक में सामान्य बालकों के मुकाबले अच्छी नेतृत्व की क्षमता होती है।
9. प्रतिभावान बालक में सामान्य बौद्धिक क्षमता सामान्य बालकों के मुकाबले अधिक/अच्छी होती है।
10. प्रतिभावान बालक की भाषा योग्यता अच्छी होती है तथा उसके भाषा शब्द कोश विशाल होता है।
11. प्रतिभावान बालक अमूर्त विषयों में अधिक चिंतन करता है तथा उस सभी कार्यों को करने में रूचि दिखाता है।
12. प्रतिभावान बालक द्वारा अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में अधितीय सफलता प्राप्त करता है।

7-5 ifrHkkoku ckyd dh igpku

प्रतिभावान बालक कौन हो सकते है इसकी पहचान हम निम्न आधार पर कर सकते है।

1. यदि बालक स्वतंत्र रूप से किसी के बारे विचार करता हो।
2. यदि बालक किसी समस्या का एक से अधिक समाधान लेकर आये या आपकी की समस्या को विभिंन्न प्रकार से सुलझाये।
3. यदि बालक के विचार अन्य व्यक्तियों या बालकों से भिन्न हो तो भी बालक द्वारा उस पर किसी प्रकार का बुरा न माने।
4. किसी भी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को करने के लिए चुनौती ले।
5. यदि बालक कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किल कार्यो को करने में सक्षम हो।
6. यदि बालक एक अच्छा निरीक्षणकर्ता हो।
7. यदि बालक किसी नये सुझावों से प्रोत्साहित हो।
8. बालक का अधिगम अत्यंत तीव्र गति से हो।
9. यदि बालक द्वारा किसी कार्य स्वयं ही प्रारंभ कर ले।
10. यदि बालक की स्मरण करने की क्षमता अच्छी हो।
11. यदि बालक सामान्य कौशलों के ज्ञान को तुरंत सीख ले।
12. बालक द्वारा स्वयं ही अपने उत्तरदायित्वों को समझ ले।
13. यदि बालक द्वारा स्वयं फैसले एवं निर्णय लेने में सक्षम हो।
14. यदि बालक द्वारा खेल कूद की क्रियाओं में प्रतिभावान करना पसंद करे।
15. यदि बालक में उच्च स्तरीय ऊर्जा हो।

16. यदि बालक द्वारा नृत्य, नाटक एवं संगीत इत्यादि द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने एवं अपनी भावनाओं एवं मनोदशा एवं स्वभाव को दिखाने की क्षमता हो।

17. प्रतिभावान बालक में आश्चर्यजनक कल्पना, मौलिकता, तथा साधन सुलभता का गुण होता है।

<u>ck/k iz'u</u>

1. हम किन बालकों को प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं?

....

....

2. प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये।

....

....

3. आप प्रतिभावान बालकों की पहचान किस आधार पर कर सकते है?

....

....

7-6 izfrHkkoku ckyd dh igpku dh fof/k;k¡

सामान्यतया ऐसा हो सकता है कि उपरोक्त विशेषताएं किसी बालक में प्रदर्शित न हो। उसका कारण बालक को अवसर प्राप्त न होना भी हो सकता है। अतः प्रतिभावान बालक की पहचान के लिए vkHkk luh fc"V ने निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया है:–

1- oLrqfu"B ijh{kk d }kjk– इस प्रकार की परीक्षा के लिए बालकों के सम्मुख शैक्षिक निष्पति, रूचि परीक्षण से संबंधित प्रश्न, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न, तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्नों को रखा जा सकता है। जिससे बालक की अधिकांश कौशल एवं योग्यताओं का ज्ञान प्राप्त हो सके। हांलाकि अधिकांश विशेषज्ञ इस प्रकार की परीक्षा को तर्क संगत नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि केवल बुद्धिलब्धि के द्वारा ही बालक की प्रतिभावान क्षमता को मापा जा सकता है। और यदि बालक की बुद्धिलब्धि से अधिक है तो इस परीक्षा को वह आसानी से सफलता प्राप्त कर लेगा।

2- v/;kid d fopkjk }kjk& अध्यापक द्वारा भी साधारण बालक में से प्रतिभावान बालक की खोज कर सकते हैं पर यह विधि अधिक वैध नहीं है। अध्यापक अपने निर्णय त्रुटि भी कर सकता है। कभी–कभी अध्यापक ऐसे बालक को प्रतिभावान समझ लेता है जो अधिक आयु के कारण अच्छा कार्य कर लेता है या माता–पिता के प्रयासों से अधिक योग्यता प्रदर्शन करने में सफल होता है। अतः प्रतिभावान बालकों की खोज के लिए आवश्यकता है कि अध्यापकों की सामूहिक राय जानने के साथ–साथ बुद्धि परीक्षण का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।

3- fo|ky; dh ijh{kkvk d }kjk– विद्यालयों की परीक्षाओं में निरंतर सबसे अच्छे अंक प्राप्त करना भी प्रतिभा का द्योतक है। परंतु इस विधि पर अधिक विश्वास करना कठिन है। इसका कारण यह है कि विद्यालय परीक्षाओं के अंक को प्रतिभा कम और अन्य घटक अधिक प्रभावित करते हैं। अतः विद्यालयों में अंकों के साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं कर आयोजन अपरिहार्य है।

7-7 ifrHkkoku ckydks gsrq f'k{kk

प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति निम्न प्रकार से की जा सकती हैः–

1- d{kkUufr dk iko/kku– प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के प्रारूप के अंर्तगत प्रतिभावान बालकों को उनके योग्यता के अनुसार एक वर्ष में प्रस्तुत कक्षा के पाठ्यक्रम को समाप्त करने के उपरांत बालक की शैक्षिक निष्पति की परीक्षा के उपरांत बालक को उसी वर्ष में आगामी कक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है। अर्थात् एक प्रतिभावान बालक एक वर्ष में एक से अधिक कक्षा में पदोन्नत किया जा सकता है। परंतु यह प्रारूप तभी सफल हो सकता है जब प्रतिभावान बालक सभी विषय में सर्व श्रेष्ठ हो तथा बालक में यह योग्यता हो कि यदि वह किसी वर्ष के मध्य में किसी उच्च कक्षा में पहुँच जाता है तो वह बालक उस कक्षा में पूर्व के समाप्त किये गये पाठ्यक्रम को स्वयं करने व समझने में सक्षम हो। हांलाकि मनोवैज्ञानिकों में इसमें मतभेद है कि बालक उच्च कक्षा में पहुँचने पर बालक को समायोजन की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

2- ikB;Øe esa foLrkj.k– मनोवैज्ञानिकों एवं विशिष्ट शिक्षा के विशेषज्ञों द्वारा एक वर्ष में कक्षोन्नति का प्रावधान के स्थान पर प्रतिभावान बालकों के लिए कक्षा विशेष के पाठ्यक्रम के विस्तारण के प्रावधान का सुझाव दिया है। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के इस प्रारूप के अनुसार प्रतिभावान बालक की कक्षा के पाठ्यक्रम को विस्तृत करने का अभिप्राय कक्षा विशेष के पाठ्यक्रम में अधिक एवं कठिन बना दिया जाये। जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभावान बालक द्वारा अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के आधार पर अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। पाठ्यक्रम के स्तर में कठिनाई होने के कारण प्रतिभावान बालकों में सामान्य बालकों के मुकाबले अधिक शैक्षिक योग्यता का अर्जन होगा। स्किनर द्वारा भी इस प्रारूप का समर्थन किया है उनके अनुसार इससे बालक की मौखिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता और तर्क शक्ति, चिंतन एवं रचनात्मक शक्यिों का विकास हो सकेगा। परंतु इस प्रारूप की सीमा के अंर्तगत् यह बताना अति आवश्यक है कि एक ही कक्षा में दो प्रकार के पाठ्क्रम को लागू करना प्रायोगिक तौर पर संभव नहीं हो सकता।

3- v/;kid }kjk ifrHkkoku ckydks ij fo'ks"k /;ku nsuk– प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के इस प्रारूप के अंर्तगत् कक्षा कक्ष के अध्यापकों को प्रतिभावान बालकों के प्रति व्यक्तिगत एवं विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को अलग से समय देकर देखना चाहिए। अध्यापक द्वारा समय–समय पर प्रतिभावान बालकों का परामर्श देना चाहिए एवं यथासंभव उन्हें दिये गये कार्यों को और अधिक उत्तम तरीके से करने हेतु निर्देशित करना चाहिए। जिसे प्रतिभावान बालकों का सम्पूर्ण योग्यता का उपयोग हो सके एवं उनकी प्रगति में भी सकारात्मक विकास हो सके। हलाँकि इसकी प्रारूप के अंतर्गत यदि अध्यापक अपनी उत्तरदायित्व को नही निभाता है तो संभव है कि प्रतिभावान बालक के द्वारा कक्षा कक्ष का अनुशासन बिगड़ने की संभावना बनी रहती है।

4- ifrHkkoku ckydks dks mRrjnkf;Ro nsuk– प्रतिभावान बालक की शिक्षा की विधि के अंतर्गत प्रतिभावान बालकों द्वारा कक्षा के संचालन में उत्तरदायित्व दे देना चाहिए। इन उत्तरदायित्वों के अंतर्गत प्रतिभावान बालकों को कक्षा में मानिटर बनाया जा सकता है या कक्षा में शैक्षिक रूप से कमजोर बालको के पहचान के उपरांत प्रतिभावान बालकों को एक छोटे से शैक्षिक रूप से कमजोर बालकों के समूह को पढ़ाने का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। इस विधि में प्रतिभावान

बालकों द्वारा शैक्षिक रूप से कमजोर बालकों के पढ़ने के परिणामस्वरूप उनके पाठ्यक्रम का पुनः दोहराना हो जायेगा जिससे उनकी शैक्षिक कौशल को विकसित करने में सहायता मिलेगी तथा साथ ही साथ कक्षा में कमजोर बालकों को शैक्षिक सहायता भी प्राप्त हो जायेगा। इस विधि के द्वारा प्रतिभावान बालकों में नेतृत्व का प्रशिक्षण भी प्राप्त हो जायेगा।

5- lkekU; d{kk e v/;;u– प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की यह विधि उस विधि के प्रतिकुल है जिसमें प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने के स्थान पर विशिष्ट कक्षों या विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाने का समर्थन करते है। मनोवैज्ञानिकों का यह तर्क है कि यदि प्रतिभावान बालकों के लिए विशिष्ट कक्षा या विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान किया जायेगा तो प्रतिभावान बालकों में घमंड की भावना पैदा हो सकती है तथा वह सामान्य बालकों को हीनता की भावना से देखना प्रारम्भ कर सकते हैं। अतः आवश्यक है कि प्रतिभावान बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे प्रतिभावान बालकों एवं सामान्य बालकों के बीच मधुर संबंध बनाये जा सके तथा भविष्य में प्रतिभावान एवं सामान्य बालकों को एक दूसरे के साथ समायोजन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

6- ifrHkkoku ckykdk dk vU; fo'k;k e :fp i|nk djuk– प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए आवश्यक है कि उनमें अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तिकों के साथ–साथ अन्य विषयों के पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्रिया में अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों को उचित निर्देश एवं परामर्श देना चाहिए। परन्तु यह तभी संभव हो सकता है यदि विद्यालय में प्रतिभावान बालकों की पुस्तकें उपलब्ध हों। इसके लिए विद्यालय प्रशासन को भी अपने विद्यालय में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाना अति आवश्यक है।

7- ifrHkkoku ckydk gr| ikB; lgxkeh fØ;kvk dk vk;ktu djokuk– जैसा कि पूर्व में ही बताया जा चुका है कि प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक योग्यता ही नहीं बल्कि उनकी रूचि से संबंधित अनेक कार्यों में पारंगत होते हैं। अतः प्रतिभावान बालकों को शिक्षा प्राप्ति के अर्न्तगत विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया जाना चाहिए ताकि प्रतिभावान बालकों की चहुँमुखी प्रतिभा का विकास हो सके। प्रतिभावान बालकों को पाठ्यसहगामी क्रियाओं के आयोजन में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनमें समन्वय, सहायता, नेतृत्व आदि गुणों का विकास हो।

ck/k i'u

नीचे दिये प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

4. प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है?

....

....

5. प्रतिभावान बालकों को पहचाननें की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए?

....

....

7-8 lkjk'k

प्रतिभावान छात्रों में ऐसे छात्रों को शमिल किया जा सकता है जो शैक्षिक, कलात्मक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक योग्यताओं को अपने व्यक्तित्व में प्रदर्शित करते है। शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के उपरांत जहाँ विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए बाधारहित वातावरण तैयार करने हेतु उन्हें विशेष तकनीकी एवं सामग्री द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। परंतु प्रतिभावान छात्रों द्वारा उपलब्ध पाठ्यक्रम को समझने हेतु पूर्व में ही तैयारी कर ली जाती है तथा प्रतिभावान छात्रों द्वारा अपने सहपाठियों की सहायता उनके शैक्षिक उद्‌देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं।

प्रतिभावान बालक के संबंध कुछ मिथ्या धारणा भी है जैसे अधिकांश व्यक्तियों की सूची में प्रतिभावान बालकों में केवल उन बालकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी बुद्धिलाब्धि 130 या उससे अधिक होती है। प्रतिभावान बालक की श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिनकी बैद्धिक क्षमता सामान्य बालकों से अधिक हो अर्थात् उनकी बुद्धिलाब्धि 120 से अधिक होने के साथ–साथ जो बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता हो तथा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों में निरंतरता बनी रहे। यदि काई बालक किसी कार्य का निष्पादन उच्च स्तर पर करता है परंतु उसी कार्य को किसी और समय अथवा उसी प्रकार के कार्य के निष्पादन में पूर्व की तरह श्रेष्ठता नहीं दिखा पाता है तो उसे प्रतिभावान बालक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

बालक एक सामाजिक प्राणी होना चाहिए। बालक के अंदर कलात्मकता का गुण होना चाहिए। बालक विद्यालय में सभी पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग लेता हो। बालक में संगीतिक गुण होना चाहिए। बालक को भाषीय ज्ञान होना चाहिए। भाषीय ज्ञान से अभिप्राय उन सभी भाषाओं से हैं जिन्हें बालक को कक्षा में सिखाया जाता है। बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बालक द्वारा अपने शैक्षिक कार्यो में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए।

प्रतिभावान बालक की पहचान की विधियाँ तीन प्रकार से हो सकती है प्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा, द्वितीय अध्यापक के विचारों द्वारा एवं विद्यालय की परीक्षाओं के द्वारा प्रतिभावान बालकों हेतु कक्षोन्नति का प्रावधान के द्वारा, पाठ्यक्रम में विस्तारण के द्वारा एवं अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों पर विशेष ध्यान देने के द्वारा, प्रतिभावान बालकों को उत्तरदायित्व देने के द्वारा एवं सामान्य कक्षा में अध्ययन के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है।

7-9 ck/k i'uk dk mRrj

i'u&1 हम किन बालकों को प्रतिभावान बालकों की श्रेणी में रख सकते हैं?

mRrj&1 प्रतिभावान बालको में केवल उन बालकों को सम्तिलित किया जाता है जिनकी बुद्धिलाब्धि 130 या उससे अधिक होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिभावान बालक में समाजिक प्राणी होना चाहिए। बालक के अंतर कलात्मक गुण एवं पाठ्यसहागामी क्रियाओं में प्रतिभाग करता हो। बालक में संगीतिक गुण, भाषीय ज्ञान एवं शैक्षिक कार्यों के साथ–साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।

i'u&2 प्रतिभावान बालकों की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिये।

mRrj&2 प्रतिभावान बालकों के विशेषताओं के अंतर्गत बालक पूर्णतावादी एवं अनुकम रूप में कार्य करने में सक्षम हो। बालक में आर्दशवादी गुण होना चाहिए।

प्रतिभावान बालक की आयु उसकी मानसिक आयु से कम होती है। वह सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो। उनमें रचनात्मक सोच एवं नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। प्रतिभावान बालक की भाषा योग्यता अच्छी होती है एवं अमूर्त विषयों के बारें में चिंतन करते है। प्रतिभावान बालकों को सभी विषयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।

iz'u&3 आप प्रतिभावान बालकों की पहचान किस आधार पर कर सकते है?

mRrj&3 प्रतिभावान बालक स्वतंत्र रूप से किसी के बारे में विचार कर किसी समस्या का एक से अधिक समाधान लेकर आते हैं। उनके द्वारा रचनात्मक कार्यों को करने के लिए चुनौती स्वीकार करते है। प्रतिभावान बालक कठिन परिस्थितियों में भी मुश्किल कार्यों को करने में सक्षम होते है। बालक में अच्छा निरीक्षणकर्ता के गुण होने चाहिए एवं नये सुझावों को प्रोत्याहित करना चाहिए। उनका अधिगम अत्यंत तीव्र गति से होता है एवं स्वयं कार्य प्रारंभ करते है। प्रतिभावान बालकों की स्मरण क्षमता अच्छी होनी चाहिए। बालक द्वारा स्वयं ही अपने उत्तरदायित्वों को समझते है। तथा बालक स्वयं फैसले एवं निर्णय लेने में सक्षम हो। प्रतिभावान बालक खेल कूद की क्रियाओं में प्रतिभाग करे एवं उसमें उच्च स्तरीय ऊर्जा होनी चाहिए।

iz'u&4 प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति किस प्रकार की जा सकती है?

mRrj&4 प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति कक्षा में कक्षोन्नति का प्रावधान के द्वारा, पाठ्यक्रम में विस्तारण के द्वारा, अध्यापक द्वारा प्रतिभावान बालकों पर विशेष ध्यान देना, प्रतिभावान बालकों को उत्तरदायित्व देना, सामान्य कक्षा में अध्ययन, प्रतिभावान बालकों को अन्य विषयों में रूचि पैदा करना आदि के द्वारा कक्षा में प्रतिभावान बालकों की शिक्षा की पूर्ति की जा सकती है।

iz'u&5 प्रतिभावान बालकों को पहचानें की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए ?

mRrj&5 प्रतिभावान बालकों को पहचानें की विभिन्न विधियों :–

1. वस्तुनिष्ठ परीक्षा के द्वारा
2. अध्यापक के विचारो द्वारा
3. विद्यालय की परीक्षाओं के द्वारा

7-10 vH;kl iz'u

1. प्रतिभावान बालकों को शैक्षिक कार्यों में सम्मिलित रखने हेतु दो क्रियाकलापों का निर्माण कीजिये।

2. प्रतिभावान बालक समाज में कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते है? कौन– कौन से उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

7-11 lanHkZ@mi;ksxh iqLrdsa

1. Adapting Activities & Materials for Young Children with Disabilities (early Intervantion Techincal Assitance, 1995)

2. Famaily violence Children's Activity Book Children's Activities A NSW Aoriginal Justice Adivisory Council Family Violence Awareness Initiative.

3. Copin with crisis activity book.

4. Helping Children learn in kids with Autism.

5. Tips for Teachers: Teaching Students with Disabilities.

bdkbZ&8

lekos'ku esa ekrk&firk ,oa lekt dk lg;ksx

8.1 प्रस्तावना

8.2 उद्देश्य

8.3 समावेशी शिक्षा का अर्थ

8.4 समावेशी शिक्षा की विशेषताएं

8.5 समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारण

8.6 समावेशी शिक्षा में माता–पिता की भूमिका

  8.6.1 दिव्यांग बालकों के प्रति माता–पिता की अभिवृतियां

  8.6.2 दिव्यांग बालकों के प्रति माता–पिता का समावेशन के प्रति सहयोग

8.7 समावेशन में समुदाय की भूमिका

8.8 समुदाय सहभागिता का आवश्यकता

8.9 समुदाय का समावेशी शिक्षा में सहयोग

8.10 सारांश

8.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

8.12 अभ्यास प्रश्न

8.13 संदर्भ/उपयोगी पुस्तकें

8-1 iLrkouk

भारतीय संविधान की अधिनियम की धारा 21(ए) के अनुसार शिक्षा बालक का मौलिक अधिकार है। जिसके अंर्तगत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सरकार का है तथा सभी बालकों का शिक्षा पाने का अधिकार है।

दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम 1995 तथा RPWD, 2016 के अनुसार सभी 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग बालको को सरकार द्वारा निशुल्क शिक्षा प्रदान करवाये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2006 मे युनाईटेड नेशन में पारित यू एन सी आर पी डी (UNCRPD) की धारा 24 के अंर्तगत् सभी दिव्यांग व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नही होना चाहिए।

वर्ष 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंर्तगत यह प्रावधान किया गया कि सभी बालक बिना किसी भेदभाव जैसे लिंग, जाति, धर्म, दिव्यांगता आदि के अपने नजदीक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

उपरोक्त वर्णित सभी अधिनियम का केवल एक उद्‌देश्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना है। सरकार द्वारा सभी बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों में दिव्यांग बालकों की शिक्षा को भी सम्मिलित किया जाता हैं। अतः भारतीय संविधान के किसी भी अधिनियम में जहाँ बालकों की शिक्षा के बारे में वर्णन किया गया है उसके अंर्तगत् दिव्यांग बालक भी समाहित होते है।

परन्तु भारतीय संविधान में दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु प्रावधान होना काफी नहीं हैं। शिक्षा के विभिन्न प्रावधान में दिव्यांग बालकों को समावेशित शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है।

8-2 mn~ns';

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप अवगत हो सकेगे : –

- समावेशी शिक्षा का अर्थ समझ सकेंगे।
- समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को जान पायेंगे।
- समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारणों से अवगत हो सकेंगे।
- समावेशी शिक्षा में माता–पिता की भूमिकाओं को जान पायेंगे।
- समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका को जान पायेंगे।
- समावेशी शिक्षा में समुदाय के सहभागिता की आवश्कताओं के बारें में चर्चा कर सकेगे।

8-3 lekos'kh f'k{kk dk vFkZ

समावेशी शिक्षा के अंर्तगत दिव्यांग बालको को सामान्य कक्षाओं में सम्मिलित करना होता हैं। परंतु समावेशी शिक्षा का आदर्श अर्थ से काफी विस्तृत माना गया है। समावेशी शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें बालकों को उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जातियॅ, भाषीय, रहन–सहन की परिस्थितिय, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, लिंग, दिव्यांगता आदि भेदभाव के बिना सभी बालकों को एक ही शिक्षा प्रणाली में समाहित किया जाता है। समावेशी शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से बाल केद्रित प्रणाली के रूप में जानी जाती है।

8-4 lekos'kh f'k{kk dh fo'ks"krk,a

अंतराष्ट्रीय दिव्यांगता एवं विकास महासंध की 1998 की विचारगोष्ठी के अनुसार समावेशित शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैः–

1. इस बात को स्वीकार करना कि सभी बालकों में सीखने की क्षमता होती है अर्थात् सभी बालक सीख सकते हैं।
2. बालकों की विभिन्नताओं को स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।
3. शैक्षिक ढाचों, प्रणालियों को इस प्रकार तैयार करना चाहिए कि वह सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

8-5 lekos'kh f'k{kk dks ykxw djus ds dkj.k

सरकार द्वारा दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा लागू करने के निम्न मुख्य कारण है:–

1. समावेशी शिक्षा प्रणाली एक मतव्ययी शिक्षा प्रणली है। यदि हम दिव्यांग बालकों के बारे में चर्चा करें तो ज्ञात होगा कि पूर्व में दिव्यांग बालकों हेतु विशेष विद्यालयों का निमार्ण किया जाता था। परंतु समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में ही पढ़वाने का प्रावधान हैं। अतः दिव्यांग बालकों हेतु विशेष विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। जिससे विशेष विद्यालय की स्थापना में लगने वाले धन का प्रयोग कहीं और हो सकता हैं।
2. समावेशी शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बालकों को अपने घर के पास ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। यह उन दिव्यांग बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनके अभिभावक एवं माता–पिता अपने दिव्यांग बालकों को सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास ही रखना चाहते हैं।
3. समावेशी शिक्षा के द्वारा दिव्यांग बालकों को अपने समाज में समायोजन करने में आसानी होती हैं।
4. समावेशी शिक्षा में बालकों का निरंतर विकास होता रहता है।
5. समावेशी शिक्षा से दिव्यांग बालकों का सकलांग बालकों के साथ पारस्परिक संबंध एवं अतः वैयक्तिक कौशल विकासित करने में आसानी होती है।
6. समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालको की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को पहचानते हुए साकारात्मक परिवेश का निर्माण किया जाता है।
7. समावेशी शिक्षा बाल केद्रित शिक्षा प्रणाली के रूप में जानी जाती है अतः शिक्षक द्वारा दिव्यांग बालकों के अध्यापन हेतु उपयुक्त एवं शिक्षा पद्धतियों का उपयोग किया जाता है।

ck/k iz'u

1. समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को समझाइए ?

   ....

   ....

2. समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं?

   ....

   ....

3. समावेशी शिक्षा को लागू करने के विभिन्न तर्कों को समझाइए?

   ....

   ....

fn0;kax ckydksa gsrq lekosf'kr f'k{kk dk egRo&

1. समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों को अपने सकलांग साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया करने का अवसर प्रदान करती हैं। जो कि भविष्य में दिव्यांग बालकों को समाज में समावेशित करने में सहायक होती हैं।

2. समावेशी शिक्षा प्रणाली बालकों के बीच एक प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलता हैं जिससे उनके मनोबल का विकास होता है।

3. समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों को सकलांग बालकों के साथ अध्ययन करते है जिससे सकलांग बालकों को दिव्यांग बालकों की योग्यता का ज्ञान होता है जिससे सकलांग बालकों में दिव्यांग बालकों के प्रति व्यवहार में सकारात्मक परिर्वतन आता है।

4. समावेशी शिक्षा में शिक्षक दिव्यांग बालकों के लिए कुछ स्तरीय शिक्षण पद्धतियों का विकास कर लेते है।

8-6 l ekos'kh f'k{kk e= ekrk&firk dh Hkfedk

दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में समाज के विभिन्न वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन विभिन्न वर्गें में दो सबसे महत्वपूर्ण वर्गों दिव्यांग बालक के माता–पिता या समुदाय दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक रवैया नहीं रखता है तो दिव्यांग बालकों को समाज में समावेशी शिक्षा प्रदान करना काफी कठिन कार्य हो जायेगा।

आईए। अब हम सबसे पहले समावेशी शिक्षा के प्रति दिव्यांग बालकों के माता–पिता के बारे में चर्चा करते है। परंतु सबसे पहले हम इस बात को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं कि क्या दिव्यांग बालक के माता–पिता अपने दिव्यांग बालक को शिक्षित करना चाहते है।

इसके लिए सर्वप्रथम हम दिव्यांग बालक के माता–पिता के विभिन्न अभिवृतियों के बारे में चर्चा करेगें।

8-6-1 fn0;kax ckydk d; ifr ekrk&firk dh vfHkofr;k

महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका अपना धर होता है एवं माता–पिता उसके प्रथम अध्यापक होते हैं । किसी भी बालक के विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता एवं बालक की उन्नति उसके परिवार के सकारात्मक अभिवृति पर निर्भर करता है। परिवार एवं बालक की उन्नति उसके परिवार के सकारात्मक अभिवृति, प्यार, प्रेरणा एवं सहयोग दिव्यांग बालकों के लिए अधिक आवश्यक होती है क्योंकि दिव्यांगता के कारण उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः दिव्यांग बालकों के माता–पिता का दिव्यांग बालकों के प्रति निम्न पांच प्रकार की अभिवृतियों को देखा गया हैः–

1. दिव्यांग बालक को पूर्णतया अस्वीकार कर देना माता–पिता की यह अभिवृति दिव्यांग बालकों के अभिशाप की तरह होता है जिसमें माता–पिता बालक की दिव्यांगता के कारण उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं तथा वह किसी भी प्रकार से बालक को अपने से अलग करने की कोशिश करते हैं। माता–पिता की इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालकों को शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास जैसे विकासों से दूर रखती हैं। इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक को शिक्षा ग्रहण करने में बाधक साबित होती है।

2. दिव्यांग बालक को परोक्ष रूप से अस्वीकार करना माता–पिता की अभिवृति के अंर्तगत् माता–पिता दिव्यांग बालक को समाज के सामने तो स्वीकार करने का

ढ़ोग करते हैं परंतु वास्तविक तौर पर वह दिव्यांग बालकों को अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार की अभिवृति में माता–पिता दिव्यांग बालक की शिक्षा के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं जिसे दिव्यांग बालक को शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं।

3. **fn0;kx ckyd dh fn0;kxrkvksa ds iHkkoksa dks vLohdkj djuk&** माता–पिता की इस प्रकार की अभिवृति के अंर्तगत् माता–पिता अपने बालक की दिव्यांगता के प्रभावों को नजरअदाज करने का प्रयास करने हैं। माता–पिता द्वारा यह मान लिया जाता है कि उनका दिव्यांग बालक एक सामान्य बालक की तरह की तरह सभी कार्य का संपादन कर सकता है। माता–पिता के इस प्रकार की अभिवृति से दिव्यांग बालक का अपने पर से विश्वास कम होने लगता है क्योंकि माता–पिता की उम्मीदें दिव्यांग बालक से सकलांग बालक की तरह ही होती हैं ताकि दिव्यांग बालक अपनी सीमाओं के कारण उनकी उम्मीदों को पूरा करने मे असफल हो जाता हैं। दिव्यांग बालक का अपने आप से विश्वास समाप्त होना ही असकी शिक्षा में सबसें बड़ी बाधा साबित होती है।

4. **fn0;kx ckyd dk vR;f/kd lqj{k.k inku djuk&** माता–पिता के इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। माता–पिता की दिव्यांग बालक की प्रति इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालको के अधिगम के अवसरों में बाधक होती है। दिव्यांग बालक के माता–पिता उसकी सुरक्षा की चिंता में उसे अपने से दूर नहीं जाने देते तथा दिव्यांग बालक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे विभिन्न अधिगम के अवसर प्रदान नहीं करते। जिसके कारण बालक की शैक्षिक एवं अन्य विकास विकसित नहीं करते।

5. **fn0;kx ckydksa dks mldh fn0;kxrk ds lkFk Lohdkj djuk&** माता–पिता की इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक के सभी प्रकार के विकास में सहायक होती है। इस अभिवृति के अंर्तगत दिव्यांग बालक के माता–पिता दिव्यांग बालक को उसकी दिव्यांगता के साथ स्वीकार करते हैं तथा माता–पिता को बालक की सभी गुणों एवं सीमाओं से अवगत रहते हैं। इस प्रकार की अभिवृति दिव्यांग बालक के सर्वार्गीण विकास में सहायक होती हैं तथा माता–पिता अपने दिव्यांग बालक के विकास के लिए उसे उपयोगी शिक्षा प्रदान करवाने में पूर्ण योगदान देते हैं।

माता–पिता के उपरोक्त पांचों अभिवृतियों में माता–पिता द्वारा बालक को उसकी दिव्यांगता के साथ स्वीकार करने की अभिवृति ही दिव्यांग बालक की शिक्षा एवं उसके पुनर्वास में सहायक होती है। वर्तमान में माता–पिता अपने दिव्यांग बालक की शिक्षा के प्रति काफी जागरूक होते हैं। तथा वह समावेशी शिक्षा की महत्ता को समझते हैं। अतः वह अपने दिव्यांग बालक की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा का चुनाव करना अधिक पसंद करेंगे।

8-6-2 fn0;kx ckydksa ds ekrk&firk dk lekos'ku ds izfr lg;kx

दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रमुख योगदान उसके माता–पिता का होता हैं। जैसा कि आपके माता–पिता के विभिन्न अभिवृतियों के बारे में अवगत करवाया गया है जो दिव्यांग बालकों को एवं उनकी दिव्यांगता को स्वीकार कर लेते हैं। माता–पिता के द्वारा बालक की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के प्रयास किये जाते हैं। इन आवश्यकताओं के अंतर्गत् बालक की शैक्षिक आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैं।

शैक्षिक आवश्यकता में भी माता–पिता को अपने दिव्यांग बालक की आवश्यकता के आधार पर शैक्षिक प्रारूप का चयन करते हैं। पूर्व में दिव्यांग बालक की शैक्षिक आवश्यकताओं को केवल विशिष्ट विद्यालयों में ही पूरा किया जा सकता था। परंतु भारत सरकार के सकारात्मक कदमों के कारण अब दिव्यांग बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को शिक्षा के समावेशी प्रारूप के द्वारा भी पूरा किया जा सकता हैं। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग बालकों के शिक्षा सकलांग बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में दी जाती है। हांलकि वर्तमान में समावेशी शिक्षा के उत्थान एवं प्रचलन के बाद भी विशिष्ट विद्यालयों को महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वर्तमान में विशिष्ट विद्यालय में गंभीर एवं अतिगंभीर दिव्यांगता से ग्रस्ति बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए सहायक होते हैं।

माता–पिता निम्न प्रकार से अपने दिव्यांग बालक हेतु समावेशी शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं :–

1. सर्वप्रथम माता–पिता प्रांरभिक हस्तक्षेप के द्वारा बालक की योग्यताओं का पता लगाने एक उपयुक्त मूल्यांकन करवायें जिससे माता–पिता को बालक की क्षमताओं एवं कमी का ज्ञान हो सकें। प्रारम्भिक हस्तक्षेप के द्वारा ही माता–पिता को दिव्यांग बालक की किलांगता का स्तर ज्ञान हो जाता हैं। जिसके आधार पर दिव्यांग बालक के माता–पिता बालक की शिक्षा हेतु उपयुक्त शिक्षण प्रणाली के बारे में योजना का निर्माण कर सकें। यदि बालक की दिव्यांगता मंद या मध्यम स्तर की है तो अवश्य ही माता–पिता द्वारा अपने बालक को समावेशी शिक्षा प्रणाली में नामांकन का प्रयास करेंगे। हांलाकि काफी उदाहरण इस तथ्य की तरफ इंगित करते हैं कि माता–पिता अपने बालक को समावेशी प्रणाली में इस लिए नामांकन कराते हैं ताकि समाज के अन्य वर्ग को यह ज्ञात न हो कि उनका बालक दिव्यांग है। परंतु माता–पिता की यह अभिवृति बालक की दिव्यांगता को स्वीकार न करने वाली ही होती हैं जो कि बालक की शिक्षा के लिए नहीं अपितु बालक की दिव्यांगता को छुपाने के लिए समावेशी शिक्षा में नामांकन करवाने की कोशिश करते हैं जो कि दिव्यांग बालक के विकास के लिए काफी हानि कारक होता है।

2. माता–पिता द्वारा अपने दिव्यांग बालक की क्षमता एवं कमी को जानने के उपरांत वे अपने बालक के सफल समावेशी शिक्षा हेतु विभिन्न स्रोत्रों को खोजने की कोशिश कर सकते हैं।

3. सफल समावेशन के लिए माता–पिता समाज के अन्य व्यक्तियों जो कि समावेशी शिक्षा के पक्षधर हैं उनसे समावेशी शिक्षा के बारे में अपने शंकाओं को समाधान हेतु संपर्क कर सकते हैं। जिससे भविष्य में समावेशन में दिव्यांग बालक को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े तो माता–पिता समावेशी शिक्षा में अपने दिव्यांग बालक की सहायता करा सकें।

4. माता–पिता द्वारा चाहिए कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही समावेशी शिक्षा प्रणाली के बारे में उनकी विभिन्न योजनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन योजनाओं के द्वारा वह अपने दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में सहायता करें।

5. ऐसा संभव नहीं कि केवल अर्थिक रू᳴ से व्यक्ति ही अपने दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा में डाल सकते हैं या वे व्यक्ति ही अपने दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा में सहयोग कर सकते हैं। समाज के सभी वर्ग के दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार हैं। इस वर्ग में ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाता है जो अपने बालक को समावेशी शिक्षा में तो नामांकन

करवा देते हैं परंतु उसके लिए उपयोगी सहायक उपकरणों को क्रय करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस लिए ऐसी माता–पिता को अपने बालक की समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए भारत सरकार की एडीप योजना के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है जिससे के अंतर्गत दिव्यांग बालकों को मुफ्त में सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं ताकि बालक सफलता पूर्वक अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सके। एक दिव्यांग बालक के माता–पिता को अपने बालक की सफल समावेशी शिक्षा हेतु भारत सरकार की इस प्रकार की योजना की जानकारी होना आवश्यक है जो कि समावेशी शिक्षा में सहायक होती है।

6. दिव्यांग बालक के माता–पिता को अपने बालक की सफल समावेशी शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा दिव्यांगों को दिये जाने वाले वजीफों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जिससे दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता होने पर वह भारत सरकार के उपक्रम एन0एच0एफ0डी0सी0 से वजिफे के लिए आवेदन कर सकें। माता–पिता द्वारा यदि इस उपक्रम की जानकारी होगी तो वह अपने दिव्यांग बालक की सफल समावेशी शिक्षा में भागीदार बन सकेंगे।

7. एक सफल समावेशी शिक्षा के सहयोग हेतु माता–पिता को अपने दिव्यांग बालक के विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक हैं। माता–पिता को यह ज्ञान होना आवश्यक है कि भारत के संविधान के विभिन्न अधिनियमों में उसके दिव्यांग बालकों के लिए कौन–कौन से अधिकार के लिए संधर्ष कर सकें जो कि समावेशी शिक्षा मे सफल सहयोग के लिए आवश्यक हैं।

8. एक दिव्यांग बालक के सफल समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसके माता–पिता को ऐसी सरकारी एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ मिलकर रहना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अमूल्य योगदान दे रहे हैं या समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर दिव्यांग बालक के माता–पिता ऐसी संस्थाओं से आवश्यक सुविधा प्राप्त कर सकें। जोकि उनके दिव्यांग बालक हेतु सफल समावेशी शिक्षा में मददगार साबित होगा। माता–पिता को चाहिए कि वह भी इस प्रकार की संस्थाओं के सदस्य बन समावेशी शिक्षा के बढ़ावे में सहायता करें।

9. सफल समावेशी शिक्षा में सहयोग करने हेतु माता–पिता को चाहिए कि वह अपने दिव्यांग बालक में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण करे तथा समावेशी शिक्षा के बारे में अपने दिव्यांग बालक की सभी शंकाओं का निवारण करें ताकि दिव्यांग बालक द्वारा समावेशी शिक्षा में नामांकन के उपरांत यदि किसी प्रकार की समस्या आती हो तो वह उसके बारे में पूर्व में अवगत हो जिससे वह उस परिस्थिति में अपने आप को आसानी से समायोजित कर सके।

10. अध्यापक समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए एक महत्वपुर्ण अवयव है। दिव्यांग बालक के माता–पिता द्वारा विद्यालय में अभिभावक अध्यापक ऐसोशियेशन के साथ मिलकर अध्यापकों हेतु समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए समय–समय पर छोटी–छोटी कार्यशालाओं को आयोजित करना चाहिए। ताकि विद्यालय में कार्यरत् अध्यापक भी दिव्यांग बालक एवं उनकी आवश्यकताओं के बारे में जान सके एवं उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। यह सभी कार्य दिव्यांग बालक के माता–पिता के सहयोग के कारण ही संभव हो सकता है।

11. दिव्यांग बालक के माता–पिता एवं संबंधित संस्थाओं को समावेशी विद्यालय में अध्ययनरत् सकलांग बालकों के लिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी सकलांग बालक दिव्यांग बालक के बारे में जान पाये। माता–पिता को कोशिश करनी चाहिए कि समावेशी विद्यालय में अध्ययनत् सकलांग बालकों में अपने साथ पढ़ने वाले दिव्यांग बालकों के लिए नकारात्मक व्यवहार समाप्त हो एवं सकारात्मक व्यवहार का विकास हो। एक सफल समावेशी शिक्षा के लिए यह अति आवश्यक होता है।

12. दिव्यांग बालकों के सफल समावेशी शिक्षा के सहयोग हेतु उनके माता–पिता को बालक के अध्ययन अधिगम क्रिया में अपने आप को अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। जिससे कि दिव्यांग बालक को यह एहसास न हो कि वह अपने सकलांग भाई–बहनों से अलग है। माता–पिता का अपने दिव्यांग बालकों के प्रति इस प्रकार का व्यवहार बालक के सफल समावेशी शिक्षा में अमूल्य योगदान देता है।

13. माता–पिता को अपने दिव्यांग बालक के सफल समावेशी शिक्षा के सहयोग के लिए समुदाय में उपस्थिति संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं उन संसाधनों का उपयोग दिव्यांग बालक के समावेशी शिक्षा में करना चाहिए।

14. माता–पिता को अपने दिव्यांग बालकों को विद्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकार की पाठ्यसहगामी क्रियाओं में प्रतिभाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इसका मुख्य कारण बालक द्वारा अपने सकलांग साथियों के साथ मिलकर काम करने की भावना का विकास होगा तथा दिव्यांग बालक के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रतिभाग के कारण उसके सकलांग साथियों में उसके प्रति सम्मान बढ़ेगा एवं दिव्यांग बालक समस्त विद्यालय के सामने अपनी योग्यता दिखाने का अवसर मिलेगा। जिससे विद्यालय में उसके प्रति सभी की अभिवृति में परिवर्तन होने की संभावना होगी। जोकि बालक के सफल समावेशी शिक्षा के लिए लाभदायक होगा।

15. एक दिव्यांग बालक के सफल समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है कि माता–पिता समय–समय पर अपने दिव्यांग बालक एवं उसके अध्यापक से उसकी कक्षा में प्रगति के बारे में पूछे। यदि बालक को कक्षा में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो माता–पिता को चाहिए कि वह स्वय अथवा अध्यापक की सहायता से बालक के सफल समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक होती है।

ck/k i'u

नीचे दिये गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए –

4. दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए?

   ....

   ....

5. एक दिव्यांग बालक के माता–पिता किस प्रकार उसके समावेशन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

   ....

   ....

8-7 lekos'ku esa leqnk; dh Hkwfedk

भारत जैसे विकासशील देशों मे दिव्यांगों की शिक्षा के लिए प्रारंभ में विशेष विद्यालय में दी जाती थी। परंतु समय के विकास के साथ–साथ दिव्यांगों की शिक्षा के प्रारूपों में विकास के साथ बदलाव किये गये। विशेषज्ञों द्वारा विशिष्ट विद्यालयों को एक संकुचित दृष्टि से देखा जाने लगा और उसमें दिव्यांग बालकों के सर्वांगीण विकास में होने वाली कमियों को दर्शाते हुए विशिष्ट विद्यालय के तलाशना प्रारंभ कर दिया। इसके उपरांत दिव्यांग बालकों हेतु समेकित विद्यालय में शिक्षा का प्रबंध किया जाने लगा। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा प्राणली की महत्ता का ध्यान में रखते हुए दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया जाने लगा हैं।

समावेशी शिक्षा के विकास का एक मुख्य कारण इसमें समुदाय की भागीदारी को सुनिशिचित करना था। जैसा कि विदित है कि अधिकांश विशिष्ट विद्यालय में दिव्यांग बालको के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं एवं दिव्यांग छात्र काफी दूर से इन विद्यालयों में अध्ययन हेतु आते हैं जिसके कारण वह अपने परिवार से अलग रहते हैं। क्योकि विशिष्ट विद्यालय दिव्यांग बालक के घरों से दूर होते हैं इसलिए अधिकांश माता–पिता अपने दिव्यांग बालकों को अपने से अलग नहीं भेजना चाहते जिस कारण वह अपने बालक को विद्यालय नहीं भेजते थे। समावेशी शिक्षा के उत्थान के उपरांत बालक अपने माता–पिता एवं समुदाय में रहने लगते हैं जिसके कारण वे समुदाय के एक सामाजिक, संस्कृति एवं आर्थिक हिस्सा बन सकते हैं।

भारत के ग्रामीण एवं शहरी प्रत्येक क्षेत्र में मानव संसाधन आसानी से एवं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यदि इस मानव संसाधन का उपयुक्त प्रकार से उपयोग किया जाये तो दिव्यांग बालकों की शिक्षा एवं पुनर्वास में काफी सहायता प्राप्त हो सकती है। समुदाय की सहभागिता का अभाव में समावेशी शिक्षा के उद्देश को प्राप्त करना कठिन है।

8-8 leqnk; lgHkkfxrk dh vko';drk

दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में समुदाय एक महत्वपुर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। उदाहरण के तौर पर समावेशी शिक्षा की सफलता की एक कुंजी माता–पिता एवं अभिभावकों के हाथ में रहती है। उनके द्वारा दिव्यांग बालक की मुलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने का उत्तरदायित्व होता है जैसे दिव्यांग बालक की दैनिक कौशल को सिखना, संप्रेषण कौशल को विकसित करने में सहायक, चलिष्णुता आदि देने के अलावा मनोवैज्ञानिक रूप से भी शक्ति प्रदान करवाते हैं। उनके द्वारा दिव्यांग बालकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों के बारे में काफी अच्छी तरह से जान चुके होते हैं।

8-9 leqnk; dk lekos'kh f'k{kk esa lg;ksx

भारत में समुदाय में सम्मिलित करके मानव संसाधन का उपयोग समावेशी शिक्षा के लिए कारगर साबित हो सकता हैं। समुदाय दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। समुदाय का दिव्यांगों की शिक्षा के प्रति भूमिका निश्चित है एवं यह कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी होती है कि वह किस प्रकार समुदाय को उसके उत्तरदायित्व के बारे में अवगत कराये एवं समुदाय किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है। समुदाय निम्न प्रकार से समावेशी शिक्षा के विकास में सहायक होता हैः–

1. समाज में दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक प्रचार प्रसार करना समुदाय द्वारा समावेशी शिक्षा हेतु सबसे मुख्य कार्य समाज के सभी वर्गों के मध्य दिव्यांग बालकों एवं

व्यक्तियों के प्रति सकारात्मक सोच का विकास करता है। सामान्यता समाज के एक बड़े भाग का यह सोचना है कि दिव्यांग व्यक्ति समाज पर केवल एक बोझ है जो समाज के संसाधनों को व्यर्थ कर रहे हैं एवं उनका रहना, खाना, पीना आदि समाज पर बोझ हैं। समुदाय द्वारा दिव्यांग व्यक्यिों एवं बालकों के प्रति समाज की इस सोच का सकारात्मक रूप से बदलना है। समाज का इस बात से अवगत करवाना अति आवश्यक है कि यदि दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों को उत्तम समावेशी शिक्षा दी जाये तो वह भी समाज में एक उत्पादक की भूमिका निभा सकते हैं तथा समुदाय, समाज एवं देश की तरक्की में भागीदार बन सकते हैं।

2. ग्रामस्तर पर दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु कैम्प लगाना– समावेशी शिक्षा हेतु समुदाय द्वारा विशेषतौर पर ग्राम स्तर पर जागरूकता के लिए शिविर लगवाने चाहिए। इन शिविरों में दिव्यांगता के प्रति समाज के आम व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करवायी जानी चाहिए। समाज को अवगत करवाना चाहिए कि यदि समाज में कोई दिव्यांग बालक है तो उसे समावेशी शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। समुदाय द्वारा समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में समाज के विभिन्न वर्गो को अवगत कराया जाना चाहिए।

3. सामान्य विद्यालय के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करवाना– आप सभी इस बात से अवगत है कि समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवयव सामान्य विद्यालय में कार्यरत् अध्यापक एवं प्रधानाध्यक होते हैं। इनके सहयोग के अभाव में समावेशी शिक्षा के विकास की कल्पना करना संभव नही हैं। इसलिए समुदाय द्वारा सामान्य विद्यालयों में कार्यरत् अध्यापकों एवं प्रधानध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का नियोजन किया जाना चाहिए। जहाँ इस को समावेशी शिक्षा के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा के अंर्तगत् दिव्यांग बालकों के समस्याओं, उन समस्याओं के समाधान हेतु उपायों, दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा की निहितार्थ, सरकार द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों, दिव्यांग बालकों की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार, अध्यापकों की समावेशी शिक्षा के प्रति उत्तरदायित्व, प्रधानाध्यापको का समावेशी शिक्षा के लागु करवाने हेतु संसाधन आदि सभी बातों को इनके प्रशिक्षण के अंर्तगत बताया जाना चाहिए ताकि सामान्य विद्यालय में कार्यरत् अध्ययापक एवं प्रधानाध्यापक समावेशी शिक्षा का प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन कर सके।

4. एजेसी के द्वारा समाज में से ही दिव्यांगो की शिक्षा के विकल्प तलाशना–समुदाय में समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऐसी सभी संस्थाओं को समाज के अंदर जाकर दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प तलाशने की आवश्यकता है। एजेंसी द्वारा दिव्यांग बालको की शिक्षा के विभिन्न विकल्पों के बारे में सामज को अवगत करवाना चाहिए तथा उन्हें दिव्यांगों के लिए शिक्षा के समावेशी प्रारूप के बारे में समाज को अवगत करवाना चाहिए।

5. समुदाय में रहने वाले व्यक्यिों को समावेशी शिक्षा के बारे में अवगत करवाना अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए समाज में रहने वाले अन्य व्यक्यिों मे सबसे महत्वपुर्ण है। ऐसा पाया गया हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति अपने बालकों को दिव्यांग बालकों के साथ शिक्षित नहीं करवाना चाहते। इसका कारण उनकी समावेशी शिक्षा के प्रति अनभिन्नता है। अतः उन व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा के लाभों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए साथ ही साथ उन्हें दिव्यांग बालकों के गुणों के बारे में भी अवगत करवाना चाहिए ताकि

वह इस मिथ्या से निकल सके कि दिव्यांग बालकों के साथ अध्ययन करने से उनके बालकों में दिव्यांग बालकों के नकारात्मक गुणों का समावेशन हो जायेगा।

6. समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार से नुक्कड़ नाटक– समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय के लोगों द्वारा समाज के अलग–अलग भागों मे जाकर दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। इसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को समावेशी शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसका एक लाभ यह भी होगा कि समाज के किसी हिस्से में कोई दिव्यांग बालक है एवं उसकें माता–पिता को उसकी शिक्षा के बारे में किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है तो इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से दिव्यांग बालक के माता–पिता को भी अपने बालकों की शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

7. समावेशी शिक्षा के प्रति सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत करवाना – समावेशी शिक्षा के सफलता के लिए चाहिए कि आम जनता को समावेशी शिक्षा का अभिप्राय का ज्ञान हो तथा साथ ही साथ भारत एवं राज्य सरकारों द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए किये जाने वाले प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना है। इन प्रावधानों के परिणामस्वरूप दिव्यांग बालक किस प्रकार लाभांन्वित हो सकेंगे, इन सभी बातों से समाज को समावेशी शिक्षा का विकास किस प्रकार हो सकता हैं इन से समाज को अवगत करवाना चाहिए जिससें समावेशी शिक्षा को प्रभावी ढ़ग से लागू किया जा सकें।

8. समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का विकास करना– समावेशी शिक्षा हेतु आवश्यक है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए।दिव्यांग बालकों के लिए यदि पाठ्यक्रम में यदि किसी प्रकार की अनुकूलन की आवश्यकता होती है तो यह अनुकूलन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के पाठ्यक्रम के उपरांत ही समावेशी शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है।

9. बाधारहित वातावरण का निर्माण करना– समावेशी शिक्षा हेतु समुदाय को चाहिए कि वह समुदाय, विद्यालय एवं ऐसी प्रत्येक जगह जहॉ दिव्यांग बालकों को किसी प्रकार की बाधा का सामना करना पड़ता है उन सभी जगह एवं वातावरण को दिव्यांगो हेतु बाधारहित बनवा देना चाहिए क्योंकि एक बाधारहित वातावरण ही समावेशी शिक्षा की सफलता की कुंजी है। परंतु बाधारहित वातावरण से अभिप्राय केवल भौतिक वातावरण नहीं अपितु शैक्षिक, सामाजिक आदि वातावरण से भी है जो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है।

<u>ck/k i'u</u>

6. समुदाय के सहयोग के अभाव में दिव्यांग बालकों के समावेशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। समझाइए?

....

....

8-10 lkjka'k

आप इस बात से अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के अधिकार के लिए विभिन्न अधिनियमों को लागू किया गया है ताकि सभी बालकों को शिक्षा प्रदान की जा सके। समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो भारत सरकार के इस उद्देश्यों को पूर्ण करने में काफी सहायक है। समावेशी शिक्षा के अंर्तगत सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक सामान्य विद्यालय में शिक्षा प्रदान करवाने का प्रावधान होता है। समावेशी शिक्षा को इस आधार पर लागू किया जाता है कि सभी बालकों में सीखने की क्षमता होती है। समावेशी शिक्षा को लागू करने के कारण उसका मतव्ययी होना, बालकों को शिक्षा उनके घर के पास प्रदान करवाना, दिव्यांग बालकों को समाज में आसानी से समायोजन होना, बालकों का निरंतर विकास होना आदि है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों के लिए भी महत्वपुर्ण है। परंतु हम इस बात से इनकार भी नही कर सकते कि समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए दिव्यांग बालक के माता–पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके लिए दिव्यांग बालक के माता–पिता का बालकों के शिक्षा के प्रति अभिवृतियों को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि वे दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा में सहयोग कर सकें। इसी प्रकार समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय का सहयोग होना भी अति आवश्यक है।

8-11 cks/k iz'uks ds mRrj

iz'u&1% समावेशी शिक्षा के प्रत्यय को समझाईए ?

mRrj&1% समावेशी शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिससें बालकों को उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, जातीय, भाषीय, रहन–सहन की परिस्थिति, सामाजिक–आर्थिक स्थिति, लिंग, दिव्यांगता आदि भेदभाव के बिना सभी बालकों को एक ही शिक्षा प्रणाली में समहित किया जाता है।

iz'u&2% समावेशी शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं?

mRrj&2% समावेशी शिक्षा बाल केंद्रिन्त होती है तथा इस बात को स्वीकार किया जाता है कि सभी बालकों में सीखने की क्षमता होती है। हमें दिव्यांग बालकों की विभिन्नताओं को स्वीकार कर उनका सम्मान करना चाहिए तथा ऐसी शैक्षिक ढ़ांचे तैयार करना चाहिए ताकि सभी बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें।

iz'u&3% समावेशी शिक्षा को लागू करने के विभिन्न तर्कों को समझाइए?

mRrj&3% यह एक मितव्ययी प्रणाली है। दिव्यांग बालक अपने घर के नजदीक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। इस प्राणाली के माध्यम से वे समाज में आसानी से समायोजन कर सकते हैं तथा बालकों का निरंतर विकास होता है। समावेशी शिक्षा दिव्यांग बालकों हेतु सकारात्मक परिवेश का निर्माण करने में सहायक होती है।

iz'u&4% दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए?

mRrj&4: समावेशी क्रिया में दिव्यांग बालक अपने सकलांग साथियों के साथ अंतःक्रिया करते है। इस प्रणाली में सकलांग एवं दिव्यांग बालकों में स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा

का विकास होता है। सकलांग बालकों में दिव्यांग बालकों के प्रति व्यवहार में सकारात्मक परिर्वतन होता है।

i'u&5% एक दिव्यांग बालक के माता–पिता किस प्रकार उसके समावेशन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

mRrj&5% माता–पिता द्वारा प्रारंभिक हस्तक्षेप के उपरांत बालक की योग्यता हेतु एक उपयुक्त मूल्यांकन करवाया जाता है। समावेशी शिक्षा हेतु माता–पिता द्वारा दिव्यांग बालकों हेतु विभिन्न स्रोत्रों को खोजने की कोशिश की जाती है। वे समावेशी शिक्षा के पक्ष में रहने वाले व्यक्तिओं से समावेशी शिक्षा में आ रही समस्याओं के बारे में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। माता–पिता अपने दिव्यांग बालकों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा के लिए सरकार के विभिन्न नियमों एवं योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। माता–पिता अपने बालक की समवेशी शिक्षा के लिए विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा दिव्यांग बालकों हेतु अन्य गैर सरकारी संस्थाओं से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। माता–पिता अपने दिव्यांग बालक मे समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण कर सकते हैं। माता–पिता द्वारा विद्यालय में अभिभवाक अध्यापक ऐसोसियेशन के साथ मिलकर अध्यापको हेतु समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए समय–समय पर छोटी–छोटी कार्यशालाओं को आयोजित करना चाहिए। माता–पिता एवं संबधित संस्थाओं को समावेशी विद्यालय में अध्ययनरत् सकलांग बालकों के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे सभी सकलांग बालक दिव्यांग बालक के बारे में जान पायें।

i'u&6% समुदाय के सहयोग के अभाव में दिव्यांग बालकों के समावेशन में समस्या उत्पन्न हो सकती है। समझाईए?

mRrj&5% समुदाय दिव्यांगता के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण करता हैं। समुदाय ग्राम स्तर पर दिव्यांग बालकों की समावेशी शिक्षा के प्रति जागरूकता हेतु कैम्प लगाता है तथा सामान्य विद्यालय के अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों को समावेशी शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाता है। समुदाय में समावेशी शिक्षा के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं समावेशी शिक्षा हेतु समाज से ही विकल्प तलाशने का प्रयास करते हैं तथा समुदाय के विभिन्न तबकों को समावेशी शिक्षा एवं उसके महत्वों को बताते हैं। समाज समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करते हैं।

8-12 vH;kl i'u

1- समुदाय एवं समावेशन विषय पर एक निबन्ध लिखिए?

2- एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यालय में समाावेशी शिक्षा हेतु क्या–क्या रणनीतियाँ बनायेंगे ?

8-13 lnHkZ@mi;ksxh iqLrdsa

1. UNICEF (2012) 'The right of children with disabilities to education: A right-based approach to Inclusive Education' Position Paper

2. Bartkett. L.D., & Weisentein. G.R. (2003). Successful Inclusion for Education Leaders. New Jersey: Prentice Hall.
3. Choate, J.S. (1997). Successful Inclusive Teaching. Allyn and Bacon.
4. Hegarthy, S. & Alur, M.(2002). Education of Children with Special Needs: from Segregation to Inclusion, Corwin Press, Sage Publishers.

bdkbZ 9

lekos'kh f'k{kk gsrq lalk/ku tqVkuk

9.1 प्रस्तावना

9.2 उद्देश्य

9.3 समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकता

9.4 संसाधन जुटाने के स्त्रोत

9.5 संसाधन जुटाने के तरीके

9.6 सारांश

9.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

9.8 अभ्यास प्रश्न

9.9 संदर्भ/उपयोगी पुस्तकें

9-1 izLrkouk

समावेशी शिक्षा का विकास एवं प्रचार–प्रसार किसी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं किया जा सकता तथा यह भी संभव नहीं है समावेशी शिक्षा को लागू करने के लिए किसी प्रकार की समय सीमा को निश्चित किया जाये। समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। यह संसाधन किसी भी एक संस्था या व्यक्ति विशेष के द्वारा उपलब्ध करवाना काफी कठिन है।

संसाधनों को जुटाना भी सभी व्यक्तियों के लिए आसान कार्य नही है। इस हेतु भी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। इन कौशलों के अंतर्गत् व्यक्ति विशेष में संसाधन जुटाने के उद्देश्यों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए, व्यक्ति द्वारा उन उद्देश्यों के समाज के बारे में हितों को समाज को समझाने का कौशल होना चाहिए, व्यक्ति संप्रेषण कौशल में निपुण होना चाहिए एवं व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि वह अन्य व्यक्तियों को अपने विचार के सुनाने में सक्षम हो। यदि किसी व्यक्ति जोकि संसाधन जुटाने का कार्य कर रहा है एवं उसमें उक्त गुण नहीं है तो संभव है कि उसे संसाधन जुटाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता सकता है। सामान्यता यह समस्या व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक स्तर पर अधिक आती हैं। उसका मुख्य कारण व्यक्ति द्वारा अपने उद्देश्यों को अमुर्त रूप से समाज के सम्मुख रखना होता है जिसमें समाज के विभिन्न तबकों को उस उद्देश्य विशेष में विश्वास करने में कठिनाई होती है। एक बार व्यक्ति या संस्था विशेष अपने द्वारा उद्देश्य को मूर्त रूप देने के उपरांत वे किसी भी व्यक्ति या संस्था जिससे संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं उसके सामने अपनी गतिविधियों को प्रस्तुत कर सकते हैं एवं भविष्य में अपने द्वारा किये जाने वाले उद्देश्य के बारे मे विस्तार से अवगत करवा सकते हैं तथा संसाधन प्रदान करने वाला व्यक्ति या संस्था भी उस पर पूर्ण रूप से विश्वास कर सकता हैं।

दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा का स्वरूप भी इसका एक नवीन उदाहरण है। समावेशी शिक्षा को अमूर्त से मूर्त रूप में लाना भी एक कठिन चुनौती है। जिसके लिए संसाधन जुटाने की आवश्यकता होती है।

संसाधनों की पहचान करने एवं संसाधन जुटाने में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत् प्रयासों के स्थान पर यदि यह कार्य किसी संस्था द्वारा किया जाता है तो इस कार्य को काफी प्रभावपुर्ण बनाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा का कार्य किसी एक व्यक्ति के स्थान पर संस्था द्वारा किया जाना अधिक सकारात्मक लगता है संसाधन प्रदान करने वाले व्यक्ति या संस्था किसी विशेष के मुकाबले संस्था पर अधिक विश्वास करते हैं। संस्थाओं को किसी विशेष व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों पर अपने संसाधनों के लिए निर्भर नही रहना चाहिए जोकि संस्था के लिए आवश्यक जीवनदायिनी साबित होता हैं।

9-2 mn~ns';

इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप इस योग्य हो जायेंगे कि–

- समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों की आवश्यकताओं को समझ सकेंगे।
- समावेशी शिक्षा हेतु संसाधनों के स्त्रोतों की पहचान कर पायेंगे।
- समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने के तरीकों में अपना योगदान कर सकेंगे।

9-3 lekos'kh f'k{kk gsrq lalk/kuksa dh vko';drk

समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने से पूर्व यह जानना या ज्ञात करना अति आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा के विकास के लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता है। आईए हम आपको यह बताने के कोशिश करते हैं कि समावेशी शिक्षा के लिए कौन–कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती है।

समावेशी शिक्षा हेतु निम्न संसाधनों की आवश्यकता होती हैः–

1- uxnh– किसी भी कार्य को पूर्ण करने हेतु नगदी एक प्रमुख संसाधन हैं इसके अभाव में किसी भी कार्य की नीव रखना संभव नहीं हैं। समावेशी शिक्षा के लिए प्रासंगिक एवं सर्व प्रमुख संसाधनों में नगदी है जो कि समावेशी शिक्षा को प्रारंभ करने हेतु आवश्यक है।

2- fo'ks"kKrk– समावेशी शिक्षा के अन्य एवं महत्वपुर्ण संसाधन में समावेशी शिक्षा में कार्य करने वालों की विशेषज्ञता है। आपको अवगत करवाना अति आवश्यक है कि विशेषज्ञता का अभिप्राय केवल शिक्षण कार्य में विशेषज्ञता से ही नहीं है। विशेषज्ञता के विभिन्न रूपों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सकता हैं जैसे समावेशी शिक्षा हेतु धन का प्रंबध करने विशेषज्ञ, समावेशी शिक्षा की शिलान्यास करने वाले विशेषज्ञ, समावेशी शिक्षा का संचालन करने वाले प्रबंधक, समावेशी शिक्षा में अध्ययापन कार्य करने वाले विशेषज्ञ इत्यादि।

3- lekos'kh f'k{kk ds izpkj gsrq lalk/ku– समावेशी शिक्षा हेतु ऐसी संसाधनों की भी आवश्यकता होती है जो कि समावेशी शिक्षा के गुणों या फायदों को आम जनता तक पहुँचायें एवं ऐसे अवसरों के बारे में समावेशी शिक्षा का प्रारंभ करने

वाली संस्था को अवगत करायें जिससे समावेशी शिक्षा के बारे में अधिक से अधिक व्यक्तियों के इसके बारे में सूचनाएं एवं जानकारी प्राप्त हो सकें।

4- ;ktuk dk fuekZ.k djus okys O;fDr– समावेशी शिक्षा के विकास के लिए हमें ऐसे संसाधनों की आवश्यकता होती है जो समावेशी शिक्षा की योजना को मूर्त रूप देने में सहायक हो तथा इसके निर्माण में अपना सहयोग एवं योगदान दे सकें।

5- lEc/k fuekZ.k esa lgk;d– समावेशी शिक्षा हेतु हमें ऐसे व्यक्ति या संस्थाओं की सहायता लेनी होती है जो किसी भी समावेशी शिक्षा के बारे में समाज के साथ मधुर संबंध बनाने में सहायक होती हैं।

6- vU; lalk/ku– उपरोक्त संसाधन के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा हेतु हमें भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि संसाधनों की आवश्यकता होती है।

समावेशी शिक्षा के लिए उपरोक्त संसाधनों को तभी जुटा सकते है जब संस्था अपने कार्य या अपने विचारों को सफलता पुर्वक समाज के बीच बता सकेगें एवं समाज के अंदर अपने कार्य हेतु विश्वास आर्जित कर सकेगें।

9-4 lalk/ku tqVkus ds L=ksr

foÙkh; lalk/kuksa dks ,df=r djuk& समावेशी शिक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण संसाधन वित्तीय संसाधनों को जुटाना होता हैं। हांलकि यह आवश्यक नहीं है कि समावेशी शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए वित्त की आवश्यकता नहीं पड़े । समावेशी शिक्षा के प्रांरभ करने के लिए कुछ वित्त की तो आवश्यकता होती हैं। समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने के निम्नलिखित तरीके हैः–

1. हमें समावेशी शिक्षा में कार्यरत् व्यक्तियों में ऐसे कौशलों का विकास करना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के बारे में समाज के आम व्यक्तियों को अवगत करवाये एवं उसके वित्तीय सहायता प्राप्त करें। इसके लिए समावेशी शिक्षा हेतु कार्य वाले व्यक्कितगत् रूप से वित्तीय सहायता हेतु निवेदन या आग्रह करें।

2. वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु समावेशी शिक्षा का संचालन करने वाली संस्था ऐसी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करें जो कि समावेशी शिक्षा हेतु अनुदान देना चाहती हैं। सरकारी संस्थाओं या सरकारी योजनाओं या अन्य स्त्रोतों से वित्तीय संसाधन प्राप्त कर सकते हैं।

3. वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए समावेशी शिक्षा में कार्यरत् संस्था एक कमेटी का निर्माण भी कर सकती है जो केवल संस्था के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए रणनीति का निर्माण करें।

4. वित्तीय संसाधनों के जुटाने हेतु संस्था के सदस्य कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। जैसे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों द्वारा निर्माण की गई वस्तु की प्रदर्शनी, विशिष्ट बालकों द्वारा किये जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, नृत्य कार्यक्रम इत्यादि। इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा समाज में विशेष आवश्यकता वाले बालकों की योग्यता का प्रदर्शन भी हो जायेगा साथ ही साथ समाज को समावेशी शिक्षा के आवश्यकताओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सहायक होती है।

5. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने वाले व्यक्ति समाज के उन गणमान्य व्यक्तियों से अनुदान देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना चाहते हैं।

6. समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने वाले व्यक्ति समाज के उन गणमान्य व्यक्यिों से अनुदान देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो समाज के विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा हेतु प्रोत्साािहत करना चाहते हैं।

7. समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम कार्य करने से संस्था की साख का निर्माण होता हैं जिससे संस्था के संचालक मंडल संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों की साख को भुना सकते हैं एवं समाज के आम जनता से आसानी से चंदे के रूप में अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

परंतु उपरोक्त तरीकें से वित्तीय संसाधन प्राप्त करने में दिव्यांग के लिए समावेशी शिक्षा का दूसरा पहलू भी सामने आ सकता हैं जो कि निम्न लिखित हैं :–

1. दिव्यांग बालकों हेतु समावेशी शिक्षा के लिए वित्तीय प्राप्त करने के यह तरीके समाज में दिव्यांग के प्रति हीन भावना का विकास करती है जैसे आम व्यक्ति द्वारा उन्हें दया की दृष्टि से देखा जायेगा, वे समाज में असहाय एवं जरूरतमंद के तौर पर देखे जा सकते हैं।

2. वित्तीय संसाधनों के देने वालों के मन में इस बात की शंका पैदा हो सकती हैं कि केवल पैसा देना ही समावेशी शिक्षा के प्रसार के लिए काफी नहीं हैं।

3. यदि संस्था द्वारा समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय कार्य नही होता हैं तो वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं में समावेशी शिक्षा हेतु कार्य करने वाली संस्था के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती हैं।

4. अवित्तीय संसधानों को जुटाना समावेशी शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय साधन के साथ–साथ कुछ अवित्तीय साधनों की आवश्यकता होती हैं। उन अवित्तीय संसाधनों के अंर्तगत कुशल शिक्षक, अच्छी प्रबंधक समिति सेवी, स्वयं सेवक आदि व्यक्तियों की आवश्यकता होती हैं।

समाज सेवी एवं स्वम सेवकों से प्राप्त सुविधाएं या संसाधन अवित्तीय संसाधनों के अंर्तगत आते हैं। स्वंय सेवक के अंतर्गत विद्यालय या विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राएं, अधिवक्ता, पेशेवर व्यक्ति हो सकते हैं जो अपनी स्वंम की इच्छा से अपने कौशल एवं प्रतिभा को गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हैं। स्वयं सेवकों की समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वह रचनात्मक कार्य के अनुदेशक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जोकि दिव्यांग बालकों के समावेशन के लिए काफी लाभकारी प्रतीत होता हैं। कुछ स्वयं सेवकों द्वारा समावेशी शिक्षा के लिए दिव्यांग बालकों के लिए पठन–लेखन के कार्य भी किये जाते हैं। इस प्रकार कार्य की सहायता से दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा प्रणाली के अंर्तगत् शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहायता प्राप्त होती है साथ ही साथ दिव्यांग बालकों का आत्म विश्वास भी बढ़ता हैं। स्वयं सेवकों द्वारा दिव्यांग बालकों के लिए एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में भी कार्य करते हैं।

सर्वप्रथम आपको यह बताना आवश्यक हैं कि हम स्वयं सेवकों की सेवाओं को कहां से प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं सेवकों की सेवाएं हम निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं।

1. fo|ky;ksa esa vodk'kk dk le;– समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन में कार्य करने वाली संस्थाएं विभिन्न विद्यालयों में जाकर विद्यालय में अध्ययनरत् छात्रों एवं उनके

अध्यापकों अथवा प्रधानाध्यापक से उसके विद्यालय के छात्रों को समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु कुछ समय के लिए स्वयं सेवकों की सेवा हेतु प्रार्थना कर सकते हैं।

2. **Nk=k d ifj;ktuk dh fo"k; oLr–** कुछ छात्रों की शिक्षा के अंर्तगत् परियोजना कार्य में दिव्यांग की शिक्षा से संबंधिन प्रत्ययों को सम्मिलित किया जाता हैं जिसे छात्रों को पूरा करना होता हैं इसलिए इन छात्रों द्वारा समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् छात्रों के साथ कार्य करना होता हैं। इस प्रकार के कार्य के अंर्तगत् उनके द्वारा दिव्यांग बालकों की विभिन्न स्तर पर सहायता की जाती हैं।

3. **i'koj 0;fDr;k }kjk lgk;rk–** समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत् बालकों की सेवाएं एवं सहायता हेतु कुछ पेशेवर व्यक्ति समाज सेवा की भाव या अपने शौक के लिए दिव्यांग बालकों की सहायता करते हैं।

9-5 llk/ku tVku d rjhd

समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन समाज एवं समुदाय द्वारा ही प्राप्त किये जा सकते हैं। अतः आवश्यकता है कि हमें समाज के अंदर समावेशी शिक्ष के प्रति विश्वास जागृति करना होगा और समाज को यह अवगत कराना होगा कि हम दिव्यांगों के विकास के लिए समावेशी शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। हम समाज से समावेशी शिक्षा हेतु निम्न प्रकार से संसाधन जुटा सकते हैं।

1. हम समाज के स्थानीय नेताओं को समावेशी शिक्षा के बारे में अवगत करायें तथा उन्हें दिव्यांग बालकों के संदर्भ में समावेशी शिक्षा की उपयोगिता बताकर उनसे इस कार्य को करने में उनकी सहायता मांगे।

2. अपने समुदायों को पूर्ण रूप से तथा दृढ़ संकल्प कार्य करते रहे तथा समावेशी शिक्षा के क्रियाकलापों में समाज के अन्य व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित करने की कोशिश करें।

3. समाज के विभिन्न वर्गों में समावेशी शिक्षा के बारे में लगातार सूचनाएं उपलब्ध करवाते रहें जिससे समाज के अन्य वर्गों द्वारा इस क्षेत्र में रूझान बढ़े एवं व इस कार्य को अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

4. आप समावेशी शिक्षा के विस्तार हेतु हमेशा ईमानदार बने रहें एवं कभी भी समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति मिथ्या या भ्रम की स्थिति पैदा न करें। इससे समाज में आपके एवं समावेशी शिक्षा के प्रति विश्वाश जागृति होगा एवं वे जुड़ने की कोशिश करेगें।

5. समुदाय में समावेशिय शिक्षा हेतु जागरूकता बढ़ये एवं उन्हें बताये कि वे समावेशी शिक्षा को क्यों लाना चाहते हैं एवं समावेशी शिक्षा के लिए क्या–क्या कर रहे हैं। ऐसा संभव हो सकता है कि समुदाय के कुछ लोगों को समावेशी शिक्षा के बारे में बहुत कम ज्ञान हो जिसके कारण समावेशी शिक्षा के प्रति नकारात्मक भावना हो। इसके लिए विभिन्न तरीकें हैं जैसे– समावेशी शिक्षा की सफलता की कहानी सुनाकर, नाटक, गानें, फिल्म आदि के द्वारा जिससे आप दिव्यांगों की शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा के बारे में उनके नकरात्मक भाव में परिर्वतन ला सकते हैं एवं समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूकता पैदा कर सकतें हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा हेतु दिये जाने वाले संदेश काफी आसान होना चाहिए जोकि यह संदेश समाज के प्रत्येक वर्ग की समझ में आसानी से आ जायें। जिस तरीके यह संदेश दिया जायें वह तरीका वहाँ की स्थानीय संस्कृति के

आधार पर हो। इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससें जागरूकता के स्तर पर वृद्धि होती हैं। सबसे मुख्य बात यह हैं कि हमें यह पता होना चाहिए कि इस प्रकार की अभिवृति परिवर्तन के लिए समय लगता हैं।

6. समुदाय को समावेशी शिक्षा में प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना अति आवश्यक हैं।

7. समावेशी शिक्षा के लिए समुदाय में समावेशी शिक्षा मे कार्य करने हेतु अवसरों का निर्माण करने की आवश्यकता होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति समावेशी शिक्षा के विकास में अपना योगदान देना चाहता हो तो उसे पूर्ण अवसर प्राप्त होना चाहिए।

8. समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक हैं कि समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले मुख्य व्यक्तियों को साथ लाकर इसके विकास को बढ़ायें।

ck/k i'u

1. समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु कौन–कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती हैं?

....

....

2. समावेशी शिक्षा के वित्तीय संसाधनों को स्त्रोतों को लिखिए।

....

....

3. हम समावेशी शिक्षा हेतु किस प्रकार सत्रोतों को इक्ठ्ठा कर सकते हैं?

....

....

9-6 lkjk'k

समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं लागू करने के लिए आवश्यक है कि समावेशी शिक्षा के आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो। समावेशी शिक्षा के जो संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाते वह काफी नहीं होता हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हमें कुछ संसाधन अपने समुदाय से भी प्राप्त करने होते हैं जिससे समावेशी शिक्षा को आसानी से लागू किया जा सकें। समावेशी शिक्षा के लिए संसाधनों में वित्तिय संसाधनों की आवश्यकता होती हैं जिसके अभाव में समावेशी शिक्षा का क्रियान्वयन करना कठिन हो सकता है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की भी आवश्यकता होती हैं। समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं इसके क्रियांन्वयन के लिए प्रबंधकों की आवश्यकता की पूर्ति भी समुदाय द्वारा की जा सकती हैं। समावेशी शिक्षा हेतु संसाधन जुटाने के विभिन्न स्त्रोत होते हैं। वित्तीय संसाधनों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं पर निर्भर रहने के साथ–साथ समाज के विभिन्न तबकों से अनुदान प्राप्त कर सकता हैं। समावेशी शिक्षा के द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों व तबकों का दिव्यांग बालकों एवं व्यक्तियों के प्रति अभिवृति को परिवर्तित

किया जा सकता है। अवित्तीय संसाधनों के द्वारा भी दिव्यांग बालकों को समावेशी शिक्षा के विस्तार में सहायता प्राप्त होती हैं। अवित्तीय संसाधनों में समुदाय के व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा में स्वयं सेवक के रूप में लागू करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक भी समावेशी शिक्षा में सहायक हो सकते हैं।

9-7 cks/k iz'uksa ds mÙkj

iz'u&1% समावेशी शिक्षा की सफलता हेतु कौन–कौन से संसाधनों की आवश्यकता होती हैं?

mRRkj&1% वित्त, कार्य में विशेषज्ञता, समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सूचनाएं, योजनाओं क निर्माण करने वाले व्यक्ति, संबंध निर्माण करने सहायक संसाधन तथा अन्य संसाधन जैसे भवन, फर्नीचर, इत्यादि ऐसे संसाधन है जो समावेशी शिक्षा कर सफलता के लिए आवश्यक होते हैं।

iz'u&2% समावेशी शिक्षा के वित्तीय संसाधनों को स्त्रोतों को लिखिए।

mRRj&2% समावेशी शिक्षा में कार्यरत् व्यक्तियों में ऐसे कौशलों का विकास करना चाहिए जो समावेशी शिक्षा के बारे में समाज के आम व्यक्तियों को अवगत करवाये एवं उसके लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करें। ऐसी संस्थाओं से अनुदान प्राप्त करें जो कि समावेशी शिक्षा हेतु अनुदान देना चाहता हैं तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के द्वारा भी अनुदान प्राप्त किया जा सकता हैं। एक समिति का निर्माण किया जा सकता है जो समावेशी शिक्षा के लिए वित्त का प्रंबध करें। वित्त प्राप्त करने हेतु संस्था के सदस्य कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से अनुदान देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।

iz'u&3% हम समावेशी शिक्षा हेतु किस प्रकार स्त्रोतों को इक्ठ्ठा कर सकते हैं?

mRRj&3% समावेशी शिक्षा हेतु समाज के प्रतिनिधियों जैसे नेताओं को समावेशी शिक्षा की उपयोगिता से अवगत करवाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समाज में दृढ रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं। समावेशी शिक्षा के प्रचार प्रसार कर समाज के अन्य लोगों को इसकी सफलता हेतु जोड़ा जा सकता हैं। समाज में समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण करें जिससे समाज के अन्य वर्ग में नकारात्मक भावना समाप्त की जा सकें।

9-8 vH;kl iz'u

1. समाज की व्याख्या करते हुए समाज द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित करने के विभिन्न उपायों को समझाईए।
2. समावेशी शिक्षा के विस्तार हेतु समाज द्वारा विभिन्न स्त्रोतों को एकत्रित करने उपायों को लिखिए।

9-9 lanHkZ@mi;ksxh iqLrdsa

1. Mr. Kempaiah (2012), 'Involvement of the community for effective Inclusion'. ICEVI Publication : Banglore

2. Punani and Rawal (2005), ‘A Mannual on Community Based Rehabiliation’. Blind People Association : Ahmedabad

3. World Health Organisation (2010). Guidelines on Community-Based Rehabilitation : CRB Guidelines

4. Krefting, Douglas (2001): Community Approaches to Handicap in Development. Dhaka:Centre for Disability Development